राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ५ वां दिवस [संख्या ५

शुक्रवार २० फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १०२

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द कोठारी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०३

श्री पी० के० चौधरी

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १०४

श्री जगदीश प्रसाद माथुर

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०५

राव राजा श्री सरदारसिंह (उनियारा)

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय मुझे लिख कर उन्होंने दिया है।

(हंसी)

मुख्य मंत्री : (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इतनी जल्दी सारे समाजवादी कैसे हो गये।

डिस्ट्रिक्ट टोंक की स्कूलों में शिक्षकों की संख्या

१०५. राव राजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : श्री मूलचन्द डागा द्वारा पूछा गया) क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) डिस्ट्रिक्ट टोंक में सन् १९५६-५७ ५८ में हाई स्कूल्स, मिड़िल स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स में कितने कितने शिक्षकों की नियुक्तियां हुई ?

(२) उपरोक्त नियुक्तियों में कितने शिड्युल्ड कास्ट, सवर्ण और मुसलमान शिक्षको की नियुक्तियां हुई ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

Page No.2

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

		हाई स्कूल,	मि० स्कूल,	प्रा० स्कूल
(१)	१६५६ में	१६	२१	३०
	१६५७ में	७	२४	६५
	१६५८ में	१५	५२	६७

(२)	शि० कास्ट	सवर्ण	मुसलमान
१६५६	७	५६	४
१६५७	४	१११	११
१६५८	६	१२०	३८

श्री अध्यक्ष : श्री हजारीलाल।

पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति

१०६. श्री हजारीलाल अकोलिया (केकड़ी) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान के पुलिस विभाग में कितने डी० आई० जी०, एस० पी०, डी० एस० पीज़०, इन्स्पेक्टर्स और सब-इन्स्पेक्टर्स हैं और उनमें अनुसूचित जाति तथा अनु-सूचित जन जाति के कितने व्यक्ति हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ?

(२) उक्त श्रेणी के पदों पर किन आधारों व योग्यताओं पर नियुक्तियां की जाती हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सूचना इस प्रकार है :

नं० शु० पद	वर्तमान नफरी	अनु सूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की संख्या
(१) डी. आई. जी	७	०
(२) एस. पी.	४६	०
(३) डी. एस. पी. व ए. एस. पी.	१६६	२
(४) सी. आई.	२४०	०
(५) एस. आई.	१३६६	१७

(२) डि. सु. पु. तथा इससे ऊपर के पदाधिकारी सरकार द्वारा आई. पी. एस. तथा आर. पी. एस. नियमानुसार भर्ती किये जाते हैं। इन्स्पेक्टरों के पद तरक्की द्वारा योग्यता और सीनियोरिटी को ध्यान में रखते हुए भरे जाते हैं। सब-इन्स्पेक्टरों की जगह की पूर्ति तरक्की द्वारा जो सीनियोरिटी तथा योग्यता के आधार पर की जाती है तथा सीधी भर्ती कोम्पिटिटिव परीक्षा लेकर की जाती है। सीधी भर्ती के हेतु कम से कम शिक्षा की योग्यता मैट्रिक है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री ने ऐसा ऑर्डर जारी किया था कि अनुसूचित जातियों में से, एस. पी. पदा-सीन किये जांय ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी तो मुझे मालुम नहीं, वैसे दो डी. वाई. एस. पी. हैं शिड्युल्ड कास्ट के।

श्री हजारीलाल : योग्यता होते हुए भी शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्ज के लोगों को नहीं लिया जाता इसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : दो डी. वाई एस. पी. लिये गये हैं, एस. आई. १७ लिये गये हैं।

श्री हजारीलाल : क्या कॉन्स्टेबिल के लिए भी ऐसी व्यवस्था है ?

श्री रामकिशोर व्यास : लेने में कोई रूकावट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह श्री मूलचन्द डागा।

उनियारा हाई स्कूल के शिक्षक इन्नामुल्ला

१०७. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : (श्री मूलचन्द डागा द्वारा पूछा गया) क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि इनामुल्ला नाम का व्यक्ति उनियारा हाई स्कूल में शिक्षक है ?

(२) अगर हां, तो वह किस स्कूल में ड्युटी देता है और कब से ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्ति का जिस स्कूल में नाम है वहां नौकरी नहीं देकर दूसरी जगह नौकरी देता है ?

(४) अगर हां, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखा–ड़िया) : (१) जी हां।

(२) दरबार मिडिल स्कूल टोंक में जुलाई सन् ५७ से।

(३) जी हां।

(४) उनियारा हाई स्कूल में सिलाई के उद्योग का कार्य होता है जिसके लिए एक दूसरा अध्यापक वहां पर मौजूद है। दरबार मिडिल स्कूल टोंक में एक हैण्डी क्राफ्ट ट्रेन्ड अध्यापक की आवश्यकता थी अतः इनामुल्ला को दरबार मिडिल स्कूल में डेपुट कर दिया जहां इसकी कोई अतिरिक्त पोस्ट नहीं थी।

प्रश्न संख्या १०८

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

ग्राम भवरथलां (देवली) में स्कूल भवन का निर्माण

१०६ रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) श्री मूलचन्द डागा द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम भवर–थलां, तहसील देवली में स्कूल भवन तैयार हो गया है ? अगर हां, तो कब और कितनी लागत का ?

(२) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त स्कूल में सरकार ने अध्यापकों की व्यवस्था करादी है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखा-ड़िया) : (१) जी नहीं। गांव वालों ने एक कच्चा पाठशाला-भवन बनाने का प्रयत्न अवश्य किया था जो वर्षा के कारण अपूर्ण अवस्था में ही गिर चुका।

(२) यहां कोई राजकीय शाला नहीं है। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ११०

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १११

श्री भैरोंसिंह

(अनुपस्थित)

डिस्ट्रिक्ट टोंक में पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य

११२. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : (श्री मूलचन्द डागा द्वारा पूछा गया। क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) टोंक डिस्ट्रिक्ट में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन किन तहसीलों में और किन किन ग्रामों में सडकें तैयार कराने की योजना थी ? उन सडकों में किस किस को प्राथमिकता दी गई थी ?

(ख) क्या यह सही है कि इन योजनाओं में टोंक—उनियारा—सवाई माधोपुर, अलीगढ़—उनियारा-टोंक, लाखेरी—इन्द्रगढ़—उनियारा—टोंक, टोंक-उनियारा-लाखेरी और टोडा-नासिरदा-नेगडिया सड़कें बनाने के भी प्रपोजल्स थे ? अगर हां तो उपरोक्त में से कौन कौनसी तैयार हो चुकी हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास : (क) तहसील तथा ग्राम वार कोई योजना नहीं बनाई गई अत: प्रश्न नहीं उठता।

(ख) टोडा-नासिरदा सड़क को छोड़कर मेटल्ड रोड सवाई माधोपुर से टोंक-अलीगढ़-उनियारा तक तथा लाखेरी से टोंक वाया चन्द्रगढ़-खाटोली-उनियारा योजना में स्वीकृत है, जिन पर कार्य चालू है।

श्री मुलचन्द डागा : क्या यह सड़क रावराजा श्री सरदारसिंहजी की कोठी के पास से निकलती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या यह रावराजा सहाब पूछ रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : रावराजा साहब के कामदार साहब हैं।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ११३

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला

मिडिल स्कूलों का बुनियादी स्कूलों में परिवर्तन

११४ डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) १६५७ में कितने मिडिल स्कूल बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित किये गये; इनमें लड़कियों के स्कूल कितने थे ?

(ख) उक्त स्कूलों में कौन कौन से उद्योग शुरू किये गये ? उनसे स्कूलों को कुल कितनी आमदनी हुई ?

(ग) क्या सरकार अनुभव करती है कि बुनियादी स्कूल साधारण स्कूल की अपेक्षा

(डॉ० चन्द्रकला)

अधिक खर्चीले होते हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(घ) क्या सरकार बुनियादी शिक्षा के इस प्रयोग को सफल मानती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : सन् १९५७ में राजस्थान में कोई भी मिडिल स्कूल बुनियादी स्कूल में परिवर्तित नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बुनियादी स्कूलों में साधारण स्कूलों की अपेक्षा कुछ व्यय अधिक होता है जो कि उद्योग पर किया जाता है परन्तु उद्योग का कार्य सफलतापूर्वक जम जाने के उपरान्त यह खर्च कुछ समय बाद निकल जाने की आशा की जाती है।

(घ) बुनियादी शिक्षा का प्रयोग राजस्थान में अभी शिशु अवस्था में ही है जिसको चालू किये केवल दो साल भी नहीं हुए। यह आशा की जाती है कि बुनियादी शिक्षा के लिये जो व्यवस्था, साधन और सुविधाओं की आवश्यकता है पूर्णतया उपलब्ध होने पर यह शिक्षा सफल होगी।

डॉ० चन्द्रकला : (ख) भाग का उत्तर एक बार फिर पढ़ दीजिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला : पहले से जो बुनियादी स्कूल चल रहे हैं, उनमें से किन किन में बुनियादी शिक्षा सप्लीमेन्ट्री रूप में चालू हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह प्रश्न सन् ५७ तक से सम्बन्ध रखता है, उसका उत्तर दिया जा चुका है।

डॉ० चन्द्रकला : मेरा सप्लीमेन्ट्री यह है कि आप बेसिक स्कूलों में साधारणतया कौन-कौन से उद्योग धन्धे चालू करते हैं:

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपका प्रश्न यह था उक्त स्कूलों में कौन-कौन से उद्योग शुरू किये गये और किन-किन स्कूलों को बेसिक स्कूल में परिवर्तित किया गया मैंने जवाब दिया १९५७ में राजस्थान में कोई भी स्कूल बुनियादी स्कूल में परिवर्तित नहीं किया गया।

डॉ० चन्द्रकला : मिडिल स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तन की क्या प्रक्रिया होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं सारी प्रक्रिया के समझाने का प्रश्न नहीं है पहले जिन स्कूलों को शुरू से बेसिक स्कलों में परिवर्तन करने का होता है उनको उसके लिये अध्यापक दिये जाते हैं जैसे कहीं पर खेती के उद्योग की शिक्षा दी जाती है वहां उसके लिये अध्यापक प्रोवाइड किये जाते हैं जैसे कहीं कागज़ का या मिट्टी का काम काज शुरू किया जाता वहां उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए बेसिक स्कूल शुरू किये जाते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : जिस दिन आप घोषणा करते हैं कि अमुक स्कूल बुनियादी स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया है उसके कितने दिन बाद वहां उसका काम शुरू हो जाता है। इसमें कितने साल या महिने लग जाते हैं, काम शुरू होने में ?

Page No.6

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी कुछ स्कूलों को हमने शुरूआत में बेसिक तरीके से चलाने का और उसके अनुसार पाठ्यक्रम लागू करने का कार्य शुरू किया है। दूसरा जब सब जगह पूरी तौर से बेसिक स्कीम्स लागू कर देगें उस समय तत्काल ही उस तरह से अध्यापक और उसके अनुकूल साधन उपलब्ध हो जायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : तो मौजूदा जो बेसिक स्कूल्स में शिक्षा दी जाती है क्या उसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं है ? क्या यही समझा जाय या अभी जो बेसिक स्कूलों में आपने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, वह गलत है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया :—बेसिक स्कूलों का पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग है। मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया जो पाठ्यक्रम राष्ट्रीयकृत पुस्तकों में दिया गया है वह,बेसिक आधार पर ही है जैसे किसी जगह हैन्डी-क्राफ्टस का कार्य चालू है वहां उसके बाद क्या लिया जा सकता है इस बारे में निश्चित पाठ्यक्रम है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह भी बेसिक पाठ्यक्रम में निश्चित है कि आगे उसी क्षेत्र में वह जाना चाहे तो उसे क्या उसी प्रकार का आगे भी पाठ्यक्रम मिल सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो भी पाठ्यक्रम है वह निश्चित है, जैसे आपकी जानकारी में होगा। जैसे कहीं स्पिनिंग का काम सिखाया जाता है तो उसके बाद उसको वीविंग का भी सिखाया जाता है इस तरह वो क्लास वाइज बढ़ता जाता है उसी प्रकार खेती का काम है, उसमें भी आगे सिखाने का पाठ्यक्रम है।

डॉ० चन्द्रकला : बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करने की घोषणा हो जाती है उसके बाद उन स्कूलों में जो कक्षायें चलती हैं उनका पाठ्यक्रम क्या भिन्न होता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया :—कुछ स्कूलों के अन्दर पूर्ण रुप से बेसिक पद्धति से शिक्षा देना शुरू किया है। उसी के अनुसार दूसरी जगह भी इन्सट्रक्शन्स इश्यु किये हैं कि इसी आधार पर वहां चलाया जाय।

श्री महेन्द्रसिंह (राजाखेड़ा) सरकार को चाहिये कि खेती का काम लड़कों को ज्यादा से ज्यादा सिखाया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री पी. के. चौधरी।

निन्दाद जंगल (आमेर तहसील) के पेड़

११५. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Forest Minister be pleased to state :-

1- Is it correct that the Nindad forest in Amber Tehsil had been used as a Government Games Sanctuary since times immemorial ?

2. If so, under what circumstances, the permit for felling trees in this forest was granted to the Jagirdar under Government's Order No. D. 5276/F. 19 (28) Reg. A/55, dated 10-6-1955

3. Is it correct that the trees were felled in violation of the provisions of Sections 4 and 5 of the Raja-

(श्री पी. के. चौधरी)

sthan Removal of Trees (Regulation Ordinance, 1949 ?

4. Is it correct tnat on a previous occasion the same Jagirdar was fined Rs. 500/-for indulging in unautherised felling of trees in this forest ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

1. No, Sir.

2. No, permit for felling trees was granted under Government order referred to. Under this order, the Jagirdar of Needar was issued a permit for cutting his Jagir forests at Needar.

3. Since the above referred case is pending in the Court of Asstt. Collector and I Class Magistrate, Jaipur and as the matter is subjudice, nothing can be said at this stage, about violation of section 4 & 5 of the Rajasthan Removal of Trees (Regulation) Ordinance, 1949.

4. It is a fact that the Jagirdar Needar was previously fined Rs. 1500/-for wrongfully cutting trees from his Jagir forest contravening the provisions of the Rajasthan Removal of Trees Ordinance.

श्री पी० के० चौधरी : What is the difference between the cutting of trees and cutting of Forests ?

श्री दामोदरलाल व्यास : A licence or a permission for the cutting of trees is given by the S. D. M. while for cutting the forest is given in accordance with the Forest Act,

श्री पी० के० चौधरी : My question wad about the permission for felling these trees...

श्री दामोदरलाल व्यास : My reply is quite clear that he was allowed according to the Ferest Regulations.

श्री पी० के० चौधरी : Why not his permission is cancelled when it is against the Rules ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is pending before the Assistant Collector and First Class Magistrate.

श्री पी० के० चौधरी : When was this prosecution launched and on what date ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The date, I don't know but the case is pending before the Asstt. Collector and First Class Magistrate and it will not be proper for me to tell anything about it here.

श्री पी० के० चौधरी : I said since what date it is...

श्री अध्यक्ष : He said the date is not with him. Dr. Chandra Kala

कम आय वाले व्यक्तियों को गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत सहायता

११६. डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) कम आय वाले व्यक्तियों के लिये

Page No.8

(डॉ० चन्द्रकला)

गृह· निर्माण सहायता के अन्तर्गत किनको सहायता दी जाती है ?

(२) क्या जिनके पास अपने घर हैं उन्हें भी इस योजना के अन्तर्गत सहायता देने का विधान है ?

(३) क्या यह सच है कि नागौर क्लेक्टर की ओर से मुरलीधर वकील, रामकिशन कल्ला और सतीशचन्द्र वकील को उक्त योजना के अन्तर्गत सहायता दी गई है ?

(४) रसीद अहमद वकील को गृह निर्माण सहायता किस आधार पर दी गई ?

विकास मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय ६,००० रु० या उससे कम हो उनको ऋण दिया जाता है।

(२) हां।

(३) हां।

(४) श्री रसीद अहमद वकील की वार्षिक आय आवेदन–पत्र के अनुसार २,४०० रुपये हैं व उनका कोई निजी मकान नागौर में नहीं है तथा वे किराये पर रहते हैं। इसके अनुसार उक्त योजना के अन्तर्गत ऋण दिये जाने के अधिकारी होने से उनको ऋण दिया गया है।

डॉ० चन्द्रकला : जिन व्यक्तियों के नाम से कम आय मानकर सहायता दी गई क्या इस बारे में पूरा समाधान कर लिया गया है कि वास्तव इनकी आय इतनी ही है और इनको सहायता दी जा सकती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : समाधान करके ही दी जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या मकान जिनके हैं उनको भी सहायता दी जाती है या जिनके पास मकान नहीं है उन्हीं को सहायता दी जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिनके पास मकान नहीं होता उनको भी दी जाती है और जिनके पास मकान है और उसमें पार्टनर्स अधिक है या फैमीली मेम्बर्स अधिक हैं उनका भी ख्याल किया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या जहां एक फैमीली में एक ही मेम्बर है और उसके पास पहले से मकान है, इस प्रकार की सहायता मिल सकती है, उसे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या ऐसे लोगों को भी सहायता दी गई जिनके पास पहले से मकान थे, यह बात आपके ध्यान में लाने पर आप उन अधिकारियों के खिलाफ़ एक्शन लेने के लिये तैयार हैं, जिन्होंने उनको लोन दिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रमाण प्राप्त होने पर जांच की जा सकती है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मुरलीधर वकील और श्री रामकिशन कल्ला को कितना कितना रुपया दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : श्री कल्ला को पांच हजार रुपया और श्री मुरलीधर वकील को भी पांच हजार रुपया दिया गया।

Page No.9

कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को अपने जिले में ही रखा जाना

११७. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को अपने ही जिले में, नियुक्त करने के सम्बन्ध में सोच कर रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को, जहां तक सम्भव हो अपने ही ज़िले में रखने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा सन् १६५५ में ही आज्ञा जारी कर दी गई थी। (प्रतिलिपी संलग्न है) अतः इस विषय में सरकार द्वारा पुनः विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री सूबेदार सिंह (बारी) : गजेटेड अफसरों को क्या डिस्ट्रिक्ट में रक्खा जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक सम्भव है, नहीं रखने कि कोशिश की जाती है।

डॉ चन्द्रकला : कम तनख्वाह के मर्यादा क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : २५०) से नीचे।

श्री गिरधारीलाल : जब सर्क्युलर निकल चुका तो फिर यह सम्भव शब्द क्यों जोड़ा जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रखना पड़ सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर शिक्षा विभाग को ही लें। कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनमें मैट्रिक पास अध्यापक नहीं मिलते, वहां के लिये दूसरे ज़िलों के लोगों को भेजना ही पड़ता है, अथवा किसी ऐसे जिले में जहां बहुत अध्यापक मिलते हैं और जगहें वहां उतनी नहीं हैं तो उनको दूसरे जिले में भी भेजना ही पडता है।

श्री गिरधारीलाल : तो इसके माने यह हैं कि अन्य विभागों में कोई भी फोर्थ क्लास सर्वेन्ट को नहीं रक्खा जाता ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो उदाहरण दिया है। ऐसी परिस्थिति अन्य विभाग में भी हो सकती है या और कोई विशेष कारणों से भी इधर उधर भेजना पड़ सकता है।

श्री सुबेदारसिंह : जो होम डिस्ट्रिक्ट में गजेटेड अफ़सर हैं, उनको वहां से हटाने की क्या सरकार शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी जानकारी में नहीं है कि गज़ेटेड अफ़सर अपने ज़िले में कितने हैं। आम तौर पर हम उनको अपने जिलों में नहीं रखना चाहते।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : वार्डर और चपरासी तक भी जिले से बाहर और दूर दूर भेजे गये हैं, यह किस कारण से ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर चुका ?

Page No.10

श्री सूबेदारसिंह : इस तरह का केस अगर आपके ध्यान में लाया जावे, तो क्या आप विचार करने को तैयार हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कई परिस्थितियां हो सकती हैं। यथा सम्भव कोशिश की जाती है। यही सरकार का सक्युंलर है और यही नीति है।

मैं समझता हूं कि कोई आर० ए० एस० अफ़सर अपने ही ज़िले में हो ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री सूबेदारसिंह : मैं जानकारी देता हूं। धौलपुर में भरतपुर के ही रहने वाले एस० डी० ओ० हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसा है कि होम यूनिट में नहीं रखने की बात नहीं कहते। हम तो होम डिस्ट्रक्ट में नहीं रखने की बात करते हैं। वैसे वे भरतपुर के होंगे, धौलपुर के नहीं होंगे। इसलिये रख दिये गये होंगे। पर आम तौर से एडमिनिस्ट्रेटिव काम जिनके पास है उनके मामले में पूरी कोशिश करके चलते हैं।

श्री सूबेदारसिंह : धौलपुर और भरतपुर एक ही जिला है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री पी० के० चौधरी।

राजस्थान नहर को नेवीगेबल बनाने विषयक

११८. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister-in charge of Irrigation be pleased to state. :

Is it correct that the Committee of Directors for Rajasthan Canal is considering the question of making Rajasthan Canals navigable ? If so, what will be the size and tonnage of of the boats that will ultimately ply in the Canal and what wlll be the flow of water in the Canal in cu-secs. ?

उप मन्त्री कृषि विभाग (श्री भीखा-भाई) : It is a fact that the question of providing navigation facilities in Rajasthan Canal is under consideration. The matter has been referred to experts for consideration. and the Rajasthan Canal board is seriously considering the possible design of lining the Canal and providing navigation facilities. It is too early to forecast the tonnage of boats that would ultimately ply in the Canal. The discharge will be about 18,000 Cs at the head of the Canal.

श्री पी० के० चौधरी : To what length it will be made navigable ?

श्री भीखा भाई : It is too premature to forecast at this stage as I have said because all these detaile are to be finalised.

टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेज में प्राईवेट विद्यार्थियों के प्रवेश

११९. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.11

(श्री गिरधारीलाल)

(१) राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कितने तथा कहां-कहां हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इन कॉलेजों में उन विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलता जो अपने खर्च पर विद्याध्ययन करना चाहते हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) दो, एक बीकानेर और दूसरा अजमेर।

(२) जी नहीं।

श्री गिरधारी लाल : बीकानेर के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में क्या उन विद्यार्थियों को पर्मिशन मिलती है, जो अपने खर्चे पर विद्याध्यायन करना चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखड़िय : कोई मना नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : पर्मिशन मिलती है या नहीं। अभी तक तो परमिशन नहीं मिली।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूं कि इसके लिये व्यवस्था यह है कि इसमें २५ पर्सेन्ट को सरकार अपनी तरफ से स्टिपेन्ड देकर पढ़ाने को भेजती है। बाकी की जितनी दरख्वास्तें आती हैं उन पर एक कमेटी में विचार होता है। जहां तक सम्भव होता है जिनको तो दो साल का अनुभव हो और अपने खर्चे से पढ़ने को तैयार हों उनको पहले मौका दिया जाता है और उनको कुछ स्टिपेन्ड और दिया जाता है। तो यह शिलेक्शन का दरख्वास्तें में दिक्कत नहीं है। पर हो सकता है जो ज्यादा अनुभवी हैं उसे हर तरह से पहला अवसर देना उचित होता है, वह दिया जाता है।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि कुछ ऐसे नियम बन चुके हैं जिनके तहत जो आता है उन्हीं को पर्मिशन मिलती है ? क्या रूल्स बना रक्खे हैं, इस तरह के कोई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि मैंने पहले के उत्तर में सब स्पष्ट कर दिया है।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि एज्युकेशनल कोड में ३४ साल से ऊपर वाले को एडमिशन मिल सकता है और २४ साल के जो व्यक्ति हैं उससे कम को नहीं मिलता और अगर ऐसे कुछ रूल्स हैं तो वे क्या हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी जानकारी में यह नहीं है, इसका पता लगाऊंगा।

भाखरा नहर क्षेत्र

१२०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला गंगानगर में भाखरा नहर के क्षेत्र में भूमि हीन किसानों की संख्या कितनी है ?

(२) इस क्षेत्र में कुल कितनी एकड़ भूमि है ?

(३) इस क्षेत्र में सरकारी भूमि कितनी है ?

Page No.12

उप मन्त्री, सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) भाखरा प्रोजेक्ट के भूमिहीनों की जांच हो रही है। १५ जनवरी, ५६ तक १६६६२ दर्ख्वास्तों का फैसला हो चुका है, जिनमें से ४६४२ भूमिहीन करार दिये जा चुके हैं। बाकी २१०२ दर्ख्वास्तों की जांच हो रही है।

(२) इस क्षेत्र में कुल १२५८३०३ एकड़ भूमि है।

(३) इस क्षेत्र में ४४५४६६ एकड़ सरकारी भूमि है।

श्री मुरलीधर व्यास : ये भूमिहीन कितने हैं, इनकी जांच कब से हो रही है ?

श्री भीखाभाई : इसकी सूची मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो आपने हिसाब लगाया होगा कि इनमें भूमिहीन कितने हैं ?

श्री भीखाभाई : मेरे पास इत्तला इस प्रकार है कि जो टेम्प्रेरी अलॉटमेन्ट हुआ है। कल्टीवेटर्स को, उसमें १५२०७१ एकड़ भूमि दी गई है। ७४०० भूमिहीनों को एक एकड़ भूमि दी गई है।

इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स् के पद के लिये योग्यताएं

१२१. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद के लिये सरकार ने क्या योग्यताएं निर्धारित कर रखी हैं ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कुछ जिलों में उक्त पद पर ऐसे भी व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है जो निर्धारित योग्यताओं की पूर्ति नहीं करते ? अगर हां, तो क्यों ?

(३) बीकानेर के वर्तमान इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की क्या योग्यतायें हैं ?

शिक्षा मन्त्री : (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) (१) (क) ट्रेन्ड ग्रेजुएट

(ख) पांच साल का प्रशासनिक अनुभव।

(२) जी नहीं।

(३) ट्रेन्ड ग्रेजुएट।

श्री गिरधारीलाल : बीकानेर के वर्तमान स्कूल्स इन्स्पेक्टर की योग्यता क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं उत्तर दे चुका कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट।

श्री गिरधारीलाल : वे बी० ए० ट्रेन्ड नहीं हैं। उनसे सीनियर बहुत बैठे हैं। इसका क्या कारण है फिर ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। उन्होंने कह दिया कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट हैं। किस बेसिस पर आप फिर पूछ रहे हैं ?

बीकानेर ज़िला जेल के शिक्षित कैदियों को सुविधायें

१२२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटि) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री मुरलीधर व्यास)

(१) इस समय बीकानेर ज़िला जेल में कितने शिक्षित कैदी हैं ?

(२) यहां कौन-कौन सी पत्र-पत्रिकाएं कैदियों को पढ़ने हेतु दी जाती हैं ? यहां कुल किताबें कितनी हैं तथा उनमें से नई कितनी हैं ? इस वर्ष कितनी नई किताबें मंगाई गई ?

(३) क्या यह सही है कि यहां शिक्षित कैदियों के लिये केवल एक ही हिन्दुस्तान पत्र मंगाया जाता है और वह भी उसी तारीख का न देकर पुरानी तारीख का दिया जाता है ?

(४) क्या यह सत्य है कि हवालाती कैदियों (undertrial) को खेलकूद के साधन व पत्र-पत्रिकाएं नहीं दी जाती ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) २८ कैदी शिक्षित हैं तथा ५२ कैदी शिक्षा पा रहे हैं, जो साधारण हिन्दी लिखना पढ़ना जानते हैं।

(२) निम्नलिखित पत्र-पत्रिकाएं कैदियों को पढ़ने हेतु दी जाती हैं।

(अ) दैनिक हिन्दुस्तान, (ब) भारतीय समाचार मासिक, (स) पराग मासिक, (य) बालक मासिक, (र) बाल भारती मासिक।

कुल किताबें ६६८ हैं। जिनमें से १३४ किताबें नई, गतवर्ष की खरीदी हुई हैं। इस वर्ष अब तक कोई किताब नहीं खरीदी गई है।

(३) जी नहीं। यह सही नहीं है। जैसा कि प्रश्न २ के उत्तर में बताया गया है ५ पत्र पत्रिकाएं मंगाई जाती हैं। सभी कैदियों को यह पत्र एक ही तारीख में देना सम्भव नहीं है क्योंकि कैदी अलग अलग बैरक में रहते हैं।

(४) जी नहीं। हवालाती कैदियों को भी पत्र-पत्रिकाएं दी जाती हैं। हवालातियों को सजायाफ्ता कैदियों के साथ शामिल नहीं किया जाता। यह मुनासिब नहीं समझा जाता और न ही सरकारी गवाह या इकबाली हवालातियों को एक दूसरे से शामिल किया जा सकता है। इस कारण सब हवालातियों को खेल कूद में शामिला करना सम्भव नहीं है। फिर भी जहां तक सम्भव हो सकता है हवालातियों को भी उनके चरित्र व जो मुकद्दमे उनके विरुद्ध चल रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए खेल कूद की सुविधाएं दी जाती हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां पर किताबों का बजट कितना है ?

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत कम है। बीकानेर का शायद ६०० या १००० रुपये के करीब होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सत्य है कि वहां पर गत वर्ष कुल किताबें २०-२५ रुपये की खरीदीं गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे अमाउन्ट का तो नहीं मालूम। हां, नम्बर के बारे में अवश्य मालूम था, वह मैंने अर्ज कर दिया।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जो ज़िला स्तर पर जेलें हैं वहां सभी जगह पर पुस्तकालयों और वाचनालयों का प्रबन्ध है ?

Page No.14

श्री रामकिशोर व्यास : हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। यह तो डिविज़नल हैडक्वार्टर्स में जेलें हैं, वहां पर यह प्रबन्ध है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि जो हवालाती कैदी हैं, वह अगर अपने पर्सनल पत्र मंगाये तो वह उनको मंगाकर नहीं पढ़ सकते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर जेल मेनुअल में अलाऊ है तो पढ़ सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जेल मेनुअल में है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं नहीं कह सकता।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह पत्र किस आधार पर मंगाये जाते हैं ? जैसे बाल भारती मंगाया जाता है तो यह अडल्ट्स को पढ़ना ज़रूरी है।........

श्री रामकिशोर व्यास : जेल में बच्चे भी तो रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री पी० के० चौधरी।

बहुद्देशीय पाठशाला, ब्यावर में फर्नीचर की खरीद हेतु धन की कमी

१२३ श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): will the Education Minister be pleased to state :-

1. Is it correct that the Patel Multipurpose School, Beawar is not provided with any funds to purchase furniture, though it is the biggest Multipurpose school in the State ? If not, what is the number of students in this School in comparison to other Multipurpose and Higher Secondary Schools in the State and what funds have been allotted to each of them to purchase furniture and other equipments ?

2. Is it correct that during last year the Higher Secondary School, Nathdwara was allotted Rs. 4 lakhs and odd to purchase science materials ? what is the number of students in each class for this school ?

3. Is it correct that S. D, V. Government Degree College, Beawar had a very poorly equipped science Laboratory ? If not, what is the value of science equipments in the laboratory of the College and what was the amount allotted last year for purchasing science materials for this laboratory ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं आया है इसलिए इसका उत्तर अगले टर्न पर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गिरधारीलाल

बीकानेर ज़िले की सहकारी समितियां

१२४. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर ज़िले में कुल कितनी

Page No.15

(श्री गिरधारीलाल)

सहकारी समितियां हैं तथा किन किन स्थानों पर ?

(२) उपरोक्त सहकारी समितियों को सरकार की ओर से कितनी कितनी धन राशि मिली हुई है ? प्रत्येक समिति की सदस्यों सहित एक तालिका सदन की मेज़ पर रखी जावे ।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास सहकारी मंत्री की ओर से): माननीय अध्यक्ष, इसका उत्तर नहीं आया है इसलिए इसका जबाब नेक्स्ट टर्न पर दे दूँगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यय

१२५. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

(२) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष में सिंचाई—विद्युत योजना में खर्च की जाने वाली धनराशि में से कितनी धनराशि बची है तथा इसके बचने का क्या कारण है?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिसम्बर सन् १९५८ तक ३६३४·०१ लाख रुपये की धन राशि व्यय की जा चुकी है ।

(२) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष में सिंचाई एवं विद्युत योजनाओं पर व्यय की जाने वाली धनराशि में से क्रमशः ९७·९२ व २९१·३२ लाख रुपये की धन राशि बची है । इसके बचने के निम्न कारण हैं :

सिंचाई योजनाएं

(१) कुछ लघु सिंचाई योजनाओं पर रिटर्न (प्राप्ति) कम होने के कारण वे समय पर स्वीकृत न हो सकी जिसके फलस्वरूप पूरी धनराशि खर्च नहीं हुई ।

(२) स्केयरसिटी एरिया (अभाव क्षेत्र) की योजनाओं की नीवें ज्यादा गहराई तक खोदने में कठिनाई हुई जिसके फलस्वरूप पूरी धन राशि उपयोग में न ली जा सकी ।

(३) पार्वती प्रोजेक्ट पर चूना, पास के प्रदेश में उपलब्ध न होने के कारण पूरी धनराशि खर्च नहीं की जा सकी ।

(४) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बहुत सी नई योजनाओं की स्वीकृति नहीं होने के कारण भी पूरी धनराशि खर्च नहीं हो सकी ।

विद्युत योजनाएं

१. प्रोद्योगिक कर्मचारियों का अभाव २ मशीन आदि का समय पर उपलब्ध न होना ३. विदेशी विनिमय संकट ४ फौलाद की कमी ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर ३२ लाख की राशि खर्च हुई है तो उसमें से पहले वर्ष में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

श्री अध्यक्ष : इसके फिगर्स तो आपको दे दिये गये हैं ।

Page No.16

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपका मतलब प्रथम वर्ष से है ?

श्री मुरलीधर व्यास : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले साल के अन्दर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : १३ करोड़ ४४ लाख।

श्री मुरलीधर व्यास : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दूसरे साल में कितनी राशि खर्च हुई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरे वर्ष में १६ करोड़ ६ लाख।

श्री मुरलीधर व्यास : और तीसरे वर्ष के अन्दर कितनी राशि खर्च की ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अनुमानत : २० करोड़ रुपये के ऊपर।

श्री मुरलीधर व्यास : जो यह आपने कारण बताये क्या इनकी छानबीन की गई कि जैसे कारण आपने बता दिया कि इस कारण रुपया रुक गया। बिजली के ऊपर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए तो ऐसा क्या कारण है जो राशि उसमें खर्च होनी चाहिए थी, वह उसमें नहीं हुई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके बारे में पूरी जानकारी कर ली गई है। मैं आपकी जानकारी और सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें मुख्यत: फॉरेन एक्सचेंज़ (विदेशी मुद्रा) की दिक्कत थी। अब करीब करीब सारी दिक्कतों को पार कर लिया है और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर पॉवर के लिए जितना रुपया रखा है उसके लिए हम यह आशा करके चलते हैं कि करीब करीब उतना ही खर्च हो जायेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि गत समय भी यही बात कही गई थी कि फॉरेन एक्सचेंज की समस्या पूरी कर ली है और इस बार भी यही कहा जा रहा है, तो यह कहां तक सत्य है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहले कहा गया था उसमें और इस वर्ष की प्रगति में काफी अन्तर मिलेगा। सन् १६५८-५६ में पॉवर सेक्टर पर काफी खर्च किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा धनराशि उसमें खर्च हो जायेगी।

मुरलीधर व्यास : गत वर्ष कहा गया था कि यह फॉरेन एक्सचेंज की समस्या हल हो जायेगी और काम पूरा हो जायेगा, फिर क्यों नहीं काम पूरा हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह काम पूरा हो रहा है। सामान के लिए आॅर्डर्स दे दिये गये हैं। फॉरिन एक्सचेंज लेने में और सामान आने में साल, डेढ़ साल लग जाता है। वह दिक्कत दूर हो जायेगी और इस साल में बहुत खर्च हो जायेगा। इस पीरियड में जितना प्रोविज़न है और जितना अलॉटमेन्ट हुआ है उसका पूरा उपयोग होगा, इस बात का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

जयपुर नदबई सड़क

१२६. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : "क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.17

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(१) भरतपुर जिले के अन्तर्गत नदबई से जयपुर को जोड़ने वाली सड़क कितनी वर्ष पहले बनी थी ?

(२) क्या इसके बनने के बाद कभी उसकी मरम्मत की गई है ?

(३) पिछले तीन वर्षों में और विशेषत: गत वर्ष उसकी दशा कैसी रही है ?

(४) क्या सरकार इस उपयोगी सड़क को सुधारने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री : (श्री दामोदरलाल व्यास सार्वजनिक निर्माण मंत्री की ओर से) : (१) कुछ भाग सन् १६३६ में तथा कुछ भाग सन् १६५२ में।

(२) सालाना मरम्मत हर साल की जाती है।

(३) खराब रही है।

(४) जी हां।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उसके लिए क्या उपाय सोचा गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके एस्टीमेट्स तैयार किये जा रहे हैं और एप्रूव होने के बाद में काम को हाथ में ले लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

कमीश्नरी कार्यालयों की समाप्ति

१२७. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि सरकार का कमिश्नरी कार्यालयों को उठाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या राज्यपाल महोदय के गत अधिवेशन के भाषण में इस प्रकार की घोषणा की गई थी कि कमिश्नरी के कार्यालय को बहुत जल्दी ही हटा दिया जायेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हटा दिया जायेगा, यह घोषणा नहीं की गई। यह कहा गया था कि उस पर विचार किया जा रहा है और जल्दी ही निर्णय कर लिया जायेगा क्योंकि बलवंतराय मेहता की डी-सेन्ट्रलाइज़ेशन की बात और दूसरी चीज़ों का निर्णय हो गया है उसको देखते हुए हमने यह निश्चय किया है कि कमिश्नर ज़्यादा से ज्यादा डवेलपमेन्ट पिक्चर को देखें कि जिससे काम में सुगमता मिले।

श्री मुरलीधर व्यास : तो क्या यह समझा जाये कि उन लोगों से सिर्फ डवेलपमेन्ट का काम ही लिया जायेगा और कमिश्नरी कार्यालय का काम नहीं लिया जायेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : डवेलपमेन्ट का काम मुख्यत: ज़्यादा है और इसके अलावा दूसरे कार्यों को भी देखने की ज़िम्मेदारी उसकी होगी, नहीं तो इस काम के लिए दूसरे ऑफिसरों को रखा जाता और यह उचित नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास : तो जैसा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य है कि अधिक से अधिक सभी का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा तो उसके अन्दर यह कमिश्नरी कार्यालय और डी. आई. जी. ऑफिस को रखना उचित समझते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कुछ चीजें विकेन्द्रित की जा रही हैं और उनका संबंध इससे नहीं है कि कमिश्नरी कार्यालय या डी. आई. जी. का हेडक्वाटर्स रखा जाये। यह कल्पना उसके साथ नहीं जुड़ती बल्कि विकेन्द्रित चीजें ठीक तरह से चलाई जा सकें उस लिहाज़ से कमिश्नर का पद उपयोग में लाया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो क्या यह स्थान उसी प्रकार से रहेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमेशा रहें या ना रहें इसके लिए तो कौन कह सकता है लेकिन अभी उनको कायम रखा जाये, यह तय हो गया है।

श्री महेन्द्रसिंह (राजाखेड़ा): कमिश्नरों को नहीं हटाया जाये क्योंकि इसी में हमारे देश की खूबसूरती है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

भरतपुर जिले में बांधों की मरम्मत

१२८. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान बनने से पूर्व भरतपुर जिले में छोटे और बड़े कौन-कौन से बांध थे ?

(२) राजस्थान बनने के पश्चात् वहां कौन-कौन से बांध बांधे गये हैं ?

(३) क्या उनमें से कुछ बांध प्राय: वर्षा काल में टूट जाते हैं ?

(४) क्या बांधों की भली भांति देखभाल न होने के कारण ही बहुधा वे प्रतिवर्ष टूट जाते हैं ?

(५) क्या सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ प्रयत्न करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) राजस्थान बनने से पूर्व भरतपुर जिले में जो छोटे और बड़े बांध थे उनकी सूचि (ए) संलग्न की जाती है।

(२) राजस्थान के निर्माण के पश्चात् बांध बनवाये गये उनकी सूची (बी) संलग्न की जाती है।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(५) बांधों को सदैव सुरक्षित रखने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपने प्रश्न के भाग (३), कि 'उनमें से क्या कुछ बांध प्राय: वर्षा काल में टूट जाते हैं ?' इसके उत्तर में 'ना' कहा है। मैं समझता हूं कि नये बांध जो बंधे हैं उसमें कम से कम खानवा बांध को बने हुए ४,५ साल हो गये

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हैं और हर साल टूट जाता है। इस साल भी टूटा है, तो फिर किस आधार पर आपने 'ना' कहा है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा यह आमतौर का उत्तर दिया है। हर साल भरतपुर में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। उससे हर साल उसमें कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है। लगातार तीन वर्षों के वर्षा के आंकड़ों से पता लगता है कि हर साल वहां पर नुकसान होता है। इसकी वजह यह है कि दर-असल में वहां पर इर्रिगेशन का सिस्टम अपने दूसरे ढंग का है। दूसरा कारण यह है कि बांध के लिए राक फाउन्डेशन मिलना चाहिए। बुनियाद की मजबूती के लिए राक मौजूद नहीं है, इसलिए वहां पर एग्ज़ीस्टिंग वर्क्स में नुकसान होता रहता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपने उत्तर दिया है 'ना' में। आपने यह नहीं कहा कि रोक नहीं है, इसलिए टूटते हैं और हर साल बनते हैं। परन्तु मेरा मतलब यह है कि हर साल टूटते हैं और बनते हैं और आपने कहा है कि 'ना'। मैं कहता हूं कि हर साल टूटते हैं।

श्री भीखाभाई : हर साल मैंने नहीं कहा है। हर साल बनते हैं और मरम्मत होती रहती है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आम तौर पर 'ना' का क्या मतलब है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : आम तौर पर 'ना' का मतलब 'ना' है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : हर साल टूटते हैं और हज़ारों बीघा जमीन और गांव बर्बाद हो जाते हैं। आप मौके पर जाकर देखते और बाद में जवाब देते तो ज़्यादा उपयुक्त होता।

श्री रामकिशोर व्यास : ३, ४ साल से वर्षा ज़्यादा हो रही है। आपने इत्तला दी, उसकी जानकारी मैं करूंगा।

डॉ० बादुरसिंह (धौलपुर) : क्या यह सही है कि आर. टी. बान्ध की हर साल रिपेयर कराई गई ? लेकिन गत वर्ष टूट गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका इससे कोई संबंध नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए अर्ज कर दूँ कि यह इससे ताल्लुक नहीं रखता है लेकिन ओवर लेवल पानी का हो गया।

डॉ० बहादुरसिंह : रिपेयर का सवाल नहीं है। सवाल यह था कि कि बान्ध नया था, वह टूटा है। वह बराबर दो साल से बनता है और टूट जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आपकी जानकारी में यह चीज़ थी कि बान्ध टूटता है तो उसको रोकने के लिए तथा उसकी मरम्मत के लिए अभी तक सरकार ने प्रबन्ध क्यों नहीं किया ?

श्री भीखाभाई : ओरीजिनल जिस फार्म में था उसकी मरम्मत कराई गई है, नया नहीं बनवाया है।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अर्ज कर दूं कि आर. टी. बान्ध रिपेअर करवाया था और

(श्री सूबेदारसिंह)

टूटा है जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है वह ठीक नहीं है। वह बान्ध किन्हीं व्यक्तियों ने तोड़ा था और वे गिरफ्तार भी हुए थे। मरम्मत कराई गई थी लेकिन इस वर्ष वह फिर टूट गया है।

श्री रामकिशोर व्यास : रिपेअर्स के लिए मैंने कहा है।

श्री महेन्द्रसिंह (राजाखेड़ा) : किन्हीं की जान जा रही थी। जान बच गई तो क्या बात है ?

(हंसी)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मेरे प्रश्न का चौथा भाग इस प्रकार है कि बान्ध की भली भांति देखभाल न होने के कारण ही बहुधा वे प्रतिवर्ष टूट जाते हैं। इसका उत्तर भी जो आपने दिया है वह है 'जी नहीं'। तो मेरा यह कहना है कि अच्छी तरह से उनकी देख भाल नहीं होने के कारण और साल के साल मरम्मत होती रहे और देखभाल होती रहे तो वह ठीक रहे, जैसी कि पहले होती थी।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

कोटगेट बीकानेर के पास का रेल के फाटक

१२६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार कोटगेट बीकानेर के मुख्य बाजारों में पड़ने वाले दोनों रेल के फाटकों को हटाने के लिये सचेष्ट है पर राज्य सरकार, इस हेतु, अपने हिस्से की राशि व सहयोग नहीं दे पा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मंत्री की ओर से) : राज्य सरकार, भारत सरकार से रेलवे लाइन को ही मुख्य बाजारों से हटाने के विषय में बातचीत कर रही है अतएव राज्य सरकार के सहयोग न देने तथा अपने हिस्से की राशि न दे पाने का अभी प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : बातचीत कब से कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख तो मुझे मालूम नहीं है। इसकी प्रोग्रेस यह है कि राज्य सरकार के सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर और नॉर्दन रेलवे के जो इन्जीनियर हैं उनके बीच बातचीत चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को ऑल्टरनेटिव सल्यूशन भेज दिया है और वह विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या भारत सरकार उसको हटाने के पक्ष में नहीं है या राज्य सरकार ? भारत सरकार से इस बारे में किस प्रकार की बातचीत चल रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : बातचीत चल रही है कि मेन बाज़ार से रेलवे लाइन हटा दें और दूसरी जगह लगा दें।

श्री मुरलीधर व्यास : उसके लिए क्या सुझाव आप लोगों ने भारत सरकार के सामने रखे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ओवर ब्रिज या अन्डर ब्रिज के बजाय रेलवे लाइन को

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं मेन बाज़ार से दूर।

श्री मुरलीधर व्यास : कब डाइवर्ट की जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास: वह विचाराधीन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के।

श्री मुरलीधर व्यास : गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो पार्लियामेंट में एक प्रश्न किया गया था उसके उत्तर में यह कहा गया कि राजस्थान सरकार ने अपने हिस्से का रुपया नहीं दिया है इसलिए काम रुका हुआ है। क्या यह सही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह पुरानी बात है। ताज़ा बात में अर्ज कर रहा हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : ताज़ा बात क्या है ? आप ताज़ा बात बताइये।

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले यह प्रपोज़ल था कि ओवर ब्रिज या अन्डर ब्रिज बना दिया जाय। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से हिस्सा चाहती थी तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने कहा कि यह तो टेम्प्रेरी सल्यूशन था और २० वर्ष के बाद में वही डिफिकल्टी पैदा होने वाली थी। पर्मनेन्ट सल्यूशन यह है कि मेन बाज़ार से लाइन हटाकर दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दी जाय, और अन्डर ब्रिज या ओवर ब्रिज के लिए जो २०;२५ लाख रुपया खर्च किया जाता है, वह बच जाता है तो बच जाय। इस बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्जीनियरिंग विभाग ने माना है और यह बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेफर कर दिया गया है, अब फाइनल डिसीज़न के लिए विचाराधीन है।

अलवर तिज़ारा रोड पर चिकानी बहादुरपुर एपरोच रोड

१३०. **श्रीमती गंगादेवी डाटा** (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) अलवर तिज़ारा रोड़ पर चिकानी बहादुरपुर एपरोच रोड़ के निर्माण में देरी का क्या कारण है ?

(२) इस टुकड़े की लम्बाई क्या है ?

(३) क्या इस सड़क के टुकड़े पर ग्रामवासियों ने श्रमदान किया है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, सार्वजनिक निर्माण मंत्री की ओर से) :

(१) प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

(२) २।। मील।

(३) जी हां, ५ वर्ष पूर्व।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : क्या यह श्रमदान हो जाने के बाद पक्की सड़क बना दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : श्रमदान के बाद में पक्की बनाने की कोशिश की जाती है।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : नियम भी तो होगा कोई।

श्री दामोदरलाल व्यास : श्रमदान

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उस सड़क पर होता है और वह प्लानिंग के अन्दर से सेन्कशन्ड हो तो बन जाती है। नई सड़क आई हुई है और महज़ श्रमदान कर दिया है इस वजह से पक्की हो, यह बात नही है। फन्डस की एवेलिबिलिटी नहीं हो तो बनने का सवाल नहीं है।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : क्या कोई एस्टीमेट बनकर आये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एस्टीमेंट मेरी जानकारी में नहीं है।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : यह प्रश्न काफी अर्से से आया हुआ है, लेकिन आप पूरी जानकारी भी नहीं देते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जितनी जानकारी आपने चाही उसनी अर्ज कर दी। और ज्यादा चाहती हैं तो मालूम करके दूंगा।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : कल मुझे पता हो चुका था परिहार साहब से। मैंने पूछा था कि मेरा क्वेश्चन पूरा क्यों नहीं आया तो उन्होंने कहा था कि आपको पूरे क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं पूरे प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। अगर आप एडिशनल इनफोर्मेशन चाहती हैं तो वह इनफ़ोर्मेशन मेरे पास में अभी नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह (राजाखेड़ा) : श्रमदान तो हम लोग ज्यादा कर सकते हैं, अगर सरकार इतना रुपया दे दे तो।

(हंसी)

श्रीमती गंगादेवी डाटा : एस्टीमेट दुबारा दिया गया है। यह मेरा प्रश्न था, वह भाग नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि मैंने जो प्रश्न दिया है उसके दो पैराग्राफ इसमें नहीं आये हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न तो यही हैं कि जल्दी से समाप्त किया जाय उसको तो वे कोशिश कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : एस्टीमेट ४२,७५०) रु० का आया है और यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : कब तक रहेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब भी फण्ड एवेलेबल हो जाय।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : कब से एस्टीमेट बनकर आया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : फन्ड नहीं है, तो सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फन्ड एवेलेबल होगें तो विचार कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : विचाराधीन का मतलब है कि साफ ना नहीं दे रहे।

(हंसी)

Page No.23

श्रीमती गंगादेवी डाटा : मैंने सूचना दी थी कि एस्टीमेट दुबारा बन कर आया है। उसको आये भी डेढ़ साल हो गया है और एस्टीमेट होने के बाद भी विचाराधीन है डेढ़ साल से।

श्री दामोदरलाल व्यास : एस्टीमेट की रकम मैंने बता दी है।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : डेढ़ साल से विचाराधीन है तो कब से ?

श्री अध्यक्ष : तारीख उनके पास नहीं है। आपने सूचना दी है तो जानकारी कर लेगें।

श्री जनार्दनराय नागर : सरकार सक्रिय विचार कब तक कर लेगी ? अब तक तो वह विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या १३१

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द कोठारी।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के चौधरी।

नागौर में सरकारी केटलफार्म की स्थापना

१०३ श्री पी. के चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister for Agriculture and Animal Husbandry be pleased to state :–

1. On what date was the Nagore Government Cattle Farm established ?

2. What is the recurring and non-recurring expenditure on this Farm ?

3. Is it correct that nearly 60% of the Cattle in the Farm are not of approved breed and that out of the 50 cows in the Farm 30 are of inferior breed ?

राजस्व मंत्री श्रीदामोदरलाल व्यास : (1) The Nagaur Cattle Breeding Farm was established in the year 1937 in erstwhile Jodhpur State.

(2) Rs. 80,580.45 Recurring expenditure is on the Farm. There is no non-recurring expenditure every year on this Farm, but this year a sum of Rs. 4,000 has been spent.

(3) No Sir.

श्री पी० के० चौधरी : What are the numbers of Cattle Farm ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The total number of these farms I may not in a position to tell you at present but I shall find out and let you know.

श्री पी० के० चौधरी : It was a 3rd part of my question. There are only 50 cattle, out of these 30 inferior breed.

श्री अध्यक्ष : That he denies. उसके लिए कहा है, "सही नहीं है।"

श्री पी. के. चौधरी ; Then I asked him how many cattle are there ? He must have not the full information.

श्री अध्यक्ष : उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। आपने यह पूछा था कि अमुक नम्बर है। उसके मुताबिक यह कह रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने सवाल यह पूंछा था कि इस फार्म में खराब नस्ल के जानवर ज्यादा है। ५० में से ३० बछड़े खराब नस्ल के है तो उसके लिए डिनाई किया है। दूसरा सवाल यह था कि गलत नस्ल के जानवर हैं क्या? मैं अर्ज कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है। अगर कोइ बछड़े इस प्रकार के आ जाते हैं तो नीलाम कर दिये जाते हैं। फार्म पर नहीं रखे जाते हैं। आपका जो जवाब था वह That is wrong. We dont' keep them on the Farm.

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर

अनुपस्थित

श्री भैरोंसिंह

अनुपस्थित

तहसील नोखा (बीकानेर) में चोरियों के मामले

११०. श्री गिरधारीलाल एम. एल. ए. (नोखा) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील नोखा, जिला बीकानेर में सन् १९५५ से लगाकर अब तक कितनी चोरियां कहां कहां हुई?

(२) उन चोरियों में कुल कितनी धन राशि का माल चुराया गया?

(३) अब तक कितनी चोरियां पकड़ी गई और बरामद किया हुआ माल कितनी कीमत का है?

(४) बाकी चोरियां नहीं पकड़ी जाने का क्या कारण है?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) सन् ५५ से ५६ तक कुल ६८ मुकद्दमे दर्ज रजिस्टर किये गये।

(२) ४७, ७५३. ५३ नये पैसे मूल्य की सम्पत्ति चोरी गई।

(३) ४४ चोरियों का पता लग गया और ७,८२०. ५६ नये पैसे मूल्य की सम्पत्ति बरामद हुई।

(४) बाकी चोरियों का पता लगाने का प्रयास जारी है। सब प्रयासों के बावजूद भी बाकी प्रकरणों का पता नहीं लगा।

श्री मुरलीधर व्यास : सबसे बड़ी चोरी किस स्थान पर हुई?

श्री रामकिशोर व्यास : अलग-अलग स्थानों पर हुई।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

११. ५१ म० पू०

दैनिक पत्र 'नवयुग' सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्तावों पर प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्रीसोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री श्रीमानसिंह द्वारा दिनांक २१ नवम्बर, १९५८ एवं १७ दिसम्बर, १९५८ को दैनिक पत्र नवयुग, जयपुर के सम्बन्ध में उठाये गये विशेषाधिकार प्रश्नों पर समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : Legislative Business

श्री श्रीमानसिंह : गवर्नर्स एड्रेस पर वाद-विवाद शुरू हो रहा है क्या ?

श्री अध्यक्ष : Legislative Business

पुरःस्थापित विधेयक

(क) राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १९५९

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, में राजस्थान फोरेस्ट (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा चाहता हूं।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे। मोशन मूव्ड ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

(ख) नाथद्वारा मंदिर विधेयक, १९५८

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, मैं 'दि नाथद्वारा टेम्पल बिल, १९५९' को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं और अध्यादेश जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

(ग) राजस्थान अनुशासनिक कार्यवाही (साक्षी बुलाया जाना तथा दस्तावेज़ प्रस्तुत कराया जाना) विधेयक, १९५९ ।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मैं दि राजस्थान डिसिप्लीनेरी प्रोसिडिंग्ज़ (समनिंग ऑफ विटनेसेज़ एन्ड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्युमेन्ट्स) बिल, १९५९ को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९५९

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेकेन्ड्री एज्युकेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९५९ को पुरःस्थापित करता हूं ।

११.५५ म० पू०

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : डिस्कशन ऑन गवर्नर्स एड्रेस । श्री मूलचन्द डागा अपना भाषण जल्दी समाप्त करें ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : (पूर्व-क्रम से) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रशासन के बाबत में कुछ बातें कल कह रहा था और नम्रतापूर्वक अर्ज कर रहा था, कि सेक्रेटेरियेट में जो प्रशासन की व्यवस्था है उसके बारे में कुछ बातें रख रहा था। मैंने यह बतलाया कि हमारे यहां जो व्यवस्था है उसके बारे में कई उदाहरण दिये जा सकते हैं और उदा-

(श्री मूलचन्द डागा)

हरण की गिनती गिनाई जा सकती है लेकिन उसके लिये समय चाहिये। मैं अपने थोड़े से समय में कुछ मोटी-मोटी बातें बतलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पाली में बांगड़ हाई स्कूल है। उसमें मैट्रिक के स्टूडेन्ट्स को पढ़ाने के लिये साइन्स टीचर ७ महीनों तक मौजूद नहीं था और जब आखिर में छुट्टियां हो रही थीं तब ६ दिन में सारी फिजिक्स पढ़ाने के लिये एक शिक्षक मुकर्रर किया गया और वह ६ दिन में सारी फिजिक्स पढ़ा कर चला जाता है। जो छात्र अच्छी तरह से पढ़ना चाहते थे उनके लिये व्यवस्था यह हुई कि साल भर तक साइन्स टीचर नहीं था और ६ दिन मे सारा कोर्स खत्म करा दिया गया। आप समझ सकते हैं कि छोटे-छोटे बालक ६ दिन में किस तरह से सारे फिजिक्स के कोर्स को पढ़ सकते हैं। या तो यह समझना चाहिये कि शिक्षा की इतनी प्रगति हुई है या या लड़कों की बुद्धि इतनी तीव्र हो चुकी है कि वे साल भर का कोर्स ६ दिन में खत्म कर सकते हैं। मैंने एक नमूना आपके सामने रखा।

अव्यवस्था नाम की कोई चीज़ यदि हमारे प्रशासन में कहीं है तो मैं समझता हूं पांव तोड़ कर सेक्रेटेरियेट में घुस गई है, इसलिये लोग कहते हैं और मुझे भी कहना पड़ेगा कि सेक्रेटेरियेट एक घना जंगल है और वहां पर जो मोमबत्ती जलाते हैं वे कुछ देख सकते हैं, कुछ रोशनी का प्रकाश पड़ सकता है। बाकी सारे सेक्रेटेरियेट में अन्ध- है और घना जंगल है। जो आदमी वहां पर अरमान लेकर जाता है वहां पर उसके अनुमानों की होली खेली जाती है या जनता के अरमानों की होली खेली जाती है और राजस्थान सरकार के प्रति लोगों के जो घृणा के भाव हैं उन्हें हमें सुनना पड़ता है। मैं समझता हूं हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम इस अन्धकार को दूर करें। ऊंचे वेतन पाने वाले जो अधिकारी हैं वे आरामतलब होकर न बैठ जांय। उनको इसके लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये। यदि उनके द्वारा प्रयत्न किया जाय तो कागज ऊपर चले आवें और उनके चलने के लिये साफ सुथरी सड़कों का निर्माण होना चाहिये, और उन पर होकर कागज जल्दी से जल्दी निकलने चाहिये। लेकिन मुझे पता नहीं, आपके ये प्रयत्न कैसे पनप सकते हैं। हमें दुनियां में बुरे आदमियों की बुराई से इतनी परेशानी नहीं जितनी भले आदमियों की कमजोरी से परेशानी है। हमें यह देखना है कि सेक्रेटेरियेट के इन अधिकारियों में भलाई कितनी है और उसके कारण दुनियां में ईमानदार आदमियों को देखा है। हम यह नहीं चाहते कि आज डेमोक्रेसी या प्रजातन्त्र के जमाने में इस प्रकार की भलाई के आगे सारी बुराई ऊंची जा रही है और इस मार्ग से आप दूर नहीं जा सकते। इसके कारण क्या है? इसका कारण यह है हमारा कर्त्तव्य जागृत नहीं है। यह जो घना जंगल है इसे हमें साफ करना चाहिये। एक बात यह है कि जहां कहीं भी सरकार और जन साधारण में भेद हो जाता है वहां यह समझना चाहिये कि प्रजातन्त्र में घुन लग गया है और एक बात साफ है, यदि सरकार और प्रजातन्त्र में आपस में भेद है तो वहां पर स्वच्छ प्रजातंत्र पनप नहीं सकता और प्रजातन्त्र में घुन लगा रहेगा। राज्य शासन में बैठनेवाले जनता को नीचा समझते हैं। किसी एम. एल. ए.

(श्री मूलचन्द डागा)

से बात करते हुए कोई अधिकारी, क्लर्क, हवलदार, पटवारी चमकते हैं। वहां की गुप्त बातें सेक्रेटेरियट के बाहर कैसे जाती हैं और लोगों ने डॉक्युमेंट्स कहां से पेश किये। मुझे दु:ख है कि अभी जब कि विनोबाजी का सर्वोदय मेला अजमेर में होने जा रहा है तब आप सारी बातें छिपाना चाहते हैं वहां लोक राज्य कैसे पनप सकता है? स्वस्थ्य लोक राज में जहां जन-साधारण और सरकार में भेद होता है, वह लोक राज पनप नहीं सकता। जहां आप अपने भेद छुपाना चाहते हैं, एस. डी. ओ. तहसीलदार और कोई गजेटेड ऑफिसर आपके सामने अपनी बात नहीं रख सकता कि मेरे साथ ये-ये खराबी हुई है, वह डरता है कि अगर उसने किसी एम. एल. ए. के सामने यह बात रखी और अध्यक्ष के सामने सवाल आयेगा, तो मन्त्री लोग हमारा धुंआं निकाल देंगे, सेक्रेटरी नाराज हो जायेंगे, यदि एम. एल. ए. से बात कर ली तो, यह है प्रजातन्त्र। या तो हमें संत विनोबा के इरादों का आदर करना चाहिये, जहां साफ कहा है कि हम सेठों के गुमाश्ते हैं, पर आज तो दुनियां उल्टी चल रही है, गुमाश्ते राज करते हैं और सेठ बाहर खड़े रहते हैं, चिक के पास। यदि जन साधारण और सरकार में भेद है, दरार है तो वह दरार तोड़ दी जायगी, और बीच में बैठने वाले लोग हैं वे भूल जांय इस तरह के रवैये को। जन साधारण की वाणी ईश्वर की वाणी होती है। शासन करने वाले जो लोग हैं, उनका ओहदा जनता से नीचा है। यह गुप्त आज्ञाएं निकालना कि कोई एम. एल. ए. से बात न करें। मैं कहता हूं कि एम. एल. एज. का फर्ज है कि, सबकी बातें सुनें और सबका प्रतिनिधित्व करें, यदि चुनाव में आने के बाद हम से बात नहीं होती है, तो मैं कहूंगा कि मतलब के जनतन्त्र के आगे बढ़ने में जनतन्त्र के पनपने में बाधा होती है। एम. एल. एज. की पोज़ीशन मन्त्रियों से बड़ी है, मन्त्री लोग तो गुमाश्ते हो गये हैं। इसी लिये यह क्विश्चन आवर रखा गया है, क्विश्चन आवर में मन्त्रियों से तरह-तरह के क्विश्चन जासकारी के लिये क्विश्चन पर क्विश्चन पूछते हैं। जनलेखा समिति के रिपोर्ट में सेक्रेटेरियेट की अव्यवस्था का वर्णन किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय आज्ञा देते हैं कि तुम्हें ५ मिनिट में अपना भाषण खत्म करना होगा...

(हंसी)

मुझे खेद है कि मैंने अभी अभिभाषण कह दिया। सेक्रेटेरियेट की अव्यवस्था और अनियमितताओं के लिये पी. ए. सी. की रिपोर्ट में लिखा हुआ है।

परिणाम यह हुआ कि सामान की खरीद से न केवल अनेकों प्रकार की अनियमितताएं अभी तक जारी ही हैं, अपितु अभी ऐसे विभाग हैं जिनकी अनियमितताओं के बारे में, जो वे करते आये हैं, इस समिति के ध्यान में अनेक बार ऐसे विभाग आये हैं, जिन्होंने समिति के सभापति की सिफारिशों और सरकार के बनाये हुए नियमों के बावजूद भी सामान खरीदने में नियमों का उल्लंघन किया है और सामान्य पद्धति का पालन नहीं किया है। मै इसी एक पेज पर क्या पढ़ कर सुनाऊं किताब पर निशान लगे हैं उन सबको आप पढ़े तो पता चलेगा कि सारी जनलेखा समितियां जो ५२ से चलती अपनी रिपोर्टों में लिखा है; पर मजबूत है सेक्रेटेरियेट। किसको

Page No.28

(श्री मूलचन्द डागा)

फुरसत पड़ी है जनलेखा समिति और और समितियों की रिपोर्ट पढ़ने की, हमारे यहां तो कागजों का ढ़ेर लगा हुआ है, चाहे हम गला फाड़ फाड़ कर बोलें, उसका असर होता नहीं दिखता ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन में अव्यवस्था है उसके कारण सरकार जो करोड़ों की सम्पदा खर्च करना चाहती है, जनता में नया रूप लाना चाहती है, पर दूसरी और प्रशासन में अव्यवस्था होती है तो हमारी सारी इच्छाएं, कामनाएं फलवती नहीं होती ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : कृपया ५ मिनिट में अपना भाषण समाप्त करें और कोई खास आग्युमेंट हो तो दें ।

श्री मूलचन्द डागा : ठीक ५ मिनट में मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा ।

राजकीय प्रवास भवन में कुछ समय पहले समाज कल्याण सप्ताह का समारोह देखा । हमारा सौभाग्य समझिये, या दुर्भाग्य कुछ और समझिये, मैं भी वहां चला गया, वहां पर एम.एल.एज.थे, कांग्रेसी एम.एल.एज. थे उन्होंने इस प्रकार से समाज कल्याण विभाग की धज्जियां उड़ाई, श्रीजयचन्द मोहिल एम.एल.ए. हैं, उनका दृष्टिकोण इस प्रकार का निकलता है । श्री महादेव प्रसाद बंका हैं वे इस प्रकार बोलते हैं । मालूम हुआ कि वे नहीं बोलते, हमारा समाज कल्याण विभाग का प्रदर्शन था वह केवल दिखावा था, यह एक ऐसा महकमा है जिसमें हजारों रुपयों की बरबादी होती है और गरीब जनता ऊपर नहीं उठती है । २०० रुपयों में कुएं खुदवा दिये जायेंगे, मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में देखा है, चार-चार फिट गहरे खड्डे २०० रुपयों में खोद-खोद कर छोड़ दिये गये...

उप-मंत्री (समाज कल्याण विभाग श्री भीखाभाई) : On a point of information Sir. May I know to which grant he refers The amount of Rs. 200/ only ?

श्री मूलचन्द डागा : मेरे यहां पाली तहसील में मंडली गांव है, उसमें समाज-कल्याण विभाग की ओर से गरीब आदमियों को कुएं खुदवाने के लिये २०० रुपये दिये गये और वे खड्डे आज भी मौजूद हैं ।

श्री भीखाभाई : Does he mean drinking water wells or irrigation water wells ?

श्री मूलचन्द डागा : खेती के लिये नहीं कुओं के लिये पैसे दिये और समाज कल्याण विभाग ने दिये । कोई बात कहने के पहले एम. एल. ए. जांच कर लेता है कि वह बात सही है कि नहीं । समाज कल्याण विभाग का नमूना आपको देखना है तो सोजत की सड़क पर देखिये, जहां मकान बनाने के लिये तीन-तीन सौ रुपया दिया गया है, गाड़ोलिये लौहारों को तीन-तीन सौ रुपया मकान बनाने के लिये दिया गया है, जो सब रुपया बेकार गया है । जो राजस्थान की इस सड़क पर से निकलते हैं, वे रुपयों की इस प्रकार की गई बरबादी को देख कर राजस्थान के समाज कल्याण विभाग की तारीफ करते हैं । हम चाहते हैं कि हमारी दौलत का ठीक तरह से उपयोग हो, आपकी रिपोर्टों में

(श्री मूलचन्द डागा)

लिखा हुआ है कि अव्यवस्था और अनियमितता के कारण धनराशि का दुरुपयोग हुआ है। समाज कल्याण विभाग और अलग अलग छोटे-छोटे महकमों में जिनमें धनराशि का वितरण हुआ, उस धन राशि का ठीक उपयोग नहीं हुआ, यह प्रशासनिक अव्यवस्था की ओर संकेत करता है।

बस मैं इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। एक बात जरूर है कि मेरे दिल में भी इस बात के लिये आशा जरूर है और जब तक जीवन पर आशा की मदिरा छाई रहती है, तो जीवन बहुत मधुर रहता है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखते हुए प्रस्तावक महोदय ने कहा है, उसमें मैं भी अपना समर्थन जोड़ देता हूं।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदद, राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और जिन महाशय ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उन्होंने स्वयं ने एक प्रस्ताव में एक शब्द कहा और यह कहा कि मैं इस प्रकार की प्रथा है उसको निभाऊं, इसलिये में धन्यवाद देता हूं। मैं पुरानी जो प्रथा है उसको निभाने वाली चीज को अच्छा नहीं समझता। मैं यह समझता हूं कि जो काम पहले हो गये, आगे के काम क्या है? अगर पहले वाले काम धरती के लोगों के जीवन को छूता है, उनके जीवन के विकास में सहयोग देता है और उसके साथ ही साथ आगे आने वाली योजनाएं हैं। दूसरी बात वह कहां तक इस धरती के रहने वाले लोगों के जीवन को कहां तक लाभ पहुँचावेगी और उनके स्तर को ऊंचा नहीं उठाता और नीचे गिराता हुआ अगर मैं देखता हूं तो मैं खुद धन्यवाद देने के लिये तैयार नहीं हो सकता हूं। परन्तु मैं देखता हूँ कि जो पहले साल बीते उसमें जो–जो बातें राज्यपाल महोदय ने रखी वे कहां तक पूरी हुई, उसके बाद में दूसरे साल में जो बातें रखी हैं वे आप धरती को छूने वाली हैं या नहीं या हवा में हीं उड़ने वाली हैं। अगर वे धरती को छूने वाली है और लोगों के जीवन पर असर डालती है तो हमें धन्यवाद देना चाहिये और अगर हवा में ही उड़ने वाली है तो हवा में ही उड़ने देना चाहिये और धन्यवाद नहीं देना चाहिये। मगर मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जो भी भाषण है उससे किसी प्रकार की प्रेरणा मुझे नहीं मिलती। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले साल लोगों के जीवन में कोई नया जीवन नहीं फूंक सके और लोगों को कोई लाभ नही मिल सकता क्योंकि उनके भाषण की, जो हर आदमी के हर पहलू को छूनेवाला होना चाहिये नही समझता। इसलिये राज्यप्रमुख महोदय का जो भाषण है उनके लिये धन्यवाद का जो प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं और उसका कारण है। मैं मानता हूं कि हर मनुष्य को किसी चीज की जरूरत होती है। उनके जीवन में क्या–क्या दिक्कतें होती है और उनको पूरी की जानी चाहिये। हर मनुष्य को तीन चीजों की आवश्यकता रहती है। हर आदमी यह चाहता है कि उसको भर पेट रोटी मिले,

(श्री मुरलीधर व्यास)

अच्छा अनाज मिले । दूसरी बात वह यह चाहता है कि उसको न्याय मिले और तीसरी बात वह यह चाहता है कि उसको सुरक्षा मिले । ये तीन बुनियादी मूल भूत चीजें मनुष्य को चाहिये, ये तीनों चीजें मनुष्य को कहां तक मिलती है पहले मिली है और आने वाले समय में मिलेगी इन बातों पर हमें गहराई से विचार करना होगा और देखना होगा । अगर हमें इन तीनों चीजों को दे दी जाती है और प्रथा के अनुसार धन्यवाद के लिये खड़े हो जाते हैं तो धन्यवाद दे सकते हैं अन्यथा हम धन्यवाद नहीं दे सकते । आप राज्य के लोगों की रक्षा नहीं कर सकते । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले साल जब राज्यपाल-महोदय ने भाषण दिया उस समय अच्छे शब्दों में कहा था कि देश में अच्छी शांति रही है । मैं यह कहना चाहता हूं कि शांति का आखिर मतलब क्या लेते हैं । कुछ डाके-कम हुए । कुछ चोरियें कम हुई । इन बातों के कहने से शांति का मतलब हल नहीं होता । मान लें कि पहले जितने डाके नहीं होते । डाकों में कमी हुई है परन्तु उसके साथ ही साथ आज जो व्यवस्था है और जिस प्रकार के डाके डाले जा रहे हैं उसमें परिवर्तन आया है । मैं राज्य सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि आज भी राज्य की सीमा पर जहां पर भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है वहां किसी आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं है । आज़ भी वहां पर बराबर घटनाएं होती रहती हैं । उनके लड़के और लड़कियें उड़ाये जाते हैं । पाकिस्तान के लोग सीमा में आकर मन माने ढंग से जानवरों को लेकर चले जाते हैं । उन लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है । ऐसी कई घटनाएं हुई हैं । आज भी बालासर, व बीकानेर के आस पास विजयसिंह नाम के डाकू ने कई घटनाएं की है । ये जो घटनाएं हुई और जिन लोगों के लड़के लड़कियें उड़ाये गये उनकी पुलिस किसी तरह से सहायता नहीं कर सकती । अगर उसके लड़के या लड़की को उनके किसी रिश्तेदार को लाना है तो उसी सीमा पर बैठने वाले व्यक्ति के पास पैसा देना पड़ता है और पैसा देकर उनको लाते है । हमारी राज्य सरकार की कोई सामर्थ नहीं कि वह उनके लड़के लड़कियों को वापस ला पाए । दूसरी खास बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सीमाओं पर कोई शांति नहीं है । पाकिस्तान के लोग मनमाने तरीके से हमला करते हैं । इससे पहले भी जो जैसलमेर के थे इसके शिकार हुए । यह जो घटनाएं हैं उनको देखना चाहिये । आज मैं यह कहना चाहता हूं, राज्य सरकार माने या न माने किसी भी समय सीमा पर रहने वालों की जिन्दगी खतरे में हो सकती है । सीमा पर राज्य सरकार को गहराई से देखना चाहिये और पता लगाना चाहिये कि वहां पर किस प्रकार की सुरक्षा है और किस प्रकार से तस्कर व्यापार होता है । कौन लोग तस्कर व्यापार करते हैं । वे लोग पाकिस्तान के लोगों से मिल कर इस प्रकार का व्यापार करते हैं । हमारे अधिकारी मिल कर इस प्रकार का व्यापार करते हैं और उन लोगों से सम्बन्ध जोड़ते हैं तो आगे चलकर राजस्थान सरकार को उन लोगों से जो पाकिस्तान के लोगों से सम्बन्ध जोड़ते हैं और तस्कर व्यापार करते है हमारे इस राज्य को भी कभी भी खतरा पैदा कर सकते हैं । ऐसी घटनाओं की सूचना आपके पास आई है । इसमें ऐसे लोग हैं जो हमारे राज्य के सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं

Page No.31

(श्री मुरलीधर व्यास)

जो तस्कर व्यापार में उन लोगों से मिल कर भाग लेते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बात का पता लगाया जावे कि वाकई में ऐसे लोग भी हैं। इस प्रकार की बात भी मालूम हुई है कि उनके खिलाफ मुकदमें भी चले हैं। कांग्रेस के हैं और गिरफ्तार भी हुए हैं। इस बात पर कांग्रेस को चाहिये कि उनको कांग्रेस से हटायें। जिन लोगों ने मुल्क के लिये कुरबानियें की वे ही लोग आज इस तरह से करें, तो यह एक बहुत गंभीर चीज है। इस पर ध्यान देना चाहिये। हमारी सीमा पर कभी भी खतरा हो सकता है। मैंने भी बड़े-बड़े ऑफिसरों से बातचीत की और मेरा पक्का ध्यान है कि वहां पर खतरा है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। इस प्रकार की अनेक घटनाएं दूसरे स्थानों पर भी घटी हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके (सुरक्षा) के अलावा सरकार का दूसरा काम यह भी है कि राज्य के लोगों को जहां तक हमारे नागरिक अधिकारों का प्रश्न है, सरकार के अधिकारी किस हद तक रक्षा करते हैं। यदि वे नहीं करते तो सरकार को उनके प्रति कदम उठाने चाहिये। मैं यह कहूंगा कि अधिकारी हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करते। यह सारे इलाकों में बुरी तरह से फैला है कि आज जो भी अधिकारी की खिलाफत करता है या उसकी बुराइयों की खिलाफत करता है उसको फांस लिया जाता है। मैं इसका उदाहरण दूंगा कि प्रतापगढ़ में पुलिस के अधिकारियों ने इस प्रकार की घटना की है। एक व्यक्ति उनकी शिकायत कमिश्नर के पास जाकर करता है। वहां पर कुछ गांवों में पाला और कुछ दूसरे गांव हैं वहां के पुलिस के अधिकारियों ने यह कहा कि इस क्षेत्र में एक गुन्डा है उसको आपने छुपा रखा है। इस बात पर सारे गांव के लोगों को बुरी तरह से मारा और बुरी तरह से पीटना शुरू किया और यहां तक व्यवहार किया कि जीवनी नामक एक स्त्री के साथ बलात्कार किया और उसने यह बयान दिये हैं। इस घटना से प्रतापगढ़ में रहने वाले सारे लोग निकल कर चले गये। गांव उजड़ गया। मनमाने तरीके से पुलिस ने वहां पर मार-पीट की। डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस श्री पंत ने यह कह कर कि मैं तो स्वयं पंतजी का भेजा हुआ आदमी हूं, उन्होंने मनमाने तरीके से उन आदमियों के साथ जुल्म किया। इतना ही नहीं जब सारी इन घटनाओं को लेकर बलवीरसिंह नामक या बलदेवसिंह नामक व्यक्ति ने कमिश्नर को शिकायत की तो एस. डी. ओ. को इन्क्वायरी के लिये भेजा वहां पर, वे लोग पुलिस के जिन्होंने अत्याचार किया था उनके साथ आये। वह स्त्री गवाही देती है। मैं यह कहूंगा कि जिनके घर उजड़ गये उनके घर के माल और असबाब को भी पुलिस वाले ले गये। यहां तक को खाने पीने का सामान आदि सब छीन लिया और इस प्रकार की स्थिति पैदा की और जब शिकायत की, वहां पर गये, तो उनके सामने ही उसको मारते हैं और कहते है कि शिकायत क्यों की? इसको कौन सुरक्षा की स्थिति कहेगा। क्या इसको सुरक्षा की स्थिति कहा जाय? बलदेवसिंह ने शिकायत की तो उसके खिलाफ पुलिस कानूनी कार्यवाही अलग करती है, जब वह हाजिर नहीं होता है, तो यह कह कर कि फरार हो गया है उसकी दूकान और घर पर हमला होता है,

(श्री मुरलीधर व्यास)

जब दूकान के पास ही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का दफ़्तर है, मोटर यूनियन का दफ़्तर हो, २६ तारीख को कानूनी कार्यवाही की, और ३० तारीख को प्रतापगढ़ के अन्दर जाकर...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : इसके बाबत मुकदमा चल रहा है क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : कोई मुकदमा नहीं चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : Is it subjudice or what ? मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस तरह अमुक घटना के बारे में शिकायत करना चाहें तो मुख्य मंत्री जी को या सम्बन्धित मंत्री महोदय को लिख कर पहले दे दें ताकि उस सम्बन्ध में वे अपना वक्तव्य दे सकें, क्योंकि एक दम तो इस प्रकार से उत्तर नहीं दिया जा सकता । एक ऐसा नियम बना सकते हैं, नियम नहीं तो अनौपाचारिक रूप में तय कर लें कि कोई माननीय सदस्य यदि निश्चित सूचना या इन्स्टान्स देना चाहें तो उसको भाषण से पहले दे दे या फिर भाषण देते समय भी दे सकते हैं और उत्तर भी दिया जा सकता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : सूचित किया है इसके बारे में । सारी बातों की जांच हो, फिर भी ऐसा है जो वहां पर घटना हुई है मैं आपके सामने कहना चाहता था कि वहां पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का झंडा था, दफ्तर था पार्टी का । पुलिस के अधिकारी ने प्रजासोशलिस्ट पार्टी का वहां दफ़्तर होते हुए, पार्टी का वहां पर झंडा लगा हुआ था, और झंडे के होने पर, बोर्ड होने पर भी कोई परवाह नहीं की और यहां तक किया कि झंडे और बोर्ड को ठोकरों से मार कर गिरा दिया ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): क्या आप मौजूद थे ? किसी के कहने पर या सुनने से ही आप कह रहे हैं ? क्या आपने जानकारी की ? क्या सबूत हैं

श्री मुरलीधर व्यास : यह सरकार का काम है कि उसका पता लगाये ।

श्री ज्वालाप्रसाद : फिर आप किस आधार पर यह कह रहे हैं, क्या कोई तार आया, कोई चिट्ठी आई, क्या एलान हुआ ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने उन सारे मुद्दों को अलग हटा कर जो पार्टी के झंडे और बोर्ड को ठोकरें लगाई गई, उसके सम्बन्ध में कहा । यदि किसी पार्टी के झंडे और बोर्ड को इस जनतन्त्र के अन्दर सरकार के अधिकारी ठोकरें मारें और उसके लिए कार्यवाही न हो तो मैं समझता हूँ कि यह पार्टी का अपमान ही नहीं किन्तु जनतन्त्र का खून है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये । चाहे कांग्रेस का झंडा हो, चाहे किसी दूसरी पार्टी का झन्डा हो, वे राष्ट्रीय झंडे हैं, जनतन्त्र में हर पार्टी की अलग अलग व्यवस्था है और इस डेमोक्रेसी में उसकी रक्षा और सम्मान होना चाहिये ।

श्री ज्वालाप्रसाद : क्या कोई सबूत है इस बात का कि अधिकारी ने मारी ?

श्री अध्यक्ष : Please do not disturb.

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने ये बातें

(श्री मुरलीधर व्यास)

कहीं हैं, झंडे को हटाने की, बोर्ड को हटाने की और ठोकरें मारने की, दफ्तर को हटाने की, इस प्रकार की घटनायें हुई हैं, अगर नहीं हुई हैं तो कार्यवाही भी की जाय, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उस अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपसे जानना चाहता था कि वह दफ्तर किसी मकान में था या दूकान में या किसी अन्य जगह ?

श्री मुरलीधर व्यास : वह मकान दफ्तर के कार्यालय के लिए लिया हुआ था, पार्टी, किसी मकान को किराये पर ले सकती है। यदि किसी एक आदमी ने कोई बात की है तो किसी पार्टी का दफ्तर उजाड़ दें और उसके झंडे को लेकर घूमे और कहे कि प्रजा-समाजवादी पार्टी का यह हाल हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी भी इस बात को ठीक समझते हैं तो ठीक है, गृह मंत्रीजी भी ठीक समझते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं उनको यह कहना अवश्य चाहूँगा कि यदि इस जनतन्त्र में कोई अधिकारी या और कोई ऐसा करता है तो मैं उनको अपील करना चाहूँगा कि आप छानबीन करिये और ठोस कदम उठाना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन्होंने, जानकारी दी है, घटना घटने के बाद जिनके सामने घटना हुई है, डिविजनल कमिश्नर को जांच के आदेश दे दिये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इस घटना को अलग करता हूँ। मैने ये बातें आपके सामने कहीं। इसी प्रकार दूसरी बात है बसावा गांव की। एक आदमी जो जाति का मुसलमान था उसने गुन्डागर्दी की। वही पुलिस अधिकारी यहां पहुंचा और वहां जा कर ८५ और मुसलमान परिवार थे, उनको घर से बाहर निकाल कर, पहले सब लोगों को बुरी तरह से पीटा जिससे हर आदमी के शरीर पर भयानक चोटें आयीं और उस अधिकारी ने उस ८५ मुसलमान परिवार से कहा कि एक कतार में खड़े हो कर एक आदमी एक दूसरे के पांच पांच जूते लगाओ, पांच पांच जूते नहीं लगाते जब तक मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। उन लोगों ने कतार में खड़े होकर एक दूसरे के पांच पांच जूते लगाये। आप जाकर यदि प्रमाण चाहते हैं तो उनसे पूछिये एक आदमी ने, जो मुसलमान है जाति का, उसने कोई कसूर किया और सजा दे रहे हैं सारे मुसलमान ८५ परिवार को, एक आदमी के कसूर से क्या सारी मुसलमान जाती ने कसूर कर लिया, कसूर किया तो कानून उसके लिए है, हमारे इस जनतन्त्र में ऐसी घटना होती है, इस सेकुलर स्टेट में ऐसी घटना होती है तो मैं उसको बुरा समझता हूँ। उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये जिस अधिकारी ने यह किया। ये छोटी मोटी घटनायें नहीं फिर क्या सुरक्षा रही, क्या सेकुलर स्टेट रही, क्या सुविधा दे रहे हैं, इस जनतन्त्रीय सरकार से ? आपको इन घटनाओं पर सोचना चाहिये। अगर हर ओफिसर मन माने तरीके से किसी को पकड़ लेगा और इस प्रकार बेइज्जती करेगा, मारेगें तो क्या सुरक्षा है इस जनतन्त्र में आदमी की ? मैं आपको एक घटना और बताता हूँ। एक आदमी को जबरदस्ती बुलाया, और उसको कहा कि तुम्हारे खिलाफ बहुतसी शिकायतें हैं, उसके

(श्री मुरलीधर व्यास)

हथकड़ी लगाई, दूसरे गांव उसको जाना था, हथकड़ी लगाने पर खुद तो ऊंट पर बैठ गया, उस आदमी को, ऊंट को खुद दौड़ा कर हथकड़ी सहित पैदल ले गया, वह ऊंट पर बैठा ऊंट को दौड़ा रहा है, और उस आदमी को जिसके हथकड़ी लगी हुई, दौड़ाता हुआ ले जा रहा है, और वह भी छः मील तक। ऊंट दौड़ रहा है और उसके पीछे वह दौड़ रहा है किसी कॉनिस्टेबिल ने किया हो, कोई पार्टी का आदमी हो। विरोधीपक्ष को दबाने के लिए या विरोधी पार्टी को दबाने के लिए इस प्रकार आपके सरकारी अधिकारी करते हैं, आदमियों की कैसे रक्षा हो, उनकी फिर क्या सुरक्षा है। इस जनतन्त्र में जिसकी रक्षा का उत्तर दायित्व आप पर है, आपके अधिकारी इस प्रकार करते हैं तो क्या सुरक्षा हुई। नियम और कानून के अनुसार काम करना चाहिये। यह कहे कि सुरक्षा है कि इस जनतन्त्र में मन माने तरीके से पीटे, मारें,? हर आदमी की सुरक्षा के लिए उतरदायित्व आप पर है। मैं नहीं समझता कि भील क्षेत्र से आये और मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया में जनतन्त्रीय स्थिति का जहां तक ताल्लुक है कोई फर्क नहीं हैं, वे भी चुन कर आये एम. एल. ए. और मुख्य मंत्री जी भी। लेकिन हीरजी भाई के उदयपुर में हथकड़ी लगा कर बीमारी की हालत के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान को लेजाया गया, मैं कहता हूँ कि यह जनतन्त्र के खिलाफ है। आखिर उन्होंने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला। सदन का एक सदस्य, जो आदमी बीमार है, जेल में है, उसको जेल से हथकड़ी लगा कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाय, क्या यह जनतन्त्र के खिलाफ़ नहीं है? मुख्य मंत्री और हीरजी भाई जो सदन के सदस्य हैं दोनों में क्या अन्तर है? कल वे मुख्य मंत्री बने, तो आपकी और उनकी हैसियत में क्या फर्क होगा? आपके नाथद्वारा कांड में जो घटनायें घटी हैं, लाखों रुपयों के इधर उधर होने का आप पर इल्ज़ाम लगाया गया है, आपको उसमें शरीक किया गया है, आपके भी हथकड़ी लगाई जा सकती थी मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। हो तो दोनों के बराबर हो सब को समान रूप से देखना चाहिये। आम लोगों के अन्दर इस प्रकार का वातावरण पैदा करने के लिये उनको डराया जाता है। ताकि दूसरे लोगों में यह वातावरण फैले कि विरोधी दल के साथ कैसा वर्ताव होता है यह कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे राज्यपाल यहां राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं और राष्ट्रपति इस गण राज्य के रक्षक हैं यह राज्यपाल का कर्तव्य है कि वह देखे उनके राज्य में कहां गणतंत्र विरोधी कार्यवाहियां होती है। हमारे यहां गणराज्य का प्रतीक राज्यपाल है इसलिये राज्यपाल महोदय के भाषण में जिन-जिन घटनाओं का ज़िक्र किया गया है वे बड़ी भयानक घटनायें हैं। राज्यपाल महोदय को इन सबके लिये सोचना चाहिये अगर उनके राज्य में इस प्रकार की बातें विरोधी दल के लोगों के साथ होती है, तो यह जनतन्त्र के लिये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इस राज्य में गणतन्त्र की स्थापना हमारे राज्यपाल महोदय का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिये। सरकार से उनको पूछना चाहिये इस प्रकार जो कानून विरोधी कार्यवाहियां होती हैं वे क्यों होती हैं इतना ही मैं सुरक्षा के बारे में कहना चाहता हूं।

अब मैं पंचायत क्षेत्र में जो जो घटनायें

(श्री मुरलीधर व्यास)

होती है उन पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। इसके बारे में करीब–करीब सभी लोगों ने कुछ कुछ प्रकाश डाला है। अभी–अभी का किस्सा है डूमला में पंचायत का चुनाव हुआ जब वे पंचायत का चार्ज लेने गये तो वहां के पुलिस वाले मिल करके वहां के अधिकारियों ने उनको चार्ज नहीं दिलवाया क्योंकि वे विरोधी दल के थे और यही नहीं उनके खिलाफ़ धारा १४७ में मुकद्मे तक दर्ज कर दिये थे ऐसी घटनायें है जिनको गहराई के साथ देखी जानी चाहिये।

अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ४७ व्यक्तियों पर मुकद्मा चलाया गया, वैसे भी आप लोगों का सभी पंचायतों में बहुमत है अगर दो चार पंचायतों में विरोधी दल आ जाता है, तो आपको उन्हें अधिकार सौंपने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। आप एक तरफ तो जनतन्त्रात्मक समाजवाद की रचना करना चाहते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण इतना विशाल नहीं हो पाया कि दस पांच पंचायतों में भी आप विरोधी लोगों को आने देना नहीं चाहते। इसी प्रकार खेवड़ा की पंचायत है जहां पर सरकारी कर्मचारियों ने उन पंचायतों को चार्ज लेने नहीं दिया, फिर हाई कोर्ट में वह मामला चला और उसके फैसले के बाद फिर उनको चार्ज दिया गया। इस प्रकार जनतन्त्रात्मक इकाइयों में जो इस प्रकार का कार्य हो रहा है वह बड़ा गम्भीर खतरा है। आज मान लीजिये पांच साल के बाद चुनाव हो, और उस चुनाव में सुखाड़ियाजी की पार्टी नहीं आ सके, और दूसरी पार्टी आ जाय और फिर उसके चार्ज लेने के लिये आने पर यह कहा जाय सुखाड़ियाजी की तरफ से कि मैं चार्ज नहीं देता क्या ये बातें जनतन्त्र में चल सकती हैं, कदापि नहीं। तो आज पंचायतें और म्युनिसिपैलिटियां जो जनतन्त्र की नींव है उनमें यदि इस प्रकार के कार्य होते हों वह कदापि उचित नहीं कहे जा सकते। यदि हम इस तरह की कार्यवाहियां करते रहेंगे, तो जनतन्त्र किस प्रकार चलेगा। मैं समझता हूँ इस प्रकार की घटनायें चाहे पंचायतों में हो, चाहे विधान सभा में हो इसमें मैं कोई फर्क नहीं मानता। ऐसे मामलों में हमें बहुत गम्भीरता से काम लेना चाहिये। इन पहलुओं पर मैंने इसलिये प्रकाश डाला कि मैं जनतन्त्र को एक बहुत बड़ी चीज़ समझता हूं जिसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है।

तीसरी बात जो हम चाहते हैं वह है अनाज। खाने के लिये जनता सस्ता और सुलभ अनाज चाहती है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है अनाज के संबन्ध में जो भी समस्यायें आयी, गतवर्ष हमने उसका सफलतापूर्वक मुकाबला किया और सस्ते अनाज की व्यवस्था की। मैं उसके लिये कहना चाहता हूं कि इस मामले के अन्दर राज्य सरकार ने बड़ी भारी गलती की और उसी कारण आम जनता को तकलीफ़ उठानी पड़ी। इस सबके लिये राज्य सरकार जिम्मेवार है, हमारा मंत्रिमंडल जिम्मेवार है। अगर हमारे मंत्रिमंडल में हिम्मत होती तो वे राजस्थान की स्थिति को सरकार के सामने रखते, उनका गुलाम नहीं बनते तो यह आपत्ति नहीं आती। वे राजस्थान के लोगों की सच्ची हालत को रखते तो आज राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता को जो मंहगाई का भयंकर सामना करना पड़ा वह नहीं करना पड़ता। इसका सबसे मुख्य कारण था हमारा जोन में

(श्री मुरलीधर व्यास)

शामिल होना और वह भी बम्बई और मध्यप्रदेश के साथ। अब हमारे मंत्रियों ने इस जोन में शामिल होना स्वीकार कर लिया तो लगातार यहां से अनाज बाहर जाने लगा। इस बारे में जब अनाज की बहुत किल्लत होने लगी उन दिनों मुख्य मंत्री महोदय ने अन्य पार्टी के लोगों को बुलाया और उनसे सलाह की उसमें मैं भी था। मैंने कहा जब तक आप इस जोन से अपने को अलग नहीं कर लेते आप अनाज की कमी को दूर नहीं कर सकते। और आखिरकार यही बात सही निकली। इतना होते हुए भी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार पर दबाव नहीं डाला। उन पर दबाव डालते तो शायद राजस्थान की जनता को यह संकट नहीं झेलना पड़ता।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वे लोग उँची बातें करते हैं किन्तु जहां तक अपने क्षेत्र का ताल्लुक है, हमारी आज़ादी का सवाल है, हमारे विधान में हमें अधिकार है कि हम अपने राज्य के लिये जो भी उचित कदम चाहें, उठा सकते हैं। राज की जनता के प्रति यह विधान सभा उत्तरदायी हैं, हमारा अनाज के मामले में हमारा अपना क्षेत्र हो, हम अपने तरीके से उसके लिये व्यवस्था कर सकते हैं। यह हमारा बुनियादी अधिकार है आप उन अधिकारों का प्रयोग नहीं करते तभी लोगों को तकलीफ में डाल देते हैं।

अब हमारा जोन अलग हो गया लेकिन कब हो गया जब कि गंगानगर के इलाके से अनाज बाहर चला जाता है। मुझे याद है इतना होते हुए भी हमारे मुख्य मन्त्री महोदय का एक स्टेटमेन्ट हमने पढ़ा हैं जिसमें उन्होंने कहा है हमने निकासी बन्द करदी, लेकिन अवस्था ऐसी भी आ सकती है हम चालू भी कर सकते हैं। अब आपने एक दफा निकासी बन्द करदी फिर इस प्रकार के स्टेटमेन्ट देने में क्या तथ्य है।

इसके अलावा जिन महानुभावों ने राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रक्खा है, उस पर बोलते हुए कहा है कि राजस्थान उस जोन के अन्दर नहीं है। उसका जोन अलग रहेगा, वह अपने जोन की व्यवस्था खुद करेगा। मैं फिर कहना चाहता हूं जैसा कि मैंने पहले कहा है अगर हमारी सरकार दृढ़ रही तो राजस्थान में अनाज की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सकती है, और यदि राजनैतिक बातों में पड़कर फिर कहीं ऊपर के लोगों को खुश करने की प्रवृत्ति हो गई जैसा कि अभी हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने चने के बारे में स्टेटमेन्ट दिया था कि हम राजस्थान से बाहर, बहुत चना दे सकते हैं। चना अगर ज्यादा है तो दीजिये लेकिन आखिर इस बारे में कोई नीति तो होनी चाहिये। आप गंगानगर के इलाके से दस रुपया मन चना खरीद कर सेन्टर को दे सकते हैं लेकिन यदि वही चना बीकानेर में आकर १८ रुपया मन में बिकता है तो उसका भी ख्याल करना चाहिये। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजस्थान की जनता को लाभ नहीं होगा। आज हमें यह हिसाब लगा लेना चाहिये कि राजस्थान में अनाज की उपज कितनी हैं और राजस्थान के लोगों को आवश्यकता कितने अनाज की है, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आप दूसरे राज्यों को दे, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होगा। इसके अलावा किसी बीज को मंगाना हो तो वह मंगाया जाना चाहिये। इसमें व्यापारियों को नुकसान हो सकता है किन्तु

(श्री मुरलीधर व्यास)

राज्य की जनता को काफ़ी आराम हो जायगा। अगर राज्य सरकार अनाज की व्यवस्था के अन्दर कोई नियन्त्रण नहीं रखती है तो आम लोगों को सस्ता अनाज नहीं मिल सकेगा। इसलिये हमें इस स्थिति का सामना करने के लिये अनाज को कब्जे में लेना चाहिये। इसके अगर विरोध में कोई कार्य करे तो वह इस नीति से मेल नहीं खाता। आखिर राज्य सरकार पर यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने राज्य के निवासियों को एक नियन्त्रित भाव के अन्दर अनाज उपलब्ध करे ताकि उनकी जिन्दगी शान्ति से चल सके। और इस काम को चलाने के लिये राज्य सरकार ने जो निश्चय किया है वह उत्तम है। इसमें व्यापार किस तरह से चलाया जावे इसमें मतभेद हो सकता है। मैं महसूस करता हूं। मेरे दिमाग में थोड़ा सा मतभेद है और वह यह है कि इसका संचालन सरकार अपने राज्य कर्मचारियों से न कराए। बल्कि राजस्थान के व्यापारियों को बुलाकर उनकी सहकारी समिति बनाकर इस व्यापार को करे और अपना उस पर नियन्त्रण और देखभाल रक्खे। इसमें सरकार के भी शेअर हों, दूसरों के भी हों। सरकार इस तरह नियन्त्रण रक्खे कि व्यापारी ईमानदारी से इस समस्या को हल करने में सरकार को सहयोग दें। अगर आपने सारा काम सरकारी कर्मचारियों के हाथ में दे दिया तो यह समाजवादी तरीका भी नहीं होगा। और हर आदमी को जो इसमें सहयोग देने का मौका मिलना चाहिये वह भी नहीं मिलेगा, और सरकारी आदमियों की जैसी मनोवृत्ति होती है, उनकी गड़-बड़ियां भी चालू होंगी।

इसके अतिरिक्त मैं दूसरी बात रखना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : कृपया जल्दी से अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर यह काम सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया गया तो कामयाब नहीं होगा। ये सरकारी अधिकारी अपने चरित की रक्षा नहीं कर सकते। इनका आचार और व्यवहार का कोड ऑफ कन्डेक्ट नहीं है, इसलिये कोई भी इनका काम सफल नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि आज राजस्थान में यह सबसे बड़ी दुखद स्थिति है। मैं एक उदाहरण दूँ कि कैसे ये अधिकारी गण, जो सरकार राज्य में एक नीति अपनाना चाहती है, उसमें किस तरह से रोड़े अटकाते हैं और किस तरह से उसमें सहयोग की भावना से काम नहीं करते। और किस तरह से उसका अनुचित लाभ अपने व्यक्तिगत लाभ के रूप में उठाते हैं। आप लोगों की भावना को भी वे कैसे ठेस पहुँचाते हैं और अपने आपका मुनाफा किस प्रकार से करते हैं और सारी व्यवस्था को, सरकारी नीति को किस प्रकार से अड़चन में डालते हैं और जिस नीति को राज आगे ले जाना चाहता है, उसमें दिक्कतें पहुँचाते हैं।

एक घटना बीकानेर की है। वहां एक सब-रजिस्ट्रार महोदय हैं जिनका काम रजिस्ट्री करना है। रजिस्ट्री के कामों में किस प्रकार से विलम्ब किया जाता है, इसकी भी छानबीन की जावे। आठ-आठ महीने तक नहीं करते। इसके लिये जवाहरलालजी तक कहते हैं कि हर ढिलाई के पीछे भ्रष्टाचार कारण है, और इसकी छानबीन जरूर की जानी चाहिये। आपको पता होगा कि केन्द्रीय सरकार की ओर से जांच हो रही है एक इन्द्रकुमार

(श्री मुरलीधर व्यास)

बांठिया की जिनके खिलाफ ४२० की कार्यवाही का केस चल रहा है। उनकी मुख्त्यारी की इन सब रजिट्रार महोदय ने। मैं उस कार्यवाही और केस के मुतल्लिक कुछ नहीं कहना चाहता। पर उसका मुख्त्यार कौन बनता है। हमारे राज्य सरकार के सब रजिस्ट्रार और सेकन्ड क्लास मजिस्ट्रेट। एक जमीन को उसके बेनामे खरीद कर उसको दो आदमियों के नाम से बेच देते हैं। मुनाफ़ा खा लेते हैं। इस जमीन को इस प्रकार से करने के बाद में दूसरी जमीन अपनी स्त्री के नाम से खरीदी, विमला निर्मला देवी के नाम से। जो जमीन खरीदी, उसमें अटेस्ट आप ही करते हैं। खुद ही उसको लिखें और रजिस्ट्रार को लिखें और इसके बाद उसमें पति का नाम नहीं लिखकर बाप का नाम लिखा और इस तरह ५० एकड़ जमीन खरीद ली।

अब इस तरह से स्त्री भी किसान बनी। एक दफ्तर में बैठने वाला जमीन खरीद कर किसान बना। सरकार की नीति भूमिहीनों को और जो जोते उसको जमीन दी जावे इसमें सरकार का एक कर्मचारी इस तरह से सहयोग देता है। इसमें वह नीचे दस्तखत करता है पर तारीख नही लगाता और गुमानकंवरी के नाम से मुख्त्यारनामा अटेस्ट करता करता है। अब दूसरी जमीन और है। उस जमीन को लेने वाला प्रवीणचन्द। उन्हीं सब रजिस्ट्रार साहब का लड़का और वह सब रजिस्ट्रार का लड़का अपनी रजिस्ट्री कराता है तो रजिस्ट्री कराते समय जहां उसके बाप का नाम लिखा जाना चाहिये गार्जियनशिप में वहां बाप का नाम नहीं लिखकर मां का नाम लिखा जाता है पुत्र निर्मला देवी। पिता का नाम नहीं लिखा जाता और उसके बाद में...

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): शायद वह उनका नहीं हो तो।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : एक ही तारीख में दो जगह रजिस्ट्री होती हैं। कानूनन एस० डी० ओ० नार्थ के वहां रजिस्ट्री होती हैं और वहां उस दिन तीन रजिस्ट्रियां हुई भी पर फिर भी वहां रजिस्ट्री न कराकर इसकी रजिस्ट्री कराई गई एस० डी० ओ० साउथ के यहां। बीकानेर के इतिहास में यह पहली घटना है इस तरह की। एक ही दिन में दो अधिकारी एक घण्टे में हो सकते हैं। पर यह है हमारे अधिकारीवर्ग के कारनामे। मैं सरकार से कहता हूं कि इस तरह से कोई सरकारी अधिकारी सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति को गिराने की कोशिश करता है तो सरकार को चाहिये कि इसकी छानबीन करे। मैं सदन में एक फोटो कापी इसकी रखना चाहता हूं। आपको शंका हो मेरे कथन में तो यह फोटो कापी देख सकते हैं। जिसमें आप खुद देख लें कि रजिस्ट्रार ने खुद ने उसे लिखा है, खुद ने अटेस्टेड किया। मैं चाहता हूँ कि इसमें अगर सच्चाई हो तो सरकार इसकी जांच करे। यही नहीं उनके एक और भाई हैं। उनके नाम से जमीन ली। उसका नाम है हरप्रसाद। गुमानकंवरी के नाम से दरखास्त पेश होती है, फीस जमा होती है पर वह हाजिर नहीं होती और सारी कार्यवाही हो जाती है। विटनेस को लेकर दस्तखत भी करा लिये गये। तो अगर हमारे ये सरकारी कर्मचारी इस तरह से न्याय के आसन पर बैठकर भी काम कर लें तो...

राजस्वमन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को इसमें ऐतराज़ क्या है। क्या उनको प्रोपर्टी पर्चेज करने का अधिकार नहीं ? किसी के साथ बेईमानी की क्या ? देने वाले को बेचने वाले को कोई ऐतराज़ था क्या ? यह कहना कि उनकी औरत ने बच्चे ने या भाई ने जमीन खरीद ली तो यह तो कोई गुनाह नहीं है। उसने कहां अपनी ऑफिशियल कैपिटी का मिसयूज किया ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह कहना चाहता हूं कि तीन बातें अफ़सर की हैसियत से कीं। नियम साधारण सा है कि गुमानकंवरी का मुख्त्यारनामा पेश होता है और हाजिर नहीं होते हैं तो उस गुमानकंवरी के दस्तखत और बाद में खुद ने लिखा या नहीं, तारीख नीचे लगाई या नहीं और इसके साथ ही साथ हाज़िर थे या नहीं और अगर गैर हाज़िरी में इस प्रकार सारा काम ये करते हैं और इसके बाद में रजिस्ट्री उपयुक्त स्थान पर नार्थ में न कराकर साउथ में कराते हैं, और फिर आपकी नीति जो भूमि के बारे में है उसका क्या हाल हुआ। तो आखिर कोई भी कानून के मुताबिक काम होना तो चाहिये, जहां लड़के के बाप के नाम की जगह मां का नाम लिखाते हैं तो यह भी तो कुछ ठीक नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जानना चाहता हूं कि जो मुख्त्यारनामा दिया गया वह क्या इन्कार करता है जमीन बेचने वाला ?

श्री पुरुषोतमलाल शर्मा : पिटीशन राइटर का लाइसेन्स होता है और वह लाइसेन्स न होते हुए भी जो पिटीशन लिखी, इस प्रकार मिसयूज़ किया अपने ओहदे का। पिटीशन राइटर की फीस भी जमा होनी चाहिए वह फीस जमा नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि............

श्री दामोदरलाल व्यास : सिर्फ इस बात के अलावा कि पिटीशन राइटर का काम उसने खुद ने कर लिया इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : By obtaining a copy of it, it shows that it was a fishy transaction.

श्री दामोदरलाल व्यास : But who objected ? Has it been objected by the seller himself ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : खुद ऑफिसर होकर के पिटीशन राइटर का काम करे यह कहां तक ठीक है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तो ऐसी कौनसी इरेग्युलेरिटी हो गई ?

श्री मुरलीधर व्यास : एक दिन में एक रजिस्ट्रार.......

श्री दामोदरलाल व्यास : I wanted for my information and necessary action कि आप कहना क्या चाहते है सिवाय इसके कि पिटीशन राइटर का काम खुद ने कर लिया, इसके सिवाय उसने और कौन सा काम ऑफिशियल कैपेसिटी का मिसयूज़ करते हुए किया ?

श्री मुरलीधर व्यास : अगर एक ऑफिसर, इस प्रकार से एक सैकिण्ड क्लास मजिस्ट्रेट के काम करता है तो में यह काम उस ऑफिसर के कन्डक्ट के खिलाफ समझूंगा। अगर आप यह ठीक समझते हैं...

श्री दामोदरलाल व्यास : ठीक समझने की बात नहीं है। मैं तो आपसे एक इन्फोरमेशन लेना चाहता हूँ कि आखिर उसने ऐसा कौनसा काम किया जिसको आप गलत समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने इसके बारे में कई फैक्ट्स बताये और उन्होंने एक ऐसी तस्वीर खींचने की कोशिश कि शायद कुछ मामला गड़बड़ है तो आप (दामोदरलाल व्यास) उसकी जांच करालें और उसपर एक्शन लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने उसकी गलती जानने के लिए ही तो जानकारी चाही थी, कि ऐसी कौन सी बात है कि उसने अपनी औरत के नाम से या अपने लड़के के नाम से कोई प्रोपर्टी खरीद ली तो क्या गुनाह कर दिया, It is absolutely no restriction for a Government servant like that. ऐसी कौन सी बात है कि उसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी का मिसयूज़ किया, सिवाय इसके कि वह सेकिण्ड क्लास मजिस्ट्रेट है। He has to declare to the Government. If he has not done that, of course, that will be taken notice of...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : What was the necessity of changing by that Second Class Magistrate the guardianship of his wife and son ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It may be anything. he may have...

श्री श्रीभानसिंह : It proves the malafide of the officer.

श्री दामोदरलाल व्यास : What is malafide in it ? Who has been cheated ? Who has been deprived of the property ? Is there any complaint ?

एक माननीय सदस्य : The Hon. Member is complaining.

श्री दामोदरलाल व्यास : He cannot complain. He has no right over the property.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कम्पलेन्ट तो इसलिए ही आप से करता हूं कि आपने सीलिंग का आधारभूत जमीन को माना है और जमीन को किस प्रकार से इधर उधर करने की जो नीति बनती है और उस जमीन को किस प्रकार से ऑफिसर लोग स्वयं मिल मिलाकर हमारी नीति को नुकसान पहुंचाते हैं, यह चीज बहुत ही गम्भीर है। मेरा और मतलब ही क्या था ? अगर इसके लिए कोई नियम नहीं है तो फिर हर तरह से कानून का दुरुपयोग हर आदमी कर सकता है। इसलिए मैंने यह चीज़ आपके सामने रखी है और यह बिलकुल फोटेस्टेड कापी आपके सामने रखता हूं और चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ जरूर कोई एक्शन लिया जाये...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह तो आप अपने पास ही रखें।

श्री मुरलीधर व्यास : ठीक है, आपको जरूरत नहीं है तो। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिसर और मजिस्ट्रेटस हैं इनके लिए सरकार को नियम बनाने चाहिए ताकि वह अपने पद का किसी प्रकार से कहां तक अच्छे कामों में

(श्री मुरलीधर व्यास)

उपयोग करें। तो ऐसे नियम बनने चाहिए ताकि आगे जो हम अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं उससे हम पूरी तरह से लाभ उठा सकें।

हमारी सरकार ने जो सबसे बड़ी पोलिसी बनाई है वह है सहकारिता के आधार पर कृषि और इस सहकारी कृषि को राज्य ने अपना आधार बनाया है, उसके बारे में मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। जहां तक सहकारी कृषि का सवाल है मैं समझता हूं कि अगर कोई आदमी इसका विरोध करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो मैं समझता हूं कि वह बुद्धिसंगत नहीं है। अगर कोई इस चीज का विरोध करे तो उसमें कुछ तथ्य होना चाहिए। मैं यह मानने वाला हूं कि जहां तक कृषि सहकारिता के आधार पर हो तो हमें उसको और प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे हम हमारे उत्पादन में किसी प्रकार से आज के विज्ञान के साधनों का उपयोग लेकर किसी सीमा तक अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं क्योंकि आगे आने वाला युग विज्ञान का युग है। हमारा दृष्टिकोण जो कि भविष्य में जाकर व्यक्तिवाद से हटकर समष्टिवाद की तरफ जाता है, और समाज के निर्माण के लिए हमारे कदम उठने चाहिए और अगर हमारे कदम उठने में दिक्कत आती है, और हम घबरा जाते हैं तो मैं कहता हूं कि हम कामयात्री हासिल नहीं कर सकते।

जो राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ उसमें मेरे एक बात समझ में नहीं आई, इसलिए मैं उसको भी आपके सामने रखना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि हम जमीन को पूल करके सहकारी कृषि हमारे आगे का आधार होगा, अब मैं आपके सामने एक बात रखूं कि बीकानेर के इलाके में सारी जमीन को पूल किया और सहकारिता के आधार पर बाध्य किया गया कि आप यहां पर काम कीजिए और सबने मिलकर ऐसा काम किया, सब मजदूर बन गए और दुर्भाग्य से समझ लीजिए कि जैसा अक्सर हुआ करता है, दो तीन साल वर्षा नहीं हुई तो आखिर जिन लोगों ने उस भूमि पर श्रम किया है उनको आप क्या देंगे, समिति उसकी क्या व्यवस्था कर सकेगी मेरे ख्याल से सहकारी कृषि को उस जगह पर प्रोत्साहित किया जाये जहां कि पानी हो, जहां निश्चित रूप से कुछ मिलने वाला हो। ऐसा अगर नहीं होगा और ऐसे स्थानों पर जहां कि वर्षा का अभाव रहता है तो वहां पर दिक्कत आयेगी और यह प्रकृति की दिक्कत का हमारे पास कोई जबाब नहीं है। इसलिए जहां तक मैं समझता हूं इस बात का हमारी नीति में ख्याल रखा जाना चाहिए और उसके साथ ही साथ जो लोग इस बात का विरोध करते हैं याने सहकारी कृषि का यह कोई बुद्धिसंगत नहीं होगा। मैं समझता हूं कि पार्लियामेन्ट में जो भाषण पंडित जवाहरलालजी ने दिया है, उसमें उन्होंने यह कहा है कि सहकारी कृषि के लिए वह किसी को बाध्य नहीं करेंगे, हम लोगों को अपनी बात समझायेंगे और सहकारी कृषि के आधार पर काम करने के लिए प्रेरणा देंगे और उनको सहयोग देंगे। फिर भी मगर किसान सहकारी कृषि करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो उसको फोर्स नहीं करेंगे। सहकारी कृषि के लिए जब तक किसानों का सहयोग न हो और उनकी इच्छा

(श्री मुरलीधर व्यास)

न हो तब तक आप कैसे काम कर सकेंगे। यह तो सबसे पहली बात है सहकारी कृषि के संबंध में। मैं समझता हूं कि जहां तक राज्यपाल महोदय के भाषण से ऐसा महसूस होता है कि हम पूल करके काम करेंगे तो दिक्कत आयेगी। यदि इसकी प्रेरणा हम देंगे तो यह सबसे ज्यादा ऊंची नीति है और यह हमें स्वीकार करना चाहिए। तो मैं कृषि के संबंध में यही कहना चाहता था।

इसके अलावा और भी बातें हैं। जहां तक नीति का संबंध है एज्यूकेशन के संबंध में कुछ बातें हैं। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के भाषण में जो सबसे बड़ी प्रेरणा की चीज होनी चाहिए वह यह होनी चाहिए कि विषमता का अन्तर दूर हो, पर इसके लिए कोई संकेत नहीं है। आप ही बतायें कि इसके लिए क्या कदम उठाये हैं? यहां तक कि इस भाषण में सीलिंग के बारे में भी स्पष्ट नहीं है, कि उसी साल लागू हो जायेगी। बिना सीलिंग के सहकारिता आगे नहीं बढ़ सकेगी। इसके लिए पहले सीलिंग का होना बहुत आवश्यक है और उसी के आधार पर उसका विकास हो सकता है...

१ म० प०

दूसरा यह है कि एजूकेशन के अन्दर में प्राइमरी शिक्षा के बारे में खासतौर से जो लोग बैठे हुए हैं आज भी प्राइमरी शिक्षा के रूप में मैं इतना कहना चाहता हूं कि बीकानेर में सन् ४७ के समय में जो ग्रेड थे म्युनिसिपेलिटी के जरिये जो प्राइमरी स्कूल चलते थे और करीब ५०, ६० प्राइमरी स्कूल हैं। मंहगाई भत्ता व दूसरी स्थिति वही है, जब कि प्राइमरी स्कूल सरकारी जो है उनको थोड़ा बहुत मिला है। बीकानेर में कम्पलसरी प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला है। उनके पास न साधन है और न कोई व्यवस्था है। इस प्रकार की वहां की अवस्था है तो इन चीज़ों को दिया जा सकता है। प्राइमरी शिक्षकों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए सरकार को सोचना चाहिए। जो गिरे हुए हैं, जिनकी तनख्वाह बहुत कम है उनके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रति वर्ष जब राज्यपाल का अभिभाषण हो कोई न कोई घोषणा होनी चाहिए ताकि जो कम तनख्वाह पाने वाले हैं, जो झुके हुए हैं, जिनका जीवन स्तर बहुत ही झुका हुआ है उनका जीवनस्तर हर साल किस तरह से उठा सकते हैं, ऐसी प्रेरणा की बात आनी चाहिए थी, वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण नहीं है, क्योंकि समाजवाद के कुछ मूलभूत सिद्धान्त इसमें आने चाहिए। उनके नहीं होने से मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर कुछ प्रेरणा की बात होनी चाहिए थी।

अपने पहले अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने कमिश्नरों को हटाने के बारे में ऐसी कई बातें कहीं थीं, लेकिन उनका पालन नहीं हुआ। इस प्रकार की कई चीजें थीं जो नहीं हुई। इन्डस्ट्री होने से ऐसी बातें रखी गई हैं। इसी प्रकार से सहकारी कृषि, इस प्रकार से उद्योगों की कई चीजें नहीं हुई है, उनका कोई लाभ नहीं मिला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बातें कहीं गई है उनका लाभ जो मनुष्यों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पायेगा, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

Page No.43

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अनिवार्य हो गया है कि जिन सदस्यों के नाम लिस्ट में नहीं हैं वे केनटीन में जाकर बैठें, क्योंकि उनका यहां उपयोग नहीं हो सकेगा ।

श्री अध्यक्ष : कोन सी लिस्ट ?

श्री श्रीभानसिंह : जो लिस्ट पढ़ी जा रही है । इस हाउस में जिसके द्वारा परसों भी नाम काल हुए थे, कल भी हुए थे और आज भी हो रहे हैं । कल तो जो माननीय सदस्य यहां नहीं थे उनके भी नाम काल कर दिये गये थे ।

श्रीअध्यक्ष : सदन के अन्दर हों या नहीं, लिस्ट के मुताबिक नाम था ।

एक माननीय सदस्य : आपका नाम नहीं है उसमें ।

श्री श्रीभानसिंह : निरन्तर मैं परसों से खड़ा हो रहा हूँ । तीन ही दफा खड़ा हुआ हूँ। It is my misfortune.

श्री अध्यक्ष : आपके साथ साथ और भी कई खड़े हुए हैं तीन ही दिन से ।

श्री श्रीभानसिंह : उसमें से किस प्रकार से चयन करते हैं लिस्ट है उसका आर्डर बता दें । प्रोसीज़र दूसरा ही हो रहा है हाउस में ।

श्री अध्यक्ष : न कोई लिस्ट है और न ही प्रोसीज़र दूसरा रहा है । कई पार्टियां ने दी है बड़ी लम्बी लिस्ट । सारे सदस्य बोल नहीं सकते हैं । आप सब लोग कोशिश कीजिये कि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को मौका दें । यही कोशिश की जानी चाहिए ।

श्री श्रीभानसिंह : लिस्ट इतनी ज्यादा है तो कोई टाइम लिमिट फिक्स होनी चाहिए। Some procedure should have been adopted. If the list is a comprehensive one, then there should have been a time limit. If we do not want to keep a time limit and at the same time give chance to the maximum of speakers, how can both these be achieved ?

श्री अध्यक्ष : I may inform the hon. Member that even if we allot only 5 minutes to a speaker, that list will not be exhausted. Therefore, some rough and ready method will have to be evolved and that is being done.

श्री श्रीभानसिंह : But what is being done and I may say......

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : What is that rough and ready method Sir ?

श्री अध्यक्ष : Means, in short, I select the person I like to speak.

एक माननीय सदस्य : कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए ।

श्री श्रीभानसिंह : I am very sorry Sir, and with due humility I will submit one thing. If it is the liking of the Chair then it is a different matter from catching the eye of the Speaker.

Page No.44

श्री अध्यक्ष : I catch the eye of the person who I like should speak.

श्री. श्रीभानसिंह : In that case the House would like to know for whom you have hatred so that they may go away......

श्री अध्यक्ष : How can I say? Next turn may be yours for all I can say.

श्री श्रीभानसिंह : You said whom you like. There is difference between being liked by the Chair and catching the eye of the Chair.

श्री महेन्द्रसिंह (राजाखेड़ा) : टोपी वालों को प्रिफरेन्स दीजिये ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : The Hon. Member asked me what was the method of selection and I said that in the ultimate analysis it is the person whom I ask to speak.

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : आदरणीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पुलिस की सफलताओं का ज़िक्र किया है । मैं मानता हूँ कि पुलिस ने जहां डाकुओं का अधिकांश तौर पर सफाया करने में कामयाबी हासिल की है और डाकुओं को खत्म करने में काफी अपनी ताकत लगाई है इसमें उन्हें काफी सफलता भी मिली है, मगर इसके साथ ही साथ मेरा यह कह देना कि डाकुओं की पूरी समाप्ति हो गई है, यह उचित नहीं होगा । अभी भी राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर अमृतलाल डाकू पूरी तरह सक्रिय हो रहा है । उसका सफाया करना बाकी है । आज भी वह डाके डालता है, आदमियों को उठा ले जाता है और पैसे वसूल करता है, हज़ारों रुपये वसूल करता है और वहां के लोगों में उसके कारण एक असुरक्षा की भावना बनी हुई है ।

साथ ही जहां पुलिस के संयम का सवाल है पुलिस ने हाई कोर्ट आन्दोलन के अवसर पर जयपुर में जिस संयम का प्रदर्शन किया है उसके लिए पुलिस की प्रशंसा करना उचित होगा । मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हाई कोर्ट आन्दोलन के समय पुलिस को उत्तेजित करने के लिए काफी प्रयत्न किया गया है । अगर यही प्रयत्न और जगह किये जाते तो गोलियां चल जातीं । पुलिस ने काफी संयम से स्थिति का मुकाबला किया और शांति के ढंग से परिस्थितियों पर काबू किया ।

इसके साथ ही साथ जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है, उच्चस्तर में पुलिस में से भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है । मैं यह कह सकता हूँ कि जहां तक मेरा अनुभव है कि ज़िला-स्तर पर यानी एस. पी. और डी. वाई. एस. पी. के स्तर पर भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है । कहीं और की बात मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन मेरे ज़िले का जहां तक संबंध है, मैं निवेदन कर सकता हूं मैं जानता हूं, डी. वाई. एस. पी. और एस. पी. के स्तर पर भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है ।

जहां तक लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति का संबंध है, शहरों तक तथा बड़े कस्बों तक, यह कहा जाता है तो माना जा सकता है कि स्थिति

Page No.45

(श्री सम्पतराज जैन)

में सुधार हुआ है, मगर ग्रामों में लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, बल्कि पहले से कुछ बिगड़ा हुआ है। इसके कई उदाहरण मेरे पास हैं। मैं उनको सदन में प्रस्तुत कर सकता हूं लेकिन मैं सभी उदाहरणों को सदन में प्रस्तुत करके सदन का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। देहातों के अन्दर असुरक्षा की भावना बढ़ी है। उससे जनता ज्यादा परेशान है। इसका कारण स्पष्ट यह है कि पुलिस अधिकारी जनता के लोगों को लेकर यानी जनता के उन लोगों से मिलकर जो असामाजिक तत्व हैं, कई गलत काम कर रहे हैं। उनको प्रोत्साहन देते हैं। यह घटनाएं यहां तक पहुंच गई है कि उन्हें यहां पर विस्तृत तौर पर कहा जाय तो बहुत वक्त लगेगा। एक उदाहरण, श्रीमान्, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। बकानी तहसील, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में लगातार कई मर्डर्स की घटनाएं हुई हैं। उनमें से कुछ ही लोग सज़ायाब हो सके हैं, पुलिस के मिल जाने के कारण, कोर्ट इन्स्पेक्टर के मिल जाने के कारण। मगर इसके साथ–साथ ही वे घटनाएं यहां तक पहुँच गई हैं कि समाज विरोधी तत्वों की धारणाएं हो गई है कि वे लोग कुछ भी करें, उनके खिलाफ कोई सुनने वाला नहीं है, जो कुछ भी वे कर गुज़रेंगे। फन्ड उनके पास काफी प्राप्त होगा रिश्वत देकर छूट जायेंगे। एक मिसाल मैं आपको बतलाऊँ जिसकी सूचना गृह मंत्री जी को भी हो चुकी है, एस. पी. पुलिस को भी इत्तला मिल चुकी है। सबूत पेश किये हैं, तहकीकात भी की है इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ है। वह घटना इस प्रकार है कि एक आदमी अपने मकान में सो रहा था, तहसील बकानी के ग्राम अवधपुरा में। रात को एक आदमी उसको घर से बुलाकर ले जाता है और दो, तीन आदमी बाहर खड़े रह जाते हैं और उसको एक पेड़ पर लटका कर फांसी लगा दी जाती है, उसको खत्म कर दिया जाता है। सुबह उसकी माता को वह पेड़ पर लटका हुआ मिलता है। पुलिस पहुँचती है, शाम को १५ घन्टों के बाद। पुलिस पहुंचती है और वहां पहुंचने के साथ–साथ पुलिस उन अभियुक्तों से, मुल्ज़िमों से, मिल जाती है जिन्होंने अपराध किया था। वे पुलिस से मिलकर लाश के साथ–साथ आते हैं और वहां डॉक्टर और पुलिस इन्स्पेक्टर को रिश्वतें दे देते हैं जिसके कारण जो उस लाश पर चोट थीं उन चोटों को गायब कर दिया जाता है और यह लिख दिया जाता है कि किसी जगह भी खरोंच का निशान नहीं था और फांसी लगाई गई थी, एक २२ साल के नौजवान को फांसी लगाई गई थी, उसको फांसी न बताकर आत्महत्या बताई गई और केस को खत्म कर दिया गया है। ऐसी कई घटनाएं हैं, ऐसी घटनाओं से जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। इसके दमन किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। वरना यह होता है कि इसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि उसी तहसील में उस गांव से ३ मील की दूरी पर तीन और हत्याएं दिन दहाड़े कर दी गईं। गांव हरिपुर में दिन दहाड़े तीन आदमियों की हत्या साढ़े सात बजे जब कि सूरज डेढ़ घंटा चढ़ चुका था तब सब आदमियों के सामने हत्या कर दी गई। यह आपका लॉ एण्ड ऑर्डर कैसा है? और भी कई हत्याएं हुई हैं जिन्हें बताया जा सकता है। इन सब के कारण जनता में अविश्वास की भावना बढ़ रही है। सब इन्स्पेक्टर पुलिस और इन्स्पेक्टर पुलिस के स्तर पर रिश्वतखोरी

(श्री सम्पतराज जैन)

काफी बढ़ गई है और वे लोग अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हैं और जनता में शिकायत करने का साहस खत्म होता जाता है। वे अगर शिकायत करते हैं तो उनको दबा दिया जाता है, जनता की हिम्मत पस्त हो गई है। उनमें निराशा की भावना घर कर गई है। आज यह बताया जाता है कि शिकायतें हमारे पास नहीं आती हैं। शिकायतें नहीं आने का मतलब यह नहीं है कि अपराध कम हो गये हैं। अपराध काफी हैं और लॉ एन्ड ऑर्डर की हालत काफी बिगड़ गई है। गृह मंत्री जी जयपुर छोड़ कर गांवों में बहुत कम जाते हैं, होम मिनिस्टर साहब कम दूर करते हैं और यदि दूर करते भी हैं तो बड़े-बड़े स्थानों पर १०, ५ मिनिट के लिये जाते हैं। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर तहसीलों के सदर मुकामों पर जाते हैं और गांवों में भी घूमते हैं लेकिन राजस्थान के होम मिनिस्टर यदि तहसील के सदर मुकामों पर भी नहीं जा सकते तो यह राजस्थान का दुर्भाग्य है। जहां तक राज्यपाल महोदय के भाषण का सम्बन्ध है उन्होंने कहा है कि लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है, लेकिन यह कहना उचित नहीं है। यह स्थिति कैसे सुधरे, इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा। पुलिस का सारा दारोमदार सिपाहियों पर होता है। जब तक उनको पूरा वेतन नहीं दिया जाता, भर पेट रोटी नहीं दी जाती तब तक नीचे से भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। इसलिये उनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिये और मंहगाई भत्ता भी बढ़ाना चाहिये। इसके साथ-साथ हर पुलिस स्टेशन पर शिकायत का रजिस्टर रखा जाना चाहिये जिसमें कोई भी आदमी शिकायत दर्ज कर सकता है और जब एस. पी. या अन्य ऑफिसर दौरे पर जावें तब वे उसको देख सकते हैं।

जिलों में जो सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस होते हैं उन्हें सिपाहियों तक को बर्खास्त करने के अधिकार होते हैं। एस. पी. यदि यह जानता भी है कि फलां सब इन्स्पेक्टर रिश्वत लेता है तो भी उनको बर्खास्त करने के अधिकार नहीं होने से वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक आप एस. पी. को, सब-इन्स्पेक्टर को बर्खास्त करने के अधिकार नहीं देंगे और अधिकारों का विकेन्द्रीकरण नहीं करेंगे तब तक समस्या कभी भी हल होने वाली नहीं है। इसके साथ-साथ जिले में एस. पी. और डिप्टी एस. पी. जो हैं उनको ज़िले के लिये पूरा ज़िम्मेदार बनाना चाहिये। जो मुलाज़िम गलत कार्यवाही करते हैं उनको रोकने के लिये इनको ज़िम्मेदार बनाना चाहिये और यदि वे नाकामयाब हों तो उसका खमियाजा उनको भुगतना चाहिये। उनको जो जांच करनी चाहिये वह मौके पर जाकर करनी चाहिये। अभी जांच करने के लिये गवाहों आदि को ज़िले के हैड क्वार्टर पर बुलाते हैं, रास्ते में गवाहों को दबा दिया जाता है। ऐसी सूरत में मौके पर जाकर जांच की जायगी तो गांवों के लोगों के सामने सारी कार्यवाही पूरी की जा सकती है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जहां तक खाद्य स्थिति का, सम्बन्ध है राज्यपाल महोदय ने खाद्य स्थिति के बारे में बताया है। जिन कारणों से खाद्य स्थिति राजस्थान में बिगड़ी उसका विवरण राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में दिया है, वह सही है। वास्तव में जहां कुदरती तौर पर किसी इलाके

Page No.47

(श्री सम्पतराज जैन)

में अधिक वर्षा हो या किसी इलाके में सूखा पड़ा हो तो उसका असर पड़ता है। अधिक वर्षा और सूखे के कारण व राज्य से गेहूं, ज्वार, मक्का आदि की निकासी अन्य स्थानों को होने के कारण खाद्य स्थिति बिगड़ी। देश की खाद्य स्थिति के साथ-साथ राजस्थान की खाद्य स्थिति भी बिगड़ी। लाखों मन मक्का, गेहूं, जौ और चना का नकास होता रहा और राजस्थान सरकार ने उस पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई। बम्बई ज़ोन में राजस्थान के होने के कारण लाखों मन अनाज बाहर निकल गया और हमको तंगाई भुगतनी पड़ी तथा मंहगे भाव पर अनाज खरीदना पड़ा। अगर यह कहा जाय कि काश्तकारों और व्यापारियों के पास काफी स्टोक अनाज का था और उसे दबाया गया है। कई स्थानों पर काश्तकारों और व्यापारियों के पास अनाज है लेकिन इसकी वजह से मंहगाई नहीं आई।

जैसा कि राज्यपाल महोदय के भाषण में बताया गया है रबी की फसल अच्छी है और वास्तव में अच्छी है और इससे सुधार होने-वाला है लेकिन जब तक मुकाबले की खाद्य निति नहीं होगी तब तक गड़बड़ी पैदा होने-वाली है। क्योंकि फसल हमेशा अच्छी नहीं होती। प्रकृति के कारण बिगड़ भी सकती है इसलिये पहली बात यह होनी चाहिये कि अनाज बाहर नहीं जाने पावे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की कोई स्थिर खाद्य नीति नहीं होने से भी काफी कठिनाई आती है। एक ज़िले में कई तहसीलें होती हैं लेकिन वहां पर भी एक तहसील से दूसरी तहसील में अनाज नहीं जाने दिया गया है। एक ज़िले में यदि १० तहसीलें हैं और किसी में फसल खराब हो गई, ज्वार, मक्का की फसल बिगड़ गई तो वहां पर भाव बिगड़ेंगे। झालावाड़ में यही बात हो रही है। एक तहसील से दूसरी तहसील में अनाज नहीं आने दिया जाता है और इसके लिये परमिट नहीं दिये जाते हैं इसका नतीज़ा यह हुआ है कि एक जगह १० रु० मन का भाव है तो दूसरी ज़गह १५ रु. मन का भाव है। चने की दाल एक जगह २२ रु. मन बिक रही है तो दूसरी जगह २० रु. मन बिकती है। झालावाड़ में जब ३०. ३५ इंच वर्षा होती है तो लाखों मन गल्ला झालावाड़ देता है। अध्यक्ष महोदय, भवानी मंडी एक छोटी सी मंडी है लेकिन यहां से राजस्थान में और बाहर के प्रान्तों में गत वर्ष ३० लाख मन गल्ला बाहर भेजा है। गत वर्ष जब ३५, ४० इंच वर्षा हुई थी तब इतना गल्ला बाहर गया था। ऐसी स्थिति में आज जिस चीज की ज़रूरत है उसको आप बंद करते हैं और कोटा से झालावाड़ नहीं जाने देंगे तो स्थिति क्या होगी? हमेशा कोटा से चने की दाल झालावाड जाती थी लेकिन आज बंद कर दी गई है। कोटा में चने की दाल का भाव २२ रु. मन है और झालावाड़ में ३० रु. मन बिकती है। यह जो राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह नहीं देने का प्रश्न है, वह गलत है। यह अच्छी नीति नहीं है। राजस्थान के बाहर गल्ला नहीं जाने दें, ज्वार, मक्का बाहर जाता हो तो उसे रोक दीजिये लेकिन राजस्थान के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाने देंगे तो मुसीबत होगी। ज़िले की एक तहसील से दूसरी तहसील में जाने में भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। आज यह कहा जाता है कि एक तहसील से दूसरी तहसील में ले जाने से कौन रोकता है, ले जा सकते हैं लेकिन जो लोग

(श्री सम्पतराज जैन)

स्थिति का मुकाबला करते हैं वे देखते है कि व्यापारी जब कलेक्टर के पास जाते हैं तो वे उनसे कहते हैं कि नहीं ले जा सकते। कोटा से चने की दाल ले जाने का पर्मिट नहीं देते हैं। तहसीलदार एक तहसील से दूसरी तहसील में अनाज ले जाने की इजाज़त मांगने पर इन्कार कर देते हैं और इस कारण से गल्ला एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच सकता।

जहां तक खाद्य समस्या का सवाल है, उसके दो पहलू हैं। एक तो यह कि पैदावार बढ़ाई जाय और दूसरा यह कि पैदावार का वितरण ठीक तरह से किया जाय। जहां तक व्यापारियों का सम्बन्ध है व्यापारी मुनाफाखोरी करते हैं। जहां मौका देखते है वहां इसके लिये कोशिश करते हैं। इसलिये थोक व्यापारियों के लिये कुछ रोक लगाई है उससे कुछ रोक थाम हुई है। लेकिन यह बात आवश्यक है कि गल्ले के व्यापारियों के पास स्टाक नहीं बढ़ने दिया जाय, थोक व्यापारी ५०० मन से अधिक अनाज अपने पास नहीं रखें और खेरूंज व्यापारी १०० मन से अधिक नहीं रखें। यदि ऐसा किया गया तो स्टाक इकठा नहीं होगा और भाव मंहगा नहीं होगा। इसके साथ-साथ राशनिंग या नियंत्रण का सवाल है, उसका अवसर न अभी है और न आगे लागू होना चाहिये। हालत धीरे-धीरे कुदरती तौर पर ठीक हो रही है और हो जायगी। इसके साथ-साथ जो दूसरा पहलू पैदावार बढ़ाने का है उसके बारे में राज्यपाल महोदय ने ज़िक्र किया है। रबी अभियान और खरीफ अभियान की ओर ध्यान दिया गया है और प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन पैदावार बढ़ाने का जहां तक संबंध है मेरे थोड़े से सुझाव हैं जो आपके सामने रखना चाहूंगा।

एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में काफी तादाद में कृषि योग्य भूमि पड़ी हुई है, जो फोरेस्ट के अन्डर में चली गई है। तीस चालीस साल पहले आई, 'मरी' के कारण वे जमीनें जिनमें कृषि की जाती थीं, वीरान हो गई और फोरेस्ट के अन्डर में चली गई, उन ज़मीनों में अब भी कच्चे पक्के कुंए बने हुए हैं। उन ज़मीनों को फोरेस्ट से ले कर भूमिहीन किसानों को दिया जाना चाहिये, चाहे सहकारी समितियां बना कर दिया जाय या व्यक्तिगत तौर पर दिया जाय।

दूसरी बात है लघु सिंचाई योजना इसमें शीघ्रता से काम किया जाना चाहिये। सबसे उत्तम काम यह होगा कि पहले जो बजट में इस कार्य के लिये पैसा रखा गया है, छोटी सिंचाई योजना के लिये पैसा रखा है, वह जिलों को सौंप दिया जाय और वह पैसा जिला कमेटियों की राय से तुरन्त बांट दिया जाय। इसके साथ-साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि हमारे राजस्थान के अन्दर कई पुराने तालाब टूटे फूटे पड़े हुए हैं जिन पर थोड़ा पैसा लगाने से काफी ज़मीन की सिंचाई हो सकती है और ये छोटी सिंचाई के लिये बड़े कारगर साबित हो सकते हैं। झालावाड़ जिले में करीब ऐसे ७० तालाब बेकार पड़े हुए हैं, उन तालाबों पर यदि साठ, सत्तर हजार रुपया खर्च कर दिया जाय तो झालावाड़ की आधी भूमि की सिंचाई हो सकती है। किसी तालाब की पाल टूटी हुई है तो किसी में थोड़ी सी मरम्मत होनी बाकी है, इनकी मरम्मत करा दी जायगी तो

(श्री सम्पतराज जैन)

झालावाड़ जिले की आधी जमीन की सिंचाई हो सकेगी।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज पम्पिंग सेट्स नदियों पर लगे हुए हैं। सरकार अब यह समझने लगी है कि उनसे घाटा हो रहा है इसलिये पम्पिंग सेट्स नये नहीं लगाने चाहिये। मैं वहां पर गया और मैंने वहां की परिस्थिति का अध्ययन किया है कि जो सिंचाई स्टेशन्स सरकार की तरफ से लगे हुए हैं, वे क्यों फेल होते हैं।

१—२४ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष, पदासीन)

वहां पर मैं लोगों से मिला और उन लोगों ने बताया कि वहां जमीन में पानी देते हैं तो सोडियम सल्फेट के साथ-साथ खाद डालनी पड़ती है, या हरी खाद करनी पड़ती है, उस हरी खाद को मवेशी चर जाते हैं, मवेशियों से हरी खाद की रक्षा के लिये उन लोगों को कांटेदार तार नहीं मिलते, इसके लिये हमें तकावी मिलनी चाहिये ताकि हम लोग सहकारी तौर पर चार सौ पांच सौ एकड़ जमीन पर तार लगा सकें और हरी खाद बो सकें।

इसके साथ ही उनकी एक बड़ी कठिनाई यह थी कि सिंचाई में यह होता है कि जिस साल पानी लेते हैं उसी साल से लगान बढ़ा दिया जाता है। जब कि बांध नदी से, तालाबों से, नहरों से पानी देते हैं तो तुरन्त लगान नहीं बढ़ाते हैं, तो इस पर क्यों बढ़ाते हैं, इन लोगों को भी कम से कम पांच, दस साल का समय देना चाहिये और फिर लगान बढ़ाना चाहिये।

इसके अलावा सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि सिंचाई योजना के सम्बन्ध में सर्वे कराने में बड़ा समय लग जाता है, ओवरसीयर नहीं मिलते हैं। कलेक्टरों को कई योजनाएं दे रखी हैं पर ओवरसीयर नहीं पहुंच पाते और इस कारण वे योजनाएं खटाई में पड़ जाती हैं।

सिंचाई योजनाओं के बारे में माननीय राज्यपाल महोदय ने जो कहा है वह बहुत उचित है, पर साथ ही मैंने जो सुझाव दिये हैं, उनको शीघ्र ही कार्य रूप में परिणित किया जाना चाहिये।

कुंए खुदवाने के लिये तकावी के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दर्ख्वास्तें पड़ी हुई हैं और कुल दो तीन लाख रुपया मिल पाता है जिससे कुंए नहीं बन पाते। कुओं के लिये रुपया दिया जाना चाहिये क्योंकि कुंए खुदवाने से कृषि की पैदावार बढ़ेगी, किसान की आय बढ़ेगी और राज्य की आय बढ़ेगी।

विकास कार्यों के लिये राज्यपाल महोदय ने कहा है कि विकास कार्यों से ठोस प्रगति हुई है। मेरी भी मान्यता है कि विकास कार्यों से गांवों में एक नई जागृति की लहर पैदा हुई है और प्रगति हुई है उतनी नहीं तो थोड़ी बहुत तरक्की तो हुई ही है। मेरे दो चार सुझाव हैं उनको क्रियान्वित किया जाय, तो और प्रगति होगी। जो विकास खण्ड खोले जाते हैं वहां और स्टाफ भले ही देरी से जाय पर ओवरसीयर्स, बी. डी. ओज़. के साथ ही भेज दिये जाने चाहिये ताकि वे विकास की योजनाओं का सर्वे जल्दी से जल्दी कर सकें और इस तरह आज जो ओवरसियर्स के अभाव में विकास योजनाएं खटाई में पड़ी हुई हैं वे खटाई में

(श्री सम्पतराज जैन)

न पड़े। आज कई विकास खण्डों में ओवर-सियर्स नहीं पहुँचे हैं।....

श्री उपाध्यक्ष : ये सुझाव तो यदि मन्त्री महोदय से मिल लें, तो बहुत जल्दी क्रियान्वित हो सकते हैं।

श्री सम्पतराज जैन : मैं मन्त्री महोदय से भी मिलता हूं पर यहां बोलने का मेरा अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने का अधिकार है पर और महत्वपूर्ण बातें रखें तो अच्छा है।

श्री सम्पतराज जैन : जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, राज्यपाल महोदय मौन हैं। आज भ्रष्टाचार कितना है कितना नहीं है यह तो सबके सामने है, मैं इस पर विवेचन नहीं करूंगा। साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार मिटाना चाहिये। नहीं तो जनता निश्चित रूप से यह समझने लग जायगी कि कई कर्मचारी भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती है। इसलिये यह आवश्यक है कि जनता की इस आम शिकायत को जल्दी से जल्दी मिटाना चाहिये। इसके सम्बन्ध में मेरे दो चार सुझाव हैं। पहला यह है कि जितनी भ्रष्टाचार के विरोध में शिकायतें की जाती हैं, एक की भी रसीद नहीं दी जाती है, तो जितनी भी शिकायतें हों उनकी रसीद दी जानी चाहिये।

हर शिकायत के लिये समय निश्चित होना चाहिये कि एक महीने में, दो महीने में या तीन महीने में, उस शिकायत का फैसला कर दिया जायगा और उसके नतीजे की सूचना प्रार्थी को दी जानी चाहिये।

प्रत्येक जिले में और तहसीलों के सदर मुकामों पर भ्रष्टाचार विरोधी समितियां होनी चाहिये। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक सर्क्युलर निकाला था कि प्रत्येक ज़िले में कलेक्टर के नीचे भ्रष्टाचार विरोधी समितियां खोली जांय। अगर इस तरह भ्रष्टाचार विरोधी समितियां खोली जाती हैं तो प्रार्थना करने वालों को ज़रूर राहत मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : समितियों की भी तो गारन्टी होनी चाहिये न।

श्री सम्पतराज जैन : समितियों की गारन्टी का तो यह है कि उनमें सरकारी अधिकारी होंगे और चुने हुए प्रतिनिधि भी होंगे, उन पर भी विश्वास नहीं करते हैं तो इसका कोई इलाज नहीं है।

राज्यपाल महोदय ने पंचायतों को अधिकार दिये जाने के बारे में कहा। मैं भी यह चाहता हूं कि पंचायतों को अधिकार सौंप दिये जाने चाहिये। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। मैंने १५ साल तक पंचायतों में काम किया है, पंचायतों को अधिकार दिये जाने चाहिये। सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायतों को अधिकार दिये जाय, तो उन पर नियन्त्रण और उनका निरीक्षण अच्छी तरह से होना चाहिये। आज कई पंचायतें ऐसी हैं, जिनका वर्षों से ऑडिट नहीं हुआ है, न अच्छी प्रकार का उन पर नियन्त्रण है। इसी कारण उनके खिलाफ कई प्रकार की गड़बड़ियों की शिकायतें हैं। तो ऐसी दशा में यदि पंचायतों को अधिकार दिये गये और उन पर नियन्त्रण, निरीक्षण का इन्तज़ाम अच्छी तरह से नहीं

(श्री सम्पतराज जैन)

किया गया. तो उनमें रिश्वत, गबन और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जायगा। ऐसी सूरत में नये अधिकार देते हैं और नियन्त्रण, निरीक्षण का अच्छा प्रबन्ध नहीं करते हैं तो सब मामले खटाई में पड़ जायेंगे।

इसके अलावा मुझे एक बात निवेदन करनी है, वह यह है कि पंचायतों के सेक्रेटरी होते हैं उनको १०, १५ रुपया तनख्वाह दी जाती है, उनको सर्विस की या किसी प्रकार की गारन्टी नहीं होती, जो भी नया सरपंच आया उनको हटा देता है। ऐसी सूरत में मेरा यह निवेदन है कि उनको सर्विस की गारन्टी दीजिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हर सरपंच के साथ-साथ मन माने तौर पर सेक्रेटरी बदलते रहेंगे। इसके साथ-साथ पंचों और सरपंचों की ट्रेनिंग के विषय में, यह निवेदन करना चाहूँगा कि उनको ट्रेनिंग होनी चाहिये। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आज डिस्ट्रिक्ट पंचायतें बन गई है, तहसील पंचायतें भी हैं। मगर उनको कोई पॉवर्स नहीं है। पंचायत एक्ट की धारा १७ के अनुसार सारा अधिकार सरकार के हाथ में है। इससे कोई काम नहीं हो सकता और इसमें दो दो और तीन-तीन साल लग जाते हैं। यह एक छूत की बीमारी है और इससे पंचायतों में भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको ठीक किया जावे और डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर और चीफ पंचायत ऑफिसर को पॉवर्स दिये जावें कि अगर कोई अन्याय होता है तो उसके लिये जल्दी एक्शन ले।

इसके अलावा जहां तक शिक्षा का संबन्ध है, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बताया है कि शिक्षा काफी में उन्नति की गई है। मैं यह कहूँगा कि वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है। इसके बारे में बहुत सी बातें कही गई है और एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि ५ करोड़ रुपया शिक्षा में खर्च किया गया है वह खड्डे में डाला गया है। मैं इसके लिये यह कहूँगा कि जिन महानुभाव ने ऐसा कहा है उन्हांने वस्तु-स्थिति को उलट कर कहा है।

पहले स्टेट के समय में जहां पर चार-चार स्कूल थे वहां पर २५ स्कूल हो गये हैं, जहां पर मिडिल स्कूल एक था वहां पर भी उनकी संख्या ज़्यादा है। हाई स्कूल जहां नहीं थे वहां पर हाई स्कूल खोले गये हैं। डिग्री कालेजेज़ खोली गई हैं और इससे छोटे आदमियों को काफी मदद मिली है और शिक्षा का काफी प्रसार हुआ है। इसलिये इस चीज़ को टाल देना और यह कहना कि ५ करोड़ रुपये खड्डे में डाले गये, यह उचित नहीं है। मैं यह कहूँगा कि उन माननीय सदस्य ने विपरीत बात कही है। शिक्षा में काफी तरक्की हुई है। हर साल ५०० मिडिल स्कूल और हाई स्कूल बनते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये चन्द बातें मैंने अर्ज कीं। मगर यह जो स्थिति चल रही है उससे हमको संतोष कर लेना चाहिये, यह बात नहीं है। हमें प्रगतिशील होना चाहिये और हमेशा प्रगतिशील रहना चाहिये। अगर पब्लिक को यह आश्वासन नहीं मिले कि हमारी संपत्ति, हमारी इज्ज़त और हमारी सुरक्षा नहीं है तो जनतन्त्र असफल हो जावेगा। मैं राज्य सरकार से चाहूँगा कि इस स्थिति को ठीक करे। मैं, राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है उस पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और राज्य सरकार से निवेदन करता

Page No.52

(श्री सम्पतराज जैन)

हूँ कि शांति और सुरक्षा की स्थिति को ठीक करने की कोशिश करें।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। राज्य सरकार ने सन् १९५८ में जो–जो कार्य किये थे, उनको लेखे के रूप में हमारे सामने रखा है और उसके लिये राज्य सरकार बधाई की पात्र हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में सबसे पहले लॉ एण्ड ऑर्डर की बात बताई है। मैं यह निवेदन करूंगा कि धौलपुर में, जहां लॉ एण्ड ऑर्डर आज भी करीबन उसी स्थिति में है और राजस्थान बना उस समय से आज तक वहां पर कोई विरोध, परिवर्तन नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय राज्यपाल महोदय का भाषण हो रहा था राजाखेड़ा के एक व्यक्ति लोबी में बैठे थे......

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कई बार आपका ध्यान इस बात के लिये आकर्षित किया है कि जो व्यक्ति लोबी में बैठे हों या सदन के बाहर हों उनकी ओर संकेत सदन के प्रांगण पर नहीं किया जावे।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय गृह मन्त्री राजाखेड़ा नहीं पधारे या आई० जी० पी० का ध्यान उधर नहीं गया, मगर मैं यह बता देना चाहता हूँ कि वहां पर रूपा डकैत का शासन है। गांवों में अदालतों के निर्णय भी रूपा डकैत पर निर्भर रहते हैं। रूपा डकैत चाहे तो उन निर्णयों को माने और नहीं चाहे तो वह अमान्य हो सकते हैं।

राजा श्री मानसिंह (वैर) : Mr. Dy. Speaker, Sir, I wanted to know whether the Hon'ble member is supporting the motion or opposing.

डॉ० बहादुरसिंह : मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का पूरी तरह से समथन करता हूँ, यह माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : This is because, he is speaking in Hindi.

डॉ० बहादुरसिंह : तो माननीय उपाध्यक्ष, मैंने आपको बताया कि वहां की वही स्थिति है। कोई भी सफेदपोश यह हिम्मत नहीं कर सकता कि वह राजाखेड़ा जाए और वहां से वह सकुशल वापिस लौट आए। बिल्कुल यही स्थिति है। मैं माननीय गृह मंत्री और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों को आमन्त्रित करता हूँ कि अगर उनमें हिम्मत हो तो वे वहां पर आए। लॉ एण्ड ऑर्डर को राजाखेड़ा चैलेंज करता है। आप उसको स्वीकार कर लें। मैं आपको इसके आगे बताना चाहता हूँ कि धौलपुर में लॉ एण्ड ऑर्डर बिगाड़ा जाता है और इसके लिये आपके पुलिस के अधिकारी काफी जिम्मेदार हैं। मैं आपको बताऊं कि आपके डांग एरिया में पुलिस भेष में लोगों की ६० भैंसे और कुछ आदमियों को गिरफ्तार करके ले गये। करौली की पुलिस डाकाजनी की ओर अन्य लोगों की अच्छी–अच्छी भैंसों को गिरफ्तार करके ले गये। मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके लिये न्यायालय खुले नहीं थे। आप उन न्यायालयों

(डॉ० बहादुरसिंह)

से वारन्ट लेकर आ सकते थे। मगर ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार का व्यवहार किया गया, यह व्यवहार कहां तक उचित है। माननीय उपाध्यक्ष, यही नहीं। आपके लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में अधिकारियों को खुली छूट है तस्कर व्यापार करने की। मैंने पहले भी बताया था कि १ लाख २५ हज़ार मनिया का थानेदार लेकर चला गया और आपके अधिकारियों ने उसके लिये क्या एक्शन लिया? यही एक्शन लिया कि उसका ट्रान्सफर कर दिया। इसी प्रकार से मध्यप्रदेश से आया हुआ अनाज उत्तर प्रदेश में निकाल दिया गया और वह भी पुलिस की संरक्षणता में निकाला गया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश से आया हुआ चांवल पुलिस अधिकारियों की संरक्षणता में गुजरात चला गया और आपके एस० डी० ओ० साहब ने आठ आना फी मन टैक्स का लेकर यह अनाज बाहर निकलवा दिया। यह है आपके यहां लॉ एण्ड ऑर्डर की हालत। यह स्थिति क्रीएट की जाती है। जिसे मैं स्व० ताराचन्द्र जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने कल्याण जैसे डाकू को मारने में स्वयं की भेंट चढ़ा दी। वे मेरे यहां रह चुके थे, वे बड़े ईमानदार आदमी थे। हमें उसी प्रकार के आदमी की आवश्यकता है। मगर आज हम देखते हैं कि इस प्रकार के अधिकारी हैं कि जो गुन्हगारों को अपने मोटर में बिठाकर अपने कोठी पर लाते हैं। एस० डी० ओ० इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की आज्ञाओं की भी अवहेलना करते हैं और पुलिस के अधिकारी लोग तमाशा देखते रहते हैं। दूसरी तरफ गल्ले की हालत खराब हो रही है, कोई ध्यान नहीं देता। यह तो वह कहावत है जिस समय रोम जल रहा था नीरो बंसरी बजा रहा था, आज ठीक वही हालत हो रही है। धौलपुर के लोग भूखे मर रहे हैं और एस० डी० ओ० साहब ८ आना प्रति मन टैक्स लेकर चांवलों को दूसरे प्रान्तों में भेज रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : ८ आने मन किस बात का टैक्स ले रहे थे?

डॉ बहादुरसिंह : आठ आने मन रिश्वत का ले रहे थे। २२ हज़ार धौलपुर वैलफेअर फन्ड के नाम पर बैंक में जमा है। मैं भ्रष्टाचार का बार–बार नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि बार–बार एक बीमारी का नाम लेना बीमारी को बढ़ावा देना है। लेकिन वास्तव में बीमारी इस प्रकार को है कि वह एक तरह से नासूर बन गई है जिसका इलाज मैं समझता हूँ कि अब तो होना संभव नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ खाद्य स्थिति धौलपुर की है उसके बारे में यह कहूंगा कि वह बहुत सोचनीय है। इस वक्त दो गल्ले की दुकाने हैं और गांवों की यह हालत है कि पिछले बाढ़ के दिनों में धौलपुर के ३१ गांव और बाड़ी के २० गांव, कुल ५१ गांव बरबाद हो गये। वहां वास्तविक नाज की पैदावार का इलाका था वहां पर काफी क्षति हुई और अब लोग जंगली चांवलों को खा रहे हैं। जिस वक्त माननीय मंत्री महोदय से कहा गया कि आप अनाज की व्यवस्था के लिये व्यापारियों को पर्मिट दे दें मगर मेरी समझ में नहीं आता कि आप फरमाते हैं कि पर्मिट जरूर देंगे। मगर जिस समय व्यापारी लोग पर्मिट लेने के लिये जाते हैं तो कलेक्टर यह कहते हैं कि धौलपुर के व्यापारी चोर हैं और धौलपुर और भरतपुर कलेक्टर उन

(डॉ० बहादुरसिंह)

व्यापारियों का गल्ला नहीं देते हैं, यह सही है। जिस वक्त कलेक्टर को यह कहा गया कि आपके यहां से चांवल बराबर जा रहा है, उसको जाने से रोकिये तो वे कहते हैं कि मेरे यहां का कौनसा चांवल ? माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां यह स्थिति बनी तो चावलों के ट्रक के ट्रक जो बाहर से आ रहे थे उनको लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। हमने भी गांव वालों से कह दिया कि जो डकैती करते हैं और माल लाते हैं आप भी उसका बंटवारा कर सकते हो। आपकी पुलिस में, आपके एस० डी० ओ० में हिम्मत नहीं थी कि उनको रोक सके। इसी प्रकार राजाखेड़ा, उत्तर-प्रदेश और मध्यभारत को गेहूं गया तो यह स्थिति बनी और चावल जाने पर वही स्थिति बनी। धौलपुर में हजारों मन चावल ले सकते हैं लेकिन गेहूं का दाना नहीं मिलेगा, बाज़ार में दाना नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सड़ा और गला। जब मैंने एस० डी० ओ० से कहा कि एक बोहरे के यहां २२ हजार मन अनाज छिपा रखा है, उस पर कब्ज़ा करो लेकिन एस० डी० ओ० उनसे मिला हुआ था उसने कहा कि ऐसी कार्यवाही करवायेंगे तो अन्न मिलना ही मुश्किल हो जायगा। निश्चित रूप से आपको कहता हूं कि एस० डी० ओ० ने अन्न इधर उधर करवा दिया और दो चार को इधर उधर करा करके कार्यवाही कर दी।

उपाध्यक्ष महोदय, जब खाद्य स्थिति बिगड़ी और प्रदर्शन हुए तो पिंड छुड़ाने के लिए हम लोगों ने पब्लिक मिटिंग की थी, सरकार से मांग की थी कि राशन कार्ड बनाये जांय। तो इस पर एस० डी० ओ० ने साफ कह दिया कि हम नहीं कर सकते। काफी कहने सुनने के बाद अब सुना है कि राशन कार्ड वितरण हो रहे हैं। सड़ा गल्ला दिया जाता है और वह भी इस हालत में कि जिसको ८ आदमी का चाहिये उसको मिलता है दो आदमियों का। कार्डों में भी नम्बर का पता नहीं, दो को चाहिये और हो गये आठ। यह खाद्य समस्या अधिकारी ने ही बिगाड़ी है। किस तरह से अधिकारियों का नैतिक स्तर बिगड़ता जा रहा है, किस तरह से उनके कार्य कलापों से सरकार को बदनामी उठानी पड़ती है ? उनके इन कारनामों से उन प्रतिनिधियों को जनता में नीचा देखना पड़ता है। यही नहीं जो रबी अभियान आपने प्रारम्भ किया वह काफी सफल रहा, इसकी तारीफ मैं करता हूं। इस प्रकार के अभियान चलने चाहिये जिससे वातावरण बनता है लेकिन इसको भी असफल करने की चेष्टा करते हैं, जिसका नमूना मैंने आपको बताया। एक ढिंढोरा पीटा गया कि रबी अभियान शुरू हो गया है, मन माना बीज़ देंगे। जब डिमान्ड आयी तो दिया गया बीस सेर बीज़। जिस व्यक्ति को तीस मन की जरूरत थी और यदि उसको तीस सेर ही दिया जाय तो वह उसकी ४० एकड़ जमीन के लिए कैसे पर्याप्त होगा ? यह स्थिति थी कि इस प्रकार दिया गया। खैर, ईश्वर की कृपा से फसल अच्छी हुई है और हमें आशा है कि ये दिन दुबारा नहीं देखने पड़ेंगे।

मैं तकावी के लिए भी अर्ज करूंगा कि धौलपुर तहसील में हो एक हजार दरख्वास्तें पेंडिंग हैं। लोगों को तकावी देना है। धौलपुर एक छोटी युनिट है और भरतपुर बड़ी युनिट है। भरतपुर में अकाल था तो धौलपुर को नैग्लेक्ट कर दिया गया। यह मेरा भरतपुर के साथियों के ऊपर खुला

(डॉ० बहादुरसिंह)

इल्ज़ाम है। वे हमेशा हमको नेग्लेक्ट करते हैं। यों तो हमारे ऊपर राज्य सरकार की विशेष कृपा है कि वह इधर ध्यान हीं नहीं देती। भरतपुर का पूरा होने पर ही धौलपुर, को पहुंच पाता है। वह ऐसी जगह पर स्थित है कि जहां राजस्थान का सीधा सम्बन्ध नहीं है। धौलपुर और भरतपुर को जोड़ने के लिए टुकड़ा बना दिया जाता तो हम साथियों से बार बार आकर मिलते तो संभव है कि वे ज्यादा ध्यान देते।

अब मैं आपका सिंचाई साधनों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। धौलपुर के अन्दर सिंचाई के साधन काफी हैं और यदि उनका प्रयोग अच्छी तरह से किया जाय तो और भी बढ़ सकते हैं। उर्मिला सागर जहां से नहरें निकलती हैं। लेकिन सिंचाई व्यवस्था खराब है और क्यों है यह मैं आपको बताऊंगा। आधा पानी नहर में और आधा वेस्ट वेयर में और तालाब खाली। खरानी खेड़ा गांव का नाम ले लूं, वहां जावें तो आप देखेंगे कि किस तरह से पानी वेस्ट हो रहा है, पानी खेत में नहीं जा रहा है, जाय तो पैदावार बढ़ जाय, या तो सिंचाई विभाग पानी नहीं देता या अन्य कारण भी हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं कि उर्मिला सागर में पिछले २० वर्षों में कम पानी आता था इसलिए सिंचाई कम होती थी लेकिन अब पूरा आता है इसलिए नहरें बढ़ाई जा सकती है और उससे काफी एरिया हरा भरा हो सकता है। इससे गेहूं आदि की काफी पैदावार बढ़ेगी।

जहां तक अनाज के थोक व्यापार को सरकार के द्वारा हाथ में लेने का सवाल है मैं उसका स्वागत करता हूँ। यह जो व्यापारी वर्ग है, पूर्ण साधन सम्पन्न है और उनसे मुकाबला है। आप जिस फौज को लेकर लड़ना चाहते हैं उस फौज के मुकाबले में दुश्मन की फौज काफी मजबूत है। आपका सेक्रेटेरियेट कमजोर है, ऑफिसर्स कमजोर हैं करप्ट हैं। इन व्यापारियों से संघर्ष ले सकेंगे या नहीं, यही मैं सोचता हूं। इन व्यापारियों के लिए आपने कानून बनाये, कई रेस्ट्रिक्शन्स लगाये लेकिन इन्होंने सारी योजना फेल कर दी और हम देखते रहे। अधिकारी फौजें डाल कर पड़े रहे और तस्कर व्यापार जारी रहा। उसी कारण से आज यह कठिनाई आई। सरकार द्वारा गल्ले का व्यापार करने की योजना सुन्दर है। देश पर यदि मुसीबत आजाय तो ये व्यापारी भूखों मर सकते हैं। इसलिए गल्ले का व्यापार राज्य सरकार को अपने हाथ में ही रखना चाहिये और इसकी व्यवस्था के लिए योग्य, ईमानदार और होशियार अधिकारियों की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए ऐसे अधिकारियों को ही रखें। ऐसा न हो जैसा धौलपुर में चावलों का व्यापार हो रहा था। यह एक शानदार कदम होना चाहिये।

जहां तक भूमि सुधारों का सवाल है, सुन्दर कदम है। आज ही पेपर के ज़रिये से मालूम हुआ कि जमींदारी उन्मूलन पर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो चुके हैं। जमींदारी धौलपुर से शीघ्र खत्म कर दी जावेगी और इसी आशा से भूमि सुधारों के सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं बोलना चाहता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं

(डॉ० बहादुरसिंह)

वह है । उत्पादन के सम्बन्ध में धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में चम्बल वैली है जो काफी बड़ी है और वहां कृषि योग्य भूमि है । उस पार मध्यप्रदेश में बुल डोज़र से काफी अन्न उत्पादन की योग्य भूमि बनाने की योजना है इसलिए इस ओर भी सरकार योजना बनाये तो काफी उन्नति हो सकती है एवं काफी भूमि पैदावार के लिए निकाली जा सकती है, जिससे अन्न का उत्पादन काफी बढ़ेगा। राजस्थान केनाल के बारे में भी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया वह राजस्थान के लिये बड़े गौरव की चीज़ होगी, यह मैं आशा करता हूँ।

इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने पुलिस ज़ोन बनाने के बारे में भी ज़िक्र किया मैं समझता हूँ पुलिस में एफीशियेन्सी लाने के लिये पुलिस ज़ोन का होना आवश्यक है।

इसके अलावा मेरा तो यह भी निवेदन है कि विद्युत के लिये ज़ोन बना दिया जाता जो हमारे लिये बहुत आवश्यक चीज़ है। हमारा बहुत बड़ा हिस्सा भाखरा बन्ध में है, लेकिन जो विद्युत उससे हमें प्राप्त हो रहा है, वह पर्याप्त नहीं है। विद्युत की स्थिति हमारे यहां काफी बिगड़ी हुई है। जिस वक्त सारे हिन्दुस्तान में विद्युत का प्रकाश हो रहा था उस समय हमारे धौलपुर में अन्धेरा था। वहां का पॉवर हाउस उस समय बिल्कुल खराब पड़ा था तीन दिन तक वहां के लोगों को वाटर वर्क्स से पानी तक नहीं मिला !

इसके बाद राज्यपाल महोदय ने उद्योग धंधों का ज़िक्र किया लेकिन जब तक हमारी विद्युत की स्थिति नहीं सुधरती तब तक हमारे यहां छोटे छोटे उद्योग धन्धे पनप नहीं सकते। इसलिये आवश्यकता है भाखरा से या चम्बल से, कहीं से भी बिजली मिले, हमें प्राप्त करनी चाहिये। हमारा भाखरा में बहुत बड़ा शेयर है इसलिये भी हमें बिजली अधिक मिलनी चाहिये इसके अलावा हमारा राजस्थान बैकवर्ड एरिया है इसको भी ध्यान में रखते हुए हमें अधिक से अधिक बिजली प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

अब मैं सदन का ध्यान हमारी उद्योग नीति की ओर ले जाना चाहता हूँ। इस बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में ज़िक्र किया है उसमें उन्होंने अपनी औद्योगिक नीति के बारे में कुछ नहीं बतलाया है। हमारी उद्योग नीति बिलकुल स्पष्ट होनी चाहिये। ऐसा मालूम देता है कि हम बिल्कुल भूखे हैं और जिस प्रकार भूखे के सामने एकदम अन्न आ जाता है तो वह उस पर एकदम टूट पड़ता है उसी प्रकार की हमारी उद्योग नीति है। आप बड़े बड़े उद्योग धन्धे स्थापित करें, यह सुन्दर बात है इसके बिना राज्य सफल नहीं हो सकता, अपनी प्रगति में। लेकिन बड़े उद्योगों की स्थापना के लिये हमें योजनाबद्ध कार्य करना होगा। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश ने औद्योगीकरण करने की काफी कोशिश की है। लेकिन हमारे यहां केवल २०० लघु उद्योग स्थापित किये हैं। यू० पी० की एक फिरोज़ाबाद तहसील में सिर्फ २०० उद्योग चालू हैं। हम अपने यहां लघु उद्योग तभी पनपा सकते हैं जब कि हम एक सूची बनाये और जहां जहां जिस जिस उद्योग के चलने की संभावना हो वह उद्योग वहां स्थापित करें। इसकी अलग सूची बना कर के हमें अपनी दृढ़ नीति इस बारे में बनानी चाहिये।

Page No.57

(डॉ० बहादुरसिंह)

बड़े बड़े उद्योगों को कर्ज देने के बारे में पहले काफी वाद-विवाद हुआ था, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो सहायता दी जाती है, उसके लिये हमारी एक नीति होनी चाहिये चाहे वह किसी भी फंड से दें। इस प्रकार बड़े बड़े उद्योगों के बारे में जैसे इन्जीनियरिंग का उद्योग है हम अपने यहां स्थापित कर सकते हैं। ऐसा न हो कि मुख्य मंत्री अपने यहां या उद्योग मंत्री अपने इलाके में उन उद्योगों को स्थापित कर दें और दूसरे लोग ताकते ही रह जाय, ऐसी नीति अच्छी नहीं लगती। यह मैं मानता हूं कि हर एक को अपनी अपनी इकाई का मोह है, लेकिन फिर भी इस बारे में स्पष्ट नीति रखनी चाहिये। आज आप देखेंगे लुधियाना के अन्दर इन्जीनियरिंग का उद्योग चलता है उस डिस्ट्रिक्ट में सब इन्जीनियरिंग के ही उद्योग चलेंगे। उसी प्रकार यहां भी एक एक डिस्ट्रिक्ट को एक एक उद्योग के लिये नियत कर दिया जाता है, तो हमारा प्रान्त उद्योग धन्धों में काफी प्रगति कर सकता है। उत्तर प्रदेश में जैसे फिरोज़ाबाद में कांच की चीजों के लिये, अलीगढ़ ताले इत्यादि के लिये प्रसिद्ध है। इसी प्रकार हर डिस्ट्रिक्ट एक प्रकार के उद्योग के लिये स्पेशिलाइज़्ड हो जाय तो उसका हिन्दुस्तान में मार्केट भी बन सकता है और यह जनता को मालूम हो सकता है कि फलां जगह की फलां चीज़ प्रसिद्ध है, इससे व्यापारिक प्रगति भी अच्छी हो सकती है।

जहां तक लघु उद्योग का संबन्ध है उसके लिये तो विद्युत की अत्यंत आवश्यकता है। आप अगर विद्युत का प्रबन्ध करवा सकते हैं धौलपुर के लिये, तो मैं आपको एक वर्ष के अन्दर पचास लघु उद्योग की स्थापना करवा सकता हूं। विद्युत के बगैर कार्य नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपने पीछे बैठे हुए सदस्यों का भी ध्यान रखें कि वे बोलने के लिये कितने उत्सुक हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : (जारी) मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भरतपुर में जो वैगन फैक्टरी है उससे उनको नुकसान हुआ है। मेरा उन माननीय सदस्य से व सरकार से निवेदन है, कि अगर वहां वैगन फैक्टरी से नुकसान है तो उस वैगन फैक्टरी को आप धौलपुर भेज दीजिये हम उसका स्वागत करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने सवाई माधोपुर वालों से भी कहा अगर वे भी वहां फैक्ट्री नहीं चाहते हैं तो धौलपुर में भेज दिया जाय। हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे।

अब मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करूंगा। धौलपुर के महाराजा साहब यह नहीं चाहते थे कि वहां की जनता को शिक्षा मिले और जनता शिक्षित होगी तो वे उत्तरदायी शासन की मांग करेंगे। इस कारण धौलपुर शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा रहा। आज वहां सिर्फ तीन हाई स्कूल हैं जिसमें एक लड़कियों के लिये और दो लड़कों के लिये इसके अलावा आठ या नौ मिडिल स्कूल हैं। इतनी बड़ी पॉपूलेशन में इतनी शिक्षा संस्थायें बहुत कम है। जिस क्षेत्र के पड़ौस में आगरा है जहां यूनिवर्सिटी है और उसका पड़ोसी क्षेत्र हमारा धौलपुर है वहां पर एक भी कॉलेज नहीं है। वैसे मुख्य मंत्री महो–

(डॉ० बहादुरसिंह)

दय बड़े सहृदय हैं सन्तोष और शान्ति के साथ हर बात को सुनते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि धौलपुर की जनता की एक मांग है कि वहां उच्च शिक्षा के लिये कॉलेज की स्थापना करदी जाय। हम वहां कोई आर. ए. एस. की ट्रेनिंग का कॉलेज नहीं मांगते, हम तो सिर्फ हायर सेकेन्डरी एज्यूकेशन के बाद की शिक्षा के लिये वहां कॉलेज हो यही हम चाहते हैं। अफसर भले ही वहां से न निकलें किन्तु अपर डिविज़न क्लर्कस तो प्राप्त हो जाय हम इतने से ही सन्तुष्ट हैं। कॉलेज की मांग ऐसी है कि जो आसानी से पूरी की जा सकती है। उसमें आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। न आपको बिल्डिंग बनाने की ही आवश्यकता होगी। आपको सिर्फ वहां प्रोवाइड करना है थोड़ा सा सामान और प्राध्यापक, मैं आशा करता हूं कि मेरे इस निवेदन पर माननीय मुख्य मंत्री गंभीरता से विचार करेंगे और आश्वासन देंगे। धौलपुर जहां की आबादी करीब २ लाख बीस हज़ार की हैं, उन लोगों के बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिये एक भी कॉलेज नहीं है।

अब मैं प्राइमरी स्कूलों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। कुछ ऐसा मालूम होता है कि हमारा शिक्षा विभाग बेकार लोगों को भरने का महकमा मात्र है। जहां आप हाई स्कूल पास टीचर लेते हैं वे दूसरी जगह अच्छी देख लेते हैं, तो झट इस महकमें को छोड़कर चल देते हैं। मैं आपको अपने इलाके की एक प्राइमरी स्कूल का उदाहरण दूँ, चितेरा गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, वहां मैं गया मुझे बतलाया गया कि यहां पर एक साल से टीचर नहीं है। एक दिन वे अध्यापक आये और उन्होंने लड़कों से कहा कि अगर आप मुझे दो रुपया प्रति छात्र दें, तो मैं आपको पास कर सर्टिफिकेट दे सकता हूं। आज जिन अध्यापकों को आप स्कूलों में भेजते हैं उनका यह नैतिक स्तर है तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति कर सकते हैं। वहां के गांव वाले हालांकि ब्राह्मण है और वहां मुसलमान टीचर भेजा गया उसको जगह दी खाने, पीने, रहने की, उसके लिये व्यवस्था की फिर भी टीचर वहां नहीं पहुँचा। इसके लिये इतना अवश्य है कि अगर वहां पर जाकर एस. डी. आई. इन्क्वायरी करते और टीचर सहयोग देते तो वहां की जनता को फायदा हो सकता था। इसलिये, कम से कम प्राइमरी स्कूलों में चरित्रवान और वयोवृद्ध लोग रक्खे जावें तो वे अधिक शिक्षा दे सकते हैं और बच्चों का चरित्र निर्माण कर सकते हैं। आज हम अपने विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता की मात्रा देखते हैं। उनमें संकोच नहीं होता अपने बड़ों को और गुरू-जनों तक को अपमानित करने में। पर ये कारण ऐसे हैं जिन पर गम्भीरता से हमें विचार करना चाहिये।

२ म० प०

अब मैं आपका ध्यान एक चीज़ की ओर ले जाना चाहता हूं जिसका ज़िक्र राज्य-पाल महोदय ने नहीं किया और वह है आयुर्वेद।

माननीय उपाध्यक्ष जी, शायद ऐसा मालूम होता है कि राज्य सरकार ने ५८ में इसके लिये कोई काम नहीं किया और ५६ में भी नहीं करना चाहती। नहीं तो इसका अवश्य ज़िक्र करती कि इस बारे में सरकार की यह योजना है। स्वास्थ्य पर सरकार को

(डॉ० बहादुरसिंह)

सबसे पहले ध्यान देना चाहिये। जब तक स्वास्थ्य ही ठीक नहीं तब तक कोई कुछ काम नहीं कर सकता, न प्रगति के बारे में ही सोच सकता है। जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं उसका शरीर ठीक नहीं, जिसका शरीर ठीक नहीं, वह बेकार है, वह न श्रमदान कर सकता है, न बुद्धिदान कर सकता है। इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि स्वास्थ्य सेवाओं की ओर सरकार सबसे पहले ध्यान दे।

इसके बारे में यह बताया गया है कि डॉक्टरों की कमी है और वैद्यों के लिये वेतन नहीं है। वैद्यों को जो तनख्वाह भी दी जाती है वह इतनी न्यून है कि जितनी सेन्टर के फोर्थ क्लास सर्वेंट को मिलती है बल्कि कई माने में उसे अधिक मिलता है, वैद्य को उससे भी कम मिलता है। डॉक्टर गांवों में नहीं जा सकते क्योंकि उनके लिये शहरों जैसा वहां आकर्षण नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज खोलते हैं तो वहां से मुश्किल से ३०, ४० डॉक्टर निकलते हैं और वे भी देहातों में जाना पसन्द नहीं करते। पर आयुर्वेद कॉलेज अगर आप खोलें और उधर आप ध्यान दें तो वहां से निकले हुए वैद्य गांवों में रहना पसन्द करेंगे, क्योंकि उनकी संस्कृति और भावना ही ऐसी बनती है कि वे ग्राममय जीवन पसन्द करते हैं। इसलिये स्वास्थ्य सेवाओं की वृद्धि के लिये हमें आयुर्वेद की तरक्की पर ध्यान देना ही होगा।

यह सही है कि आपने इसके लिये एक डाइरेक्टर कायम किया है पर फिर भी काफी कमी है। आप उस डाइरेक्टर को देते क्या हैं। एलोपैथी जानने वाले को उससे कई गुना अधिक आप देते हैं। उसको जितना मिलता है उसका १, ३ भी आप उसको नही देते। फिर भी सेवाएं आपको उनसे चौगुनी मिल जावेंगी। ऐसी स्थिति में आपको इस ओर काफी ध्यान देना चाहिये।

इसके लिये आपको निर्माण शालाओं की ओर ध्यान देना होगा। मैं मानता हूं कि आज जो काम इनमें होता है वह अच्छी तरह से नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : बजट के समय भी ये सारी बातें दोहरानी होंगी। इसलिये अभी तो उनको संक्षेप में रक्खा जावे तो ज़्यादा ठीक होगा।

डॉ० बहादुरसिंह : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उन्हें यदि स्वास्थ्य सुविधाओं की वृद्धि करनी है तो निश्चित तौर पर विशेष योजना आयुर्वेद के लिये करनी चाहिये।

संस्कृत के लिये अलग डाइरेक्टोरेट के लिये ज़िक्र किया है यह सराहनीय कदम हैं। बात यह है कि अगर हमें अपना नैतिक स्तर सुधारना है और चरित्र बनाना है तो संस्कृत का शिक्षण देना होगा। आज हमारा चरित्र गिरने का एकमात्र कारण अंग्रेजी का शिक्षण है। इसका शिक्षण ही अजीब टाइप का है।

अब मैं अन्त में राजस्थान सरकार के जो कार्यकर्त्ता हैं, जो यह नौकरशाही है उनको एक अपील करना चाहता हूं, और वह यह है कि आप क्या राजस्थान में जनतंत्र पसन्द करते हैं या डिक्टेटरशिप? यदि जनतंत्र पसन्द करते हैं तो आपको अपनी मनोवृत्ति जनतान्त्रिक बनानी होगी। आज क्या स्थिति

(डॉ० बहादुरसिंह)

है, आप चीफ पंचायत ऑफिसर के ऑफिस में जावें या डाइरेक्टर लोकल बॉडीज़ के ऑफिस में। बड़े से बड़ा पंच या सरपंच या किसी म्युनिसिपेलिटी का चैयरमैन भी जाता है तो उसे एक चालीस रुपया पाने वाला चपरासी रोक देता है। उन पांच हज़ार या पचास हज़ार की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले पंच सरपंच या चेयरमैन तक को कह देता है ठहर जाओ। वह मिलने नहीं देता। इस तरह की वहां अशोभनीय घटनाएं घटित होतीं हैं जिनको देखकर ताज्जुब होता है कि हम किधर जा रहे हैं, वहां बैठने तक का प्रबन्ध नहीं। आप देखेंगे कि वहां बड़े से बड़े सिटी का चेयरमैन तक बैठा होगा स्टूल पर जहां उनका चपरासी बैठता है। यह स्थिति विचारणीय है। इन सब बातों पर विचार नहीं किया तो न मालूम हम कहां जाकर टिकेंगे।

मैं फिर खाद्यनिति की ओर अन्त में आपको ले जा रहा हूं कि धौलपुर की खाद्य स्थिति...

श्री उपाध्यक्ष : आरम्भ भी तो इसी से हुआ है।

डॉ० बहादुरसिंह : सुबह शाम दोनों वक्त भोजन की जरूरत पड़ती है। तो इस स्थिति को सुधारने के लिये आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिये। कम से कम जो चावल बाहर जा रहा है जिससे राजस्थान की भी काफी बदनामी हो रही है, रोका जाना चाहिये। एस. डी. ओ. २२ हज़ार का चन्दा करता है टैक्स के तौर पर। आखिर दूसरी स्टेटों की तरफ भी हमें देखना चाहिये। ये बातें ऐसी हैं जिनमें बदनामी उठानी पड़ती है। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

श्री गिरधारीलाल : सब बोल लिये क्या हम ऐसे ही रहेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : The chair is expected to exercise discretion to the convenience of the entire strength of the House.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Dy. Speaker, Sir, I must first thank your honour that I was able to draw your kind attention after three days'perseverance....

श्री उपाध्यक्ष : You have given a right of defence to the objection of the other Hon'ble Members.

डॉ० चन्द्र कला : हिन्दी में बोलिये।

श्री श्रीभानसिंह : आप बोलने तो दें। काफी देर बाद बोलने का मौका मिला है। हिन्दी और अंग्रेजी क्या?

Mr. Deputy Speaker Sir, Firstly, I must note one thing and thank the Hon'ble. Leader that on such an important debate he is present......

श्री मुक्तिलाल मोदी : वे कह रहे हैं, हिन्दी में बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुक्तिलालजी मोदी, इस आसन की ओर संकेत करके बोलें।

श्री श्रीभानसिंह : मैं कह रहा था कि सदन के नेता को इस बात के लिये धन्यवाद दे दूँ कि इतनी इम्पोर्टेन्ट डिबेट पर कम से कम वे प्रेजेन्ट हैं। तो इस हाउस को समझना चाहिये कि सारी कैबिनेट प्रेजेन्ट है। पर फिर भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मन्त्री महोदय हों और उनके डिप्टीज़ भी हों और जो मन्त्री महोदय किसी वज़ह से आज प्रेजेन्ट न रह सकें, तो सदन कम से कम इस डिबेट के ऑकेज़न पर तो नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि वे डिबेट को महत्व देने के लिये प्रेजेन्ट रहेंगे।

अब मैं भाषण पर आऊं। तो मैं कह रहा था कि छः या सात साल की प्लानिंग के बाद और जब कि भारतवर्ष की सरकार ने अपना ध्येय और उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य रक्खा है। उस सरकार के एक गवर्नर एड्रेस में सबसे पहले लॉ और ऑर्डर के प्रोब्लम के बारे में ज़िक्र किया जावे, तो कुछ कम से कम जहां तक मेरा प्रश्न है मैं इसको यह कहूँ कि लॉ और ऑर्डर से पुलिस के पैराग्राफ से बिगिन करना एक कल्याणकारी राज्य के अन्दर मुझ को कुछ बड़ा अन्फेमिलियर लगा, बड़ा स्ट्रेन्ज और इस स्टेज में इतने अर्से के बाद भी इससे बिगिन करना मुझे बड़ा एम्बिगुअस सा लगता है। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या सन् १६५१ से पहले राजस्थान के अन्दर लॉ एण्ड ऑर्डर की प्रोब्लम हो सकती थी? लेकिन सन् ५१ से निरन्तर पुलिस पर खर्चा बढ़ा है और सन् १६५८-५६ के अन्दर कल्याणकारी राज्य और जहां कि, मैं यह कहूं कि हमारी इकोनोमी क्राइसेस के अन्दर जा रही. जहां हमारे सामने फूड की सिचुएशन है दूसरी, तरफ नागपुर का रेज़योल्यूशन हमारे सामने है, जहां पर हम रेवेल्यूशनरी चेन्जेज़ करना चाहते हैं उस स्टेट के अन्दर हम अटेन्शनड्रा करें पुलिस पर और लॉ एण्ड ऑर्डर पर...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : (नसीराबाद) : On a point of information, Sir I want to know whether the Hon'ble Member is speaking in the support of the proposition of thanks......

श्री श्रीभानसिंह : I will reqest the Chair that I refuse to give any infor. mation to the Hon'ble Member.

श्री उपाध्यक्ष : The trend of argument will reveal itself.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सदन को यह पहले मालूम होना चाहिए कि यह विरोध में बोल रहे हैं या पक्ष में बोल रहे हैं, उस प्रस्ताव के जो कि सदन के सामने है?

श्री श्रीभानसिंह : Have patience तो जब कि हमारे सामने फूड सिचुएशन है तो सदन सबसे पहले यह जानना चाहता था कि राज्यपाल महोदय के भाषण में सरकार ने इसको किस तरह से टैकल किया है। लेकिन राज्यपाल के भाषण में तो सबसे पहले अटेन्शनड्रा की गई है पुलिस और लॉ एन्ड ऑर्डर पर। अभी-अभी आपने लॉ एण्ड ऑर्डर की प्रोब्लम सोल्व कर ली और उसके बाद में मैं सिर्फ इस नतीजे पर आ सकता हूं और वह यह है कि जो बजट आने वाला है उसमें लॉ एण्ड ऑर्डर या पुलिस पर राजस्थान सरकार की कोई कम खर्च करने की मन्शा नहीं है। राजस्थान सरकार से इस पुलिस के रेशनेलाइजेशन की उम्मीद न करें। सदन यह उम्मीद न करे कि यह नॉन-डवेलप-

(श्री श्रीभानसिंह)

मेन्ट एक्सपेन्डीचर को कम करके डवेलपमेन्ट की तरफ खर्च करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जिस राजस्थान के अन्दर खाद्य समस्या है तो हम जानना चाहते थे कि आखिर यह समस्या क्यों पैदा हुई। सिर्फ राज्यपाल महोदय के भाषण में यह था कि खाद्य की समस्या उत्पन्न हुई ड्राँट से। मैं तो कम से कम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ड्राँट होने से और हमारे राज्य को ऐसे ज़ोन में रखने से यह समस्या पैदा हुई। हमें मध्यप्रदेश और बम्बई की ज़ोन में मिलाया गया और इस कारण खाद्य की कमी आई। आपको देखना चाहिए था कि हमें फेल किसने किया। अगर जो आप मुझसे इसका जबाव पूछते हैं तो मैं कहूंगा कि हमें प्रोड्क्शन ने फेल किया। हमारा खर्चा बढ़ता रहा, हमारी पोपुलेशन बढ़ती गई और पोपुलेशन से डिमाण्ड भी बढ़ी, मगर हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। लेवल ऑफ प्रोडक्शन बिलकुल भी आगे नहीं गया। हम एग्रीकल्चर में खर्चा बढ़ाते गये लेकिन उसका रिटर्न नहीं आया, हमने जो भी खर्चा एग्रीकल्चर पर किया उसको कभी भी इवेल्यूएट नहीं किया। हमने इसके लिए कोई इन्क्वायरी नहीं बैठाई कि जो भी खर्चा हमने किया, उससे हमने नतीज़ा क्या निकाला। आप सिर्फ इतना कह देंगे कि हमने इम्प्रूव्ड इम्पलीमेन्ट्स दिए। मैं कहता हूं कि आपने कितने इम्प्रूव्ड इम्पलीमेन्ट्स दिए ? आप कहेंगे कि हमने टैकटिक्स बताई। हमें जब प्रोडक्शन फेल करता गया तो यह स्थिति क्रीयेट हो गई। आपके जो एक्सपोर्ट के फिगर्स हैं वह तीन साल की ले लीजिए तो आपको मालूम हो जायेगा कि आपका एक्सपोर्ट ग्रेन का हमेशा डिवीन्डल करता गया है। एक्सपोर्ट के डिवीन्डल करने से मैं तीन नतीजों पर आता हूं कि या तो यह प्लानिंग की वज़ह से हो सकता है, कन्ज़म्पशन बढ़ा या समझिये कि पोपुलेशन बढ़ी, जिसके कारण राजस्थान के अन्दर यह सिचुएशन आई। इसके अलावा कोई और नतीजे नहीं दीखते ? जब हम यह मानते हैं कि कन्ज़म्पशन बढ़ा, पोपुलेशन बढ़ी मगर इनके साथ में प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। इसका कारण यह है कि एक नॉन टैक्निकल आदमी को हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट बना दिया है और सरकार को उसमें फेथ है। आज जो डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर है वह नॉन टैक्निकल आदमी है। चाहे वह आर० ए० एस० हों या आई० ए० एस० हो, मगर जहां तक कृषि का सम्बन्ध है उनसे ज्यादा इग्नोरेन्ट आदमी इस विषय में राजस्थान में नहीं होगा। क्या आप उनसे यह एक्सपेक्ट करते हैं कि वह कोई एग्रीकल्चर की नीति निर्धारित करेगा, क्या आप बाई वे ऑफ फर्टीलाइज़र कुछ क्वान्टिटी एक्सपेक्ट करते हैं सिवाय इसके कि वह यह करें कि आज किसी के ट्रांसफर पर दस्तखत करें और कल दूसरे के ट्रांसफर पर दस्तखत करें। दूसरे हमारी राजस्थान सरकार ने फूड के मामले में एडवाइज़र रखा है। श्री रामजी काक याने आप फूड प्रोब्लम को चैक-अप करना चाहते हैं और मिडिल क्लास के स्टेन्डर्ड को बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप एग्रीकल्चर एडवाइज़र रखते हैं श्री रामजी काक। फिर हमारे फूड की पॉलिस क्या हो और प्रोडक्शन कैसे बढ़े ? जिनकी एग्रीकल्चर के अन्दर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। एक्सपीरियेन्स के लिए तो मैं यह मानता हूं क्रिकेट में जैसे डब्ल्यू० जी० ग्रेस० हैं उसी तरह राजस्थान फार्मिंग में डब्ल्यू० जी० ग्रेस हैं। क्या राजस्थान के

(श्री श्रीभानसिंह)

अन्दर कृषि की। शुरुआत उन्हीं से हुई थी ? क्या उनसे ज़्यादा एक्सपीरियेन्सड आदमी आपको कोई भी नहीं मिला। तो हमारा जो यह इम्पलीसिट फेथ है एक टैक्निकल डिपार्टमेंट में नॉन टैक्निकल आदमी रखकर काम करने का। कहा जा सकता है यही कारण है हमारे फेल्योर का। इसी का नतीजा आज हमें सन् ५८ और ५६ में भुगतना पड़ रहा है। हमारा एक्सपेन्डीचर बढ़ता गया लेकिन हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्शन साइड को इर्रिगेशन से लिया जाये। इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट के लिए कहा गया कि हम इर्रिगेशन पर ज्यादा खर्च करेंगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर हम पिछली पंचवर्षीय योजना को उठाकर देखें तो सिवाय भाखरा और चम्बल के इर्रिगेशन के और कोई योजना नहीं मिलती। पिछले प्लान वर्कस में जो स्टेट प्लान में या उनमें से भी हम पूरा काम नही कर सके। जो स्केयरसिटी वर्क्स थे १७६ लाख के करीब उनके लिए अलॉट था उनको भी पिछले प्लान में कम्पलीट नहीं कर सके। जो माइनर इर्रिगेशन वर्क्स थे उनको भी हम कम्पलीट नहीं कर सके। मगर इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट निरन्तर राजस्थान गवर्नमेन्ट को यह फिगर्स सप्लाई करता रहा कि हमारे प्लान वर्क्स से इतनी जमीन इर्रिगेट होगी और उसके बेसिस पर वर्क कर दिया कि इतना क्रॉप मल्टीप्लाई कर दिया, 50 percent increase in production. उसके बेसिस पर करते गये, लेकिन अन्त में देखें तो जितने भी फर्स्ट ईयर के प्लान वर्क्स थे, उनको सैकिण्ड प्लान में किया गया और आज भी निश्चित स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि कितने इर्रिगेशन वर्क्स कम्पलीट हो गए, माईनर, मेजर या वैल्स और कितनी लैण्ड उनसे इर्रिगेट होगी ? हमारे इर्रिगेशन से इन्क्रीज़्ड रेट्स के फार्म में कितनी रेवेन्यु रिसीट्स आई, कुछ पता नहीं। तो कृषि को एक बार फुटिंग पर टैकल करना चाहते हैं, बढ़ती हुई जनता को २० औंस या जो कुछ भी क्वान्टिटी फिक्स है वह जहां उनको मिले और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ठीक नहीं है। फिर हम अपनी होप्स रखते हैं इर्रिगेशन पर और इर्रिगेशन जो है वह एक्सपेन्डीचर के ऊपर टेम्पो मेन्टेन नहीं करता है। तो फिर प्रोडक्शन किस चीज़ से बढ़े। मैं एक बात और कहूंगा और वह यह है कि हमारी मिनिस्ट्री में भी तो एनॉमाली है। हमारे प्रोडक्शन के तो इन्चार्ज हैं श्री नाथूरामजी मिर्धा और डिस्ट्रिब्यूशन के इन्चार्ज हैं हमारे माननीय बद्रीप्रसादजी गुप्ता, तो फूड प्रोडक्शन का जहां तक सम्बन्ध है मैं इस राय का हूं कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन एक ही मन्त्री के पास होने चाहिए। आखिर स्केयरसिटी प्रोडक्शन के तो रेस्पोन्सिबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और स्केयरसिटी को इक्वेली डिस्ट्रिब्यूट करने पर दूसरे मिनिस्टर रेस्पोन्सिबल हैं। तो आखिर दोनों को कैसे करते ? रेस्पोन्सिबिलिटी किसी की कहीं भी जो कुछ रखी जाय एक मिनिस्टर को नहीं रखा जाय तो मेरा निवेदन यह है कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन साइड ऑफ दी फूड को कम्बाइन करना पड़ेंगे एक मिनिस्ट्री के अन्दर डिस्ट्रिब्यूशन साइड को हम लेते हैं तो हमें। देखना कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से यह मालूम नहीं पड़ता है कि राजस्थान के अन्दर कितने टन्स व्हीट डिस्ट्रिब्यूट किया गया ? कितनी फेअर प्राइस शॉप्स खोली गई हैं ? मैं मानता हूं कि सरकार ने कदम उठाया

(श्री श्रीभानसिंह)

है और कदम उठाने के नतीजे भी हांसिल हुए हैं। भरतपुर में हम फूड प्रोब्लम को जिस तरह से टैकल करना चाहते थे उस तरह टैक्ल नहीं कर सके हैं, क्योंकि टैक्ल यों नहीं कर सके है कि जहां अर्बन एरियाज़ के अन्दर सेन्ट्रेलाइज़ पोपुलेशन थी वहां पर फेअर प्राइस शोप्स खोल दी लेकिन रूरल एरिया के अन्दर जहां कि पोपुलेशन कन्सेन्ट्रेट नहीं है। लेकिन पोपुलेशन मेज़ोरिटी में रूरल एरिया के अन्दर थी, वहां पर एक भी फेअर-प्राइस शाप नहीं खोली गई। प्राइस कन्ट्रोल करते है तो भी, प्राइस को स्टेबिलाइज़ नहीं कर सकें हैं, और मेरी यह मान्यता है कि राजस्थान गवर्नमेंट प्राइस को स्टेबिलाइज़ नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि हम प्राइसेज़ को लोअर लेवल पर नहीं ला सके हैं। उसको स्टेबिलाइज़ किया है वह ऐसी प्राइस पर किया है जब कि वह पीक प्राइस पर पहुँच गई। स्टेबिलिटी पीक को मेन्टेन करने में नहीं है। अगर प्रोब्लम को फाइट करना है तो हाईप्राइस का जो रिकर्स था उस रिकर्स को मिटीगेट नहीं कर सके हैं, और वह यों नहीं कर सके हैं, अगर आज फूड की कमी को फाइट करना है, फूड का अधिक प्रोडक्शन करना है तो उसका युनिट विलेज पंचायत या विलेज लैवल पर अपन फाइट कर सकते हैं। जब डिस्ट्रिब्यूशन को विलेज लेवल पर पर लाया जायगा पंचायत या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कुछ भी वाया मीडिया गवर्नमेन्ट अख्त्यािर करे। जब प्रोडक्शन विलेज लेवल पर होगा, डिस्ट्रिब्यूशन को विलेज लेवल पर लाना होगा तभी हम प्राइसेज़ को स्टेबिलाइज़ ही नहीं बल्कि नीचे ला सकते हैं। अगर उसको विलेज़ पंचायत पर नहीं लाया जायगा तो पीक स्टेबिलाइज़ कर सकते है। रिकर्स इन्क्रीज्ड प्राइसेज़ का मिटिगेट नहीं कर सकते। तो मेरा मतलब यह है कि अभी भी काफी टाइम है। यह हम नहीं कह सकते है कि हमने प्राइस कन्ट्रोल कर लिया है। प्राइसेज़ स्टेबिलाइज़ हो गई हैं। स्टेबिलाइज़ हुई हैं पीक पर। अभी भी उनको नीचे ले जाना चाहते है तो फेअर प्राइस शाप्स को विलेजेज़ में ले जाना पड़ेगा।

इस फूड प्रोब्लम को सोल्व करने के लिए राजस्थान सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग की जो स्कीम इसके अन्दर दी है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मगर कुछ स्वागत करूं, इससे पहले कि मैं स्टेट ट्रेडिंग पर कुछ कहूं, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की ओर कुछ ध्यान माननीय मन्त्री महोदय का दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को कुछ मालूम था कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल फ्लड रहा और फ्लड रहने की वजह से वहां की जनता की हालत बहुत खराब थी, मगर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से कम से कम भरतपुर की १० लाख में से ७ लाख जनता एफेक्टेड हैं तो उनको अभी भी यह उम्मेद नहीं है कि अगले साल इर्रिगेशन डिपार्टमेंट जो है उसको उस फ्लड से बचा सकेगा या नहीं। मैं हाउस के अन्दर बड़े अजीबो-गरीब ऑर्ग्युमेंट सुनता हूं भरतपुर में फ्लड आये वे due to heavy rains in भरतपुर है। मैं कहता हूं कि भरतपुर में रेन्स इससे तिगुने भी हो जायं तो भी कोई फ्लड नहीं आ सकता है। भरतपुर में फ्लड्स आये थे उन रिवर्स में ज्यादा पानी आने की वजह से और जहां से वे पानी लाती हैं वहां हेवी रेन्स हुए थे और उनकी वजह से भरतपुर में

(श्री श्रीभानसिंह)

जो बांध उन नदियों पर बंधे थे वे टूट गये। फेक्ट्स को एडमिट करते नहीं और कहते हैं कि भरतपुर में हेवी रेन्स होने की वजह से फ्लड आये। भरतपुर फ्लड एफेक्टेड एरिया होने के बावजूद, मुमकिन है कि राजस्थान सरकार की नीति यह हो सकती है कि अर्बन एरिया में ही फेअर प्राइस शॉप्स खोलना है, मगर एक डिस्ट्रिक्ट जो कि एफेक्टेड हैं जहां कि क्राप डेस्ट्रायड हो जाती है, आप यह जानते हैं कि वहां पर खरीफ की क्राप हुई नहीं है लेकिन रबी की क्राप आगई है लेकिन अभी भी ३० हज़ार एकड़ ज़मीन वाटर के अन्दर सबमर्ज्ड है, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए राजस्थान गवर्नमेंट एक्सेप्शन नहीं कर सकती थी। अब भी उस डिस्ट्रिक्ट के अन्दर कभी भी जाकर देखा जाय तो जो लो इन्कम–ग्रुप्स के लोग है, शिड्युल्ड कास्ट्स के लोग हैं वे अभी भी मिक्स्ड ग्रेड्स खा रहे हैं। किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। मैंने माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को पत्र लिखा था। कलेक्टर साहब को लिखा था कि यह हालत हो रही है, फेअर प्राइस शॉप्स खुलना चाहिए। कलेक्टर साहब का उत्तर आता है कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है। आप गवर्नमेंट को लिखें। गवर्नमेंट को लिखा लेकिन शायद उसके पास सेन्टर का ऑर्डर नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट के लिऐ एक्सेप्शन नहीं कर सकते थे। आज भी वही पोज़ीशन है, वही वरीज़ है और वही डिफिकल्टी है जो पहले थी। वही भरतपुर के अन्दर प्राइसेज़ हैं। इस प्रोब्लम को टैक्ल किया गया भरतपुर में किस तरह? शायद उस समय अनाज के भाव ज्यादा थे, यू. पी. के अन्दर लाइसेन्स्ड व्यापारियों ने अनाज निकाला होगा। मैं मानता हूं कि उन्होंने निकाला होगा पैसा ज्यादा लेने के लिए। उस वक्त आपके ऑफिसर्स क्या नींद ले रहे थे? जब प्राइसेज़ बढ़ रही थीं, तब विजीलेन्ट नहीं थे। जितना माल भरतपुर में था निकल गया और जब कोई ऑफिसर्स के पास एवीडेन्स नहीं रही तो अपना फेस सेविंग करने के लिए भरतपुर के व्यापारियों को अरेस्ट कर लिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि मार्केट के अन्दर इनसिक्योरिटी आई। मैंने सुना है कि कलेक्टर भरतपुर ने चीफ मिनिस्टर साहब से यह कहा कि फेअर प्राइस शॉप्स खोलने के लिए डीलर्स नहीं मिलते हैं। डीलर्स मिले कैसे? मार्केट के अन्दर इनसिक्योरिटी पैदा करते है। बिना वारन्ट्स अरेस्ट करते हैं। आज ६ महीने हो गये। वहां के लोग जो व्यापार करते थे वे परेशान हैं। ६ महीने के बाद भी सबूत नहीं है। वारन्ट अरेस्ट्स निकाल रखे हैं। दूसरी तरफ नये डीलर्स नहीं मिलते हैं, भरतपुर के अन्दर जिस तरह से फूड को टैक्ल किया गया है वह एडेक्वेट क्वान्टिटी में नहीं किया गया है और न उसको बेस्ट वे में टैक्ल करना चाहते थे। विलेज़ पंचायत लेवल पर वह टैक्ल नहीं किया गया है। तीसरी और इनसिक्योरिटी ग्रेन डीलर्स के अन्दर पैदा कर दी है। इन तीनों चीजों की वजह से अगर कोई कहे कि भरतपुर की हालत में सुधार हो गया, लेकिन जहां तक फुड का सवाल है, भरतपुर की वही हालत है।

तो मैं कह रहा था कि राजस्थान सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग के लिए निर्णय लिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। स्वागत करने का मतलब यह है कि हमारी गवर्नमेंट के पास

(श्री श्रीभानसिंह)

में पास्ट एक्सपीरियेन्स मौजूद हैं, और उन पास्ट एक्सपीरियेन्सज़ को हमको ज़रा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहा तक हम स्टेट ट्रेडिंग के अन्दर सक्सेस अचीव कर सकते है, और कहां तक नहीं ? जहां तक मेरे पास आंकड़े हैं, राजस्थान सरकार ने सन् १६५२ में ग्रेन ट्रेडिंग शुरू किया था वह चाहे होलसेल बेसिस पर नहीं हो मगर था वो स्टेट ट्रेडिंग। सन् ५२ से लगाकर ५६, ५७ तक ग्रेन ट्रेडिंग में नुकसान हुआ। गवर्नमेंट को घाटा रहा। क्यों नुकसान गवर्नमेंट को रहा ? क्या इसके रीज़न्स थे, इनमें मैं जाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर है कि ग्रेन ट्रेडिंग में राजस्थान सरकार ने ऐसा किया था कि उसमें हेवी लोसेस हुए थे। मेरे फिगर्स अगर करेक्ट हैं तो ५१-५३ में १४५.४७ लाख, ५३-५४ में १२.१८ लाख इसी तरह से जो हैं ५६-५७ में ६.४५ लाख का लोस रहा। इस तरह से जो लोसेस थे वह इतने बढ़ते गये। इससे वे इन्कार करते हैं तो मुझे करेक्ट करें। ग्रेन ट्रेडिंग में हमको यह देखना पड़ेगा कि आखिर गवर्नमेंट अभी तक किस-किस वेन्चर के अन्दर एन्टर हुई है, गवर्नमेंट के वेन्चर्स है इलेक्ट्रिसिटी अन्डरटेकिंग्स, तो इलेक्ट्रिसिटी अन्डरटेकिंग्स पॉवर हाउसेज़ रन कर रहे हैं शायद यह कहा जाय कि उनसे आमदनी कुछ नहीं आ रही है, तो ठीक होगा नुकसान में हम पॉवर हाउसेज़ को रन कर रहे हैं। पॉवर हाउस आपके लोस में रन कर रहे हैं। दूसरा, वाटर सप्लाई का जो हाल है वह सबको मालूम है। तीसरी बात, कोटन एण्ड जिनिंग फैक्ट्रीज़ थीं वे आखिर में लोसेज़ में रन करने लगीं, इसके कारण ये डिसज़ोन या ऑक्शन, सेल लिक्वीडेट या क्लोज करनी पड़ीं हैं। साथ ही साथ मोटर सर्विस का हाल देखिये टौंक मोटर सर्विस स्टार्ट की थी, सिरोही मोटर सर्विस स्टार्ट की थी, उनको भी लोस की वज़ह से आपको क्लोज़ करना पड़ा। औरों की तो और बात रही एक छोटा सा एन्टर प्राइज़ था गंगा थियेटर, बीकानेर का, जहां हम रोज़ देखते हैं कि हर एक शहर में नये-नये सिनेमा स्टार्ट हो रहे हैं, वहां गंगा थियेटर में राजस्थान गवर्नमेंट को लोसेज़ देकर बंद करना पड़ा। जो स्टेट ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, उसको डिस्करेज़ करने की बात नहीं है लेकिन हमको इससे पहले देखना पड़ेगा इन दि लाइट ओफ पास्ट एक्सपीरियेन्स। हमारा पास्ट एक्सपीरियेन्स कोट करता है चाहे इससे फायदा हो, मैं निश्चय मानता हूं कि इसमें फायदा होता है लेकिन हमको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा पास्ट एक्सपीरियेन्स को। क्योंकि यह रिफलेक्ट करता है अपनी सर्विसेज़ पर और यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिये कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ है उनके बारे में यह कहा जाय कि They are incapable of handling business enterprises. आप और हम देखें कि आर. ए. एस. और आई. ए. एस. की जो ट्रेनिंग है वह दूसरी तरह की है और एक आदमी जो बिज़नेस को मैनेज करता है उसकी ट्रेनिंग दूसरे तरह की होती है। उसके अन्दर रेसपोन्सिबिलिटी ऑन स्पोट होती है। उनकी डिफरेन्ट ट्रेनिंग होती है और डिफरेन्ट माइन्ड होता है और यह माइन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग से डिफर करता है। हमारे यहां ये जो एन्टर प्राइज़ थे उनको

Page No.67

(श्री श्रीभानसिंह)

मैनेज करने वाले भी फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर्स थे। जिसके अंडर में ये चीजें थीं वे बड़े केपेबल होंगे या केपेबल हैं लेकिन आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बिजनेस प्रिन्सिपिल्स को नहीं समझते थे। इसलिये या तो नये पर्सनल्स रेक्रूट करने पड़ेंगे स्टेट ट्रेडिंग के लिये और यदि नये नहीं लेते है तो इस समय और आने वाले साल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्सेज़ हैं स्टेट ट्रेडिंग के उनके बगैर नहीं कर सकते इसलिये मेरा सजेशन है कि स्टेट ट्रेडिंग के एक्सपीरियेन्स और ट्रेनिंग के बगैर यह कामयाब नहीं हो सकता। आपके यहां जो रिजिडिटी ऑफ रूल्स है, ए. जी. के ऑब्जेक्शन्स होते है, पर्मीशन लेने का सवाल होता है, इन सारी फोरमोल्टीज़ में गये बिना आप पर्चेज नहीं कर सकते इसलिये आपको इन रूल्स को अमेन्ड करना पड़ेगा और इस तरह से बनाने पड़ेंगे कि जो अगर ऑफिसर ऑन स्पोट एक डिसीज़न लेता है, भले ही उसके ऐसा करने में लोस ही हो लेकिन उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उसको वेलिड मानना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस एन्टरप्राइसेज़ में एडवेन्चरस स्प्रिट की जरूरत है, और यह स्प्रिट आपके आई. एस. आर. ए. एस. ऑफिसर्स में नहीं है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह मेरी मान्यता है और मेरे व्यूज़ है कि राजस्थान गवर्नमेन्ट प्रजेन्ट मोमेन्ट में स्टेट ट्रेडिंग में फाइनेन्शियल और पर्सनल व्यू पोइन्ट से और पास्ट एक्सपीरियेन्स के कारण राजस्थान खुद इसको हैन्डल न करे बल्कि सेन्टर से रिक्वेस्ट करे कि वे अपने पर्सनल यहां पर भेजें और इसके फाइनेन-शियल बर्डन को भी सेन्टर बीअर करे और यहां पर बिजनेस कम्युनिटियों में जो एज्युकेटेड और इन्ट्रेस्टेड आदमी होंगे, उनको रेक्रूट करना होगा। स्टेट ट्रेडिंग के बारे में मुझे इतना ही निवेदन करना है।

राज्यपाल महोदय के भाषण में एक सबसे अधिक एन्करेजिंग और राजस्थान की जनता के लिये हिम्मत बढ़ाने वाली चीज़ है, वह है आगामी बजट में सन् ५६, ६० में २४ करोड़ रुपये हम खर्च करेंगे प्लान एलिवेशन पर। जिसमें और चीजें कुछ अलग हैं। और हम जो अगर देखें कि यह एनकरेजिंग क्यों है तो हमारा फुल सेकन्ड फाइव इयर प्लान १०५ करोड़ रुपयों का है। उसको अगर हम ५ वर्षों में डिवाइड करें तो २० करोड़ रुपये एन्युअली आते हैं और पिछले दो सालों में हमने जो खर्चा किया है वह है १३ करोड़ और १७ करोड़ रुपये, चीफ मिनिस्टर साहब ने १८ करोड़ रुपये बताये थे इसलिये मैं १८ करोड़ कर देता हूँ लेकिन हम इस साल जो खर्चा करने जा रहे हैं, वह २४ करोड़ है। इससे मानना चाहिये कि राजस्थान में अब तक जो डवेलपमेन्ट या विकास के कार्य हुए हैं या जो डवेलपमेन्ट हुआ है वह इस इयर में एक्सेलेरेटेड, या एन्टेसिफाइड होगा या ज्यादा डवेलपमेन्ट एक्सपेक्ट करना चाहिये, जहां तक खर्चे का सवाल है। लेकिन मैं यह फिर भी कह दूँ कि जो अगर देखें कि किस तरह का प्लान एलोकेशन हुआ है डिपार्टमेन्ट है इस पर उनका हम कभी भी टार्गेट एचीव नहीं कर सके हैं। कहीं पर एक्सपेन्डिचर का टार्गेट एचीव कर सके हैं, तो कहीं प्लान का टार्गेट एचीव नहीं कर सके हैं, और कहीं पर दोनों ही एचीव नहीं किये हैं। इसमें मैं कह नहीं

(श्री श्रीमानसिंह)

सकता कि कहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है लेकिन यह जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी हमको मानना चाहिये कि २४ करोड़ से डवेलपमेन्ट इन्टेसिफाइ होगा और डवेलपमेन्ट जल्दी होगा। लेकिन इन्क्रीज़ड एक्सपेन्डिचर को देखें तो कम से कम राजस्थान का जहां तक इन्डस्ट्रियल डवेलपमेन्ट है और पॉवर नहीं है। मुझे कहना पड़ेगा कि इन्डस्ट्रियल डवेलपमेन्ट में हम बहुत पिछड़ रहे हैं और पिछड़ यों रहे हैं कि जो एडिकेट क्वान्टिटी ऑफ पॉवर की जरूरत थी उतनी जनरेट नहीं कर सके और जो इकोनोमिक प्रोग्रेस है वह तब तक नहीं हो सकती, अब तक रिक्वायर्ड पॉवर जनरेट नहीं कर सकते। सन् १९५१ में जब फर्स्ट प्लान शुरू हुआ तब हमने थरमल पॉवर स्टेशन पर कुछ एलोकेशन किये और जब १९५१ में ४२.२२ मिलियन किलोवाट की केपेसिटी एक्सपेक्ट करते थे उसे १९५७ में कर सके। लेकिन फिर भी पोज़ीशन सुधरी लेकिन ५७ में उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सके जितनी इन्डस्ट्रीज़ के लिये जरूरत थी और जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की उसकी वर्किंग कॉस्ट इतनी हेवी है कि उसे इन्डस्ट्रियेलिस्ट पे नहीं कर सके। इतनी केपेसिटी इन्क्रीज़ होने पर भी प्रोग्रेस इतनी नहीं हो पाई जिससे कि राजस्थान लोसेज़ को मेकअप करले, क्योंकि जब हमारी ५७ में पोजीशन सुधरती है तो इतनी हालत सुधरने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी हम इतनी जनरेट नहीं कर सके। पर-केपिटा एडीकेट पॉवर जनरेट नहीं कर सकने के कारण इन्डस्ट्रियल डवेलपमेन्ट इतना नहीं हो सका। थरमल की पोजीशन हमारे यहां वीक है Rajasthan continues to be a power-starved State.

हमारे यहां जब ज़ोनल कौंसिल की मीटिंग हो रही थी तब मैं यह उम्मीद लगाये बैठा था कि शायद पंजाब गवर्नमेन्ट से राजस्थान गवर्नमेन्ट पॉवर सप्लाई की ज़्यादा गारन्टी ले सकेगी। ज़ोनल पुलिस तो बाद में भी बन सकती थी उसकी अभी इतनी जरूरत नहीं थी लेकिन जरूरत इस बात की है कि भाखरा से पॉवर मिलने का जो हमारा शेअर है वह हमें क्यों नहीं मिलता। क्या चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारे केस को वहां पर रिप्रजेन्ट नहीं किया? राजस्थान की डिमान्ड पॉवर की थी we are partners in Bakhra Nangal Project. और जब पार्टनर होते हुए हमारा कांट्रिब्यूशन मौजूद है तो उसके मुताबिक हमको पॉवर क्यों नहीं मिलती। शायद ५००० जो प्रोमिज़्ड थी वह भी नहीं आई जब कि हमारा वहां पर इन्वेस्टमेन्ट मौजूद है, पी० ए० सी० जब उसका हिसाब देखना चाहे तो पंजाब गवर्नमेन्ट उसे मना करदे और फिर भी हमारा शेअर मौजूद हो और हमको पूरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं दें। समझ में नहीं आता कि राजस्थान स्टेट पंजाब गवर्नमेन्ट की जनरोसिटी पर है It is matter of right and we must claim it. जब कि दिल्ली ने बिल्कुल कांट्रिब्यूट नहीं किया तब भी उसको भाखरा से पॉवर मिला। लेकिन जब कि हमको इकोनॉमिकली इसकी ज़रूरत है तब भी हमको हमारे कांट्रिब्यूशन के मुताबिक पॉवर नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? मैं इसको स्ट्रोन्गली फील करता हूँ। आपने ट्रान्सफोर्मेशन लाइन्स भी उनको हैन्डओवर करदी हैं। पंजाब गवर्नमेन्ट की मर्ज़ी पर पहले भी मुन्नसर

(श्री श्रीभानसिंह)

थे और अब ट्रान्सफोर्मेशन लाइन्स उनकी मर्ज़ी पर देने को मजबूर हो गये।

मैं समझता हूं, राजस्थान के अन्दर एडीक्ट्रेट इलेक्ट्रिशियन्स, पर्सन्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया है, उससे हम उम्मीद करते हैं, पर उम्मीद क्या करें जब कि यह सारा काम पंजाब गवर्नमेंट को सौंप दिया गया।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): That is in the Punjab territory.

श्री श्रीभानसिंह : May be in the Punjab territory, but it is to supply power to us that they are constructing these transmission lines. To supply power to us......

तो इसलिये उनकी टोरिटरी में हैं तो उन्हीं पर हम डिपेन्डेन्ट हैं, हम इन्डिपेन्डेन्ट तो नहीं हैं कि जब भी हमें पॉवर चाहिये अपने ऑफिसर्स को कह कर कम्पलीट करा लें। इसलिये मेरा माननीय चीफ मिनिस्टर से निवेदन है, हाउस से निवेदन है कि हमें, अगर पंजाब गवर्नमेंट नहीं मानती है तो होम मिनिस्टरी तक इस आवाज़ को पहुँचाना चाहिये। That you are denying our right. जब कि हमारे यहां पॉवर नहीं थरमल स्टेशन हमारे यहां बीकानेर में लगे हुए हैं जो बहुत पुराने हैं, जो पॉवर नहीं बना सकते और पंजाब गवर्नमेंट हमें पॉवर नहीं लेने देती, जब कि हमारा इन्वेस्टमेंट मौजूद है भाखरा में, हमारा कॉन्ट्रिब्युशन है। देहली का कोई कॉन्ट्रीब्युशन इसमें नहीं है, फिर भी देहली को डाइरेक्ट दी जाती है तो हमको रिप्रेज़ेन्ट करना चाहिये...that You are denying our right. The crux of the problem is electricity, power, energy, that is wanted in Rajasthan.

इस प्रोब्लम को सोल्व करावें।

उधर सवाल है चम्बल का, हम बेस्ड हैं चम्बल की इलेक्ट्रिसिटी पर Chambal is the only hope लेकिन चम्बल पर भी सर्वे के अलावा कुछ काम नहीं हुआ है। मध्यभारत के अन्दर सुना जाता है कि आधा पार्ट कम्पलीट कर लिया गया है और इसका नतीजा यह होगा कि अगले साल जो इले-क्ट्रिसिटी आने वाली है वह मध्यप्रदेश सर-कार ले जायगी, उन्हें एक्सक्यूज़ हो जायगा कि राजस्थान ने अपना वर्क ही कम्प्लीट नहीं किया इसलिये हम इस पॉवर को अपने काम में यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जिस तरह भाखरा से देहली पॉवर ले जाया गया उसी तरह हमें शक है कि मध्यप्रदेश भी ले जाय और इस तरह हमारी हालत इन्डस्ट्रियली इम्प्रूव नहीं हो सकती, चम्बल को हमें बढ़ाना चाहिये, Chambal is the only hope. जिस रोज़ इलेक्ट्रिसिटी राजस्थान में ले आयेंगे तो राजस्थान का इन्डस्ट्रियल डवेल-पमेंट गारन्टीड रहेगा।

गवर्नर साहब के भाषण में इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स एस्टेब्लिस करने का जिक्र किया गया है। माननीय चीफ मिनिस्टर माफ करेंगे आखिर इन्डस्ट्रियल एस्टेब्लिश करने का कोई क्राइटेरिया होना चाहिये, आपने उदय-पुर, अजमेर, बीकानेर कोटा में रखा, पर जोधपुर में रखने का क्या रीज़न है, गवर्नर के एड्रेस को सुन कर मैं समझा कि कोई इन्जीनियरिंग की इन्डस्ट्रियल एस्टेट जोधपुर

(श्री श्रीभानसिंह)

में कायम की जा रही होगी पर गवर्नर के एड्रेस को पढ़ा तो मालूम हुआ, यह इन्डस्ट्रियल एस्टेट जोधपुर की बजाय भरतपुर में क्यों नहीं खोला जाता, बनिस्बत जोधपुर के बेटर स्टेन्ड भरतपुर के लिये था, पर भरतपुर के क्लेम को हटा दिया गया नहीं तो भरतपुर में ऑलरेडी वैगन फैक्ट्री है, वहां इन्डस्ट्रियल एस्टेट कायम किया जाता तो वैगन फैक्ट्री का रिजेक्टेट मेटिरियल बचता उसे साइकिलों के पार्ट्स, सिलाई मशीनों के और दूसरी किस्मों की मशीनों के पार्ट्स बनते। तो जिसका क्लेम था उसको आपने नहीं माना। जोधपुर में तो सिवाय इसके कि उसका डवेलपमेंट नहीं हो रहा है और क्या रीज़न था, मैं कोई जोधपुर के साथ डिस्प्यूट नहीं करता पर जिस जगह इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स एस्टेब्लिश करनी चाहिये, तो इस मामले में बनिस्बत जोधपुर के भरतपुर का ज़्यादा क्लेम है। इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स के लिये मैं इतना ही कह सकता हूं कि कितनी सब्सिडियरी इन्डस्ट्रीज़ हैं, ज़िंक वगैरह की आयरन की, यह देख कर इस्टेब्लिश किया जाय और एक्स्पेडाइट किया जाय।

मैं कुछ दुविधा में हूं और मेरी समझ में नहीं आता कि गवर्नर के एड्रेस में इस बात की क्या जरूरत पड़ी कि फर्टलाइज़र फैक्टरियां कायम करने के लिये, उचित स्थान नियत करने के लिये भारत सरकार ने, सेंटर ने कमेटी मुकर्रर की है, जो राजस्थान के केस को, हनुमानगढ़ के केस को रीकन्सीडर करे। आपने वर्क आउट करके दे दिया, इर्रिगेशन पोटेन्शियल बढ़ता जा रहा है, इर्रिगेशन भाखरा चम्बल से आयेगा, रॉ मेटिरियल हमारे यहां मौजूद है, फर्टिलाइज़र सफिशियेन्ट होगा, यह सब हुआ है। तो मेरी समझ में यह रीज़न नहीं आया कि सेंट्रल कमेटी इस मामले में रीकन्सीडर क्या करेगी। रीकन्सीडर का हमें तो यह भय है कि कहीं आंध्र में या और कहीं न चला जाय। कहा गया है कि प्राइवेट सैक्टर के आदमी इस तरह की इन्डस्ट्रीज़ खोलने को तैयार नहीं होते, तो इसमें क्या दुविधा है कि राजस्थान सरकार खुद स्टेट एन्टरप्राइज़ शुरू नहीं करती। कहा गया कि हमारे राजस्थान में प्राइवेट सैक्टर इन्डस्ट्रीज़ स्टार्ट करने के लिये नहीं आ रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें यहां पॉवर नहीं मिलता और जगह से मंहगा पावर मिलता हो या राजस्थान सरकार उनको पूरी सुविधाएं नहीं देती हो। पर यह सही है कि इन्डस्ट्रीज़ स्टार्ट करने में, यहां राजस्थान में प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर दोनों पीछे रहे हैं। यहां इन्डस्ट्रीज़ स्टार्ट करने के लिये यदि प्राइवेट सैक्टर तैयार नहीं होता है, तो स्टेट एन्टरप्राइज़ पर इसे खुद राजस्थान सरकार को शुरू करना चाहिये।

मैं समझ नहीं सका कि रेफरिजरेशन प्लान के लिये सोडियम प्लान्ट शुरू करने का राजस्थान का क्लेम था, उसे क्यों प्लानिंग कमिशन ने रिजेक्ट कर दिया, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं माना कि फॉरेन एक्स्चेन्ज की डिफिकल्टीज़ हैं, पर बूल्फ–बूल्फ की तरह चिल्ला दिया जाय और बूल्फ हो जाय। हमें फॉरेन एक्स्चेन्ज की डिफिकल्टी के लिये देखना है कि जो बाहर से इम्पोर्ट कर के अपने काम में लेते हैं। नाइलोन फैक्ट्री ने मोनोपोली कर रखी है, प्लानिंग कमिशन को देखना चाहिये कि फॉरेन एक्स्चेन्ज इम्पोर्ट में कितना ड्रेन हो रहा है। राजस्थान

(श्री श्रीमानसिंह)

सरकार की ४ या ८ लाख की स्कीम रेफरि-जरेशन सेट फिक्स करने की वह क्यों नहीं मंजूर की जाती और क्यों बाहर से इम्पोर्ट किया जा रहा है। सोडियम सल्फेट का रेफरि-ज़रेशन से सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस करना चाहते थे, वह क्यों नहीं स्वीकार किया गया ?

राजस्थान गवर्नमेंट ने भी शायद टेन्डर्स काल किये थे और एक जर्मन फर्म ने टेन्डर दिया पर राजस्थान के क्लेम्स थे उनको सेंटर न मान कर सेंटर खुद आदमी भेजता है और उसी फर्म को उसी प्रकार वह फर्म टेन्डर देती है।

राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम को सेंटर ने रिजेक्ट कर दिया और सेंटर ने खुद एक्ट किया तथा राजस्थान पर उसी स्कीम को एज़ देअर ओन स्कीम थोपना चाहती है। तो इसके लिये राजस्थान गवर्नमेंट को रिप्रे-ज़ेन्ट करना चाहिये कि सोडियम सल्फेट रेफरिजरेशन के द्वारा पैदा करने की स्कीम है, उसको एक्सपेडाइट करना चाहिये। साथ में यह खुशी की बात है कि राजस्थान सरकार का एग्रीमेंट समाप्त होने को आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत और राजस्थान सरकार का डीडवाना साल्ट मोनोपोली एग्री-मेंट जिस पर लौस हो रहा है, उसको समाप्त किया जाएगा। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इन्डस्ट्रियल डवेलपमेंट का प्रश्न है, भरतपुर में स्माल स्केल पर साल्ट का काम शुरू किया जा सकता है और इसके अलावा खस का काम शुरू कर सकते हैं। सरकार को खुद को खस और साल्ट में स्टेप्स लेने चाहिये। अन्त में माननीय उपाध्यक्ष, को-ऑपरेटिव फार्मिंग पर मैं कुछ निवेदन करूंगा को-ऑपरेटिव फार्मिंग को लेकर यहां पर सबसे ज़्यादा बहस की गई और इसकी सबसे ज्यादा आलोचना हुई है और यहां तक इसकी आलोचना हुई कि कई माननीय सदस्यों ने इसकी आलोचना इस बात पर करी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग किसी भी हालत में सफल नहीं हो सकता, और अगर यहां पर कोआपरेटिव फार्मिंग लागू किया जावेगा, तो यह कोआपरेटिव फार्मिंग का जो स्टेप होगा वह हमें काम्युन-लिज़म की तरफ और डिक्टेटरशिप की तरफ ले जावेगा। इस तरह के इन्टेनशन ज़ाहिर किये गये। मगर जहां तक मैं समझ पाया हूं उनके कहने का ध्येय यह इसी लिये था कि वे कोऑपरेटिव बेसिस पर फार्मिंग को ठीक तरह से समझ नहीं पाये या जो चेन्ज आ रही है उसके प्रोसेस ऑफ थिंकिंग को ठीक तरह से समझ नहीं पाए और एडजस्ट नहीं कर सके हैं। जबकि हम यह कहते हैं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग वोलेन्ट्री बेसिस पर होगा तो फिर जनसंघ के नेता जो इस समय यहां नहीं हैं, उनका यह कहना कि क्लास में स्ट्रगल हो जायगा क्लास एन्टैगो-निज़्म पैदा हो जावेगा। सब फार्म एक में मिल जावेगा और डिक्टेटरशिप पैदा हो जावेगी। लेकिन जब हम इसको वोलेन्ट्री बेसिस पर मानते हैं तो जो ढांचा है उसको मैं सदन के सामने रखता हूं : कोऑपरेटिव फार्मिंग का मकसद is pooling of resources, pooling of the land से है। इसमें इन्डिवीजुअल, मनी, लेबर पूल होना चाहिये; between members of the co-operatives, one individual will have one vote, equality of status, equality of work and investment. जिससे आपकी ग्रोइंग

(श्री श्रीभानसिंह)

साइन्टिफिक नॉलेज फार्मर्स को प्रोवाइड कर दी जावें। तो यह कोऑपरेटिव का बेसिस है स्माल होल्डिंग्स हैं उनका एक इकोनोमिक युनिट बना कर कार्य करें, यह सब सदस्यों के इन्ट्रेस्ट में ही होगा। यह इसका क्लीअर पर्पज़ है और इसका कितना अच्छा बेसिस है। इससे यह होगा कि गवर्नमेंट इन्डिवीजुअल को जो सोर्स नहीं दे सकती और जो एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं दे सकती वह कोऑपरेटिव को दे सकेगी। They will be able to give it to the co-operatives and not to individuals. गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं कि वह इन्डिवीजुअल के फार्म के इन्ट्रेस्ट और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखती रहे और उसको प्रोपर टैक्निकल नॉलेज समय पर उपलब्ध कर दे। इससे यह होगा कि इकोनोमिकली सरकार इम्प्रूव्ड सर्विस प्रोवाइड कर सकेगी। एज्यूकेशन जो डेमोक्रेसी में होनी चाहिये, वह आपको इन कोऑपरेटिव के थ्रू देगी और जब नीचे का बेस स्ट्रोंग हो जावेगा तो मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि डेमोक्रेसी का बेस स्ट्रोंग हो जावेगा। मैं नहीं समझता कि जिस चीज़ को जनतन्त्र के आधार पर हम निर्माण करना चाहते हैं तो आप यह कहते हैं कि यह कलेक्टवाइज़ हो जावेगी, डिक्टेटरशिप कायम हो जावेगी। यह नहीं होगा। मैं यह कहूंगा कि यह तो एक प्रकार का स्लोगन है। इसका असली महत्व नहीं है। इसके साथ-साथ आप इस डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन को लागू कर सकेंगे। मगर खेद इस बात का है कि राज्यपाल के भाषण में डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन ऑफ पॉवर का अर्थ साफ नहीं था। जब हम डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन चाहते हैं तो हमें एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग-अलग करना होगा मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें कोई यहां पर गाइडन्स प्रोवाइड नहीं करना है। हमें जो गाइडेन्स दिया जाए उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसको इम्पलीमेंट करने में आफिसरों का एटीट्यूड है वह बहुत ही महत्व रखता है और सबसे बड़ा होगा। और मैं समझता हूं कि इसके लिये ऑफिसरों पर सबसे बड़ा चैक रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक मुझे यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि राजस्थान सरकार के ऑफिसरों का एटीट्यूड असेम्बली के सदस्यों के लिये भी चेन्ज नहीं हुआ है। दो रोज़ पहले की बात है, ऑफिशियल गेलेरी में ऑफिसर न्यूज़ पेपर पढ़ रहे थे वे लेजिस्लेचर को किस तरह से ट्रीट करते। उनका वही ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है। जो आफिसर ६ साल तक लेजिस्लेचर की रेस्पेक्ट करना नहीं सीखे क्या वे ओवर नाइट अपने एटीट्यूड को चेन्ज कर सकेंगे या कर लेंगे। जो वेलफेअर सर्विसेज़ में ऑफिसरों का एटीट्यूड होना चाहिये, नहीं है। कलेक्टर आज भी बाहर जाते है और राजस्थान के किसान उनको उसी तरह से आज भी नज़र पेश करते हैं जिस तरह से पुराने समय में करते थे और वे उसी प्रकार अपना हाथ बढ़ाते हैं। यह उन ऑफिसरों का एटीट्यूड है। जब तक आप इस सम्बन्ध में रेडिकल मेजर्स नहीं लेंगे मैं यह कहूंगा कि कोई सुधार नहीं होने का है।

एक सुधार का तरीका होता है एड्जोइनिंग से और दूसरा होता है विथ-ड्रा इन का। जब हम कायदे कानून बनावेंगे तो व्युरोक्रेसी के लोग जो शासन में हैं वह उस

(श्री श्रीमानसिंह)

मशीनरी को फेलयोर करेंगे। मगर वह इन्स्टिट्यूट तो फेल्योर नहीं होगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आप पहले इसके लिये ऑफिशियल क्लास को प्रिपेअर करिये। It should not be through force. फोर्स नहीं होनी चाहिये, बल्कि it should be out of service and persuasion. जब आप ऑफिसरों का एटीट्यूड, जिसको ब्युरोक्रेटिक एटीट्यूड कहते हैं, चेन्ज करेंगे उस समय मेरी यह मान्यता है कि देश आगे बढ़ेगा और जनतन्त्र की नींव मजबूत बनेगी। ऑफिसरों का ब्युरोक्रेटिक एटीट्यूड ही देश को पीछे ले जाने वाला है। मेरा यह निवेदन है, provide your official class first and then bring these measures.

अनेक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दलपतसिंह।

श्री दलपतसिंह (आबू) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने का प्रस्ताव हमारे सामने है। इसमें मैं निवेदन करूंगा और सदन का ध्यान अपने एरिया की तरफ ले जाऊंगा। आज डवेलपमेंट पर राज्यपाल महोदय ने बहुत ध्यान दिया है, मगर मैं यह कहूंगा कि कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। मैं सबसे पहले कृषि की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरा जो एरिया है उसमें पहले जो बीज का वितरण किया गया था, उसमें से ४० प्रतिशत बीज उगा नहीं, इससे लोगों की यह हालत खराब हो गई और लोगों को इसमें अविश्वास पैदा हो गया। लोगों ने बीज सरकार से लेने बन्द कर दिये और उसका नतीजा यह हुआ कि जितना बीज बचा था उसको आबू रोड में ला कर बेचा। जब बीज पर लोगों का विश्वास उठ गया तो दूसरी बार खाद का प्रश्न आया। खाद लोग वितरण करने गये तो लोगों ने खाद नहीं ली।

३ म० प०

ऐसी समस्या हमारे सामने जब आ जाती है और मामूली मामूली बातों में लोगों में अनुत्साह पैदा हो जाता है तो ये डवेलपमेन्ट के कार्यों में बड़ी भारी बाधा पहुंचाने वाली चीजें होती हैं। बीज़ के अलावा आप देखेंगे कि आबू इलाके में सिंचाई के इतने साधन हैं कि दो दो मील पर नदियां बहती हैं। यदि वहां एनी कट्स बना दें, छोटे २ बांध बना दें और खेती के काम में उनको लायें तो काफी अन्न पैदा हो सकता है लेकिन सिंचाई के साधन होते हुए भी गवर्नमेन्ट ध्यान नहीं दे रही है।

इसी प्रकार आमों की कलमें जो ग्रॉफ्टिंग के लिए आती हैं उनकी भी वही हालत होती है। जो श्रोर श्रावण में लगाये जाने चाहिये वे जुलाई में आते हैं उसका रिज़ल्ट यह निकलता है कि २०. २५ ही पनप पाते हैं। कलम लाने से लेबर और केपिटल ही वेस्ट जाते हैं। ऊपर से भेजने में देर हो जाती है, और इस कारण हम को अनसक्सेसफुल रहना पड़ता है। इसलिए राजस्थान सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि डवेलप्मेन्ट के साधन उनका उपयोग करे। रबी अभियान हुआ, मैं मानता हूं इससे काश्तकारों का उत्साह बढ़ा। लेकिन यह क्या धांधली बाजी है कि जिस बीज की जुलाई के पहले हफ्ते में आवश्यकता होती है वह आता है जुलाई के

Page No.74

(श्री दलपतसिंह)

थर्ड फोर्थ वीक में। इसीलिए यह व्यवस्था प्रोडक्शन में डाउन फाल लाती है। हमारा ध्यान प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा लगाना चाहिये। यदि अच्छा बीज लाया जाता है तो उससे हमारी सब सफलतायें हो जाती हैं। पहले पहले तो बीज ही ऐसा मिलता है कि जो उगता नहीं

३–३ म० प०

(श्री आबिद अली, सभापति, पदासीन)

इधर खाद्य समस्या ज़बरदस्त, अनाज मिलना दुश्वार हो गया। मैं उस समय माउन्ट आबू पर गया। परमिट मिला लोगों को। मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने परमिट का इन्तज़ाम किया। लेकिन व्यापारी कहते हैं कि अनाज मिलता ही नहीं, लायें कहां से। राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद दे देने से ही काम नहीं चलेगा। हमें यह देखना है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़े। यह तब ही हो सकता है जब कि उचित समय पर बीज मिल जाय। पुराने काश्तकार आज हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर से ज़्यादा नोलेज रखते हैं, टाइम पर कैसे खाद्य देना है, वर्षा आने से पहले और पीछे कैसे हल चलाना है, रेलनी वगैरा कैसे करनी है। लेकिन ऑफिसर्स थियोरिटिकल बातों में रहते हैं, प्रेक्टिकल में नहीं रहते। इसलिए सरकार से निवेदन है कि बीज समय पर देना चाहिये। रेनदा तहसील में ब्लॉक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वह बहुत एडवान्सड तहसील है। सिंचाई के साधन होने पर भी ब्लॉक नहीं है। इसका मतलब तो यह नहीं है कि वहां डेवेलपमेन्ट नहीं कर सकें लेकिन बीज तो समय पर ही पहुंच जाना चाहिये। आबू पर ऑल इन्डिया बेसिस पर यूनियन डवेलपमेन्ट कॉन्फ्रेन्स हुई थी श्री एस० के० डे० ने कहा कि They should not have this mentality.

आपके ग्राम सेवक क्या कर रहे हैं गांवों में ? गांवों में उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं। वे नहीं देखते कि बीज अच्छा है या नहीं। जब बीज अच्छा नहीं होता है तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। उनको चाहिये कि प्रोडक्शन का प्रॉपर ध्यान रखें। खेतों पर प्रेक्टिकल ध्यान देकर, कृषिकों को आगे बढ़ाने में मेहनत करायें। उनकी रिपोर्ट बी० डी० ओज़ को पहुँचाई जाया करती रहे जहां डवेलपमेन्ट कमेटीज़ से हमारे सामने आती रहे और हम उन पर डिस्कस कर सकें ताकि हम यह देख सकें कि फील्डमेन ने कितना वर्क किया है।

इसके साथ-साथ काश्तकारी में हरेसमेन्ट होता है, वह दूर होना चाहिये। इस ओर रेवेन्यु मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहूँगा। जब प्लान्टेशन का वक्त आता है, उस वक्त में रेवेन्यु गिरदावर हर एक हैरान करते हैं। जिन्स गिरदावरी हो तो उसके लिए एक दो आदमी लेकर चले जायं वहां की वहां ही फसल खड़ी रहती है, पटवारी या गिरदावर अक्टूबर के बजाय सितम्बर में ही जा कर नोट कर लें जिससे कि काश्तकारों को अपने खेत छोड़ कर पटवारी और गिरदावर के इर्द गिर्द न फिरना पड़े। ये छोटी २ ऐसी चीजें हैं जिनसे खेती में बड़ी भारी बाधा पड़ती है।

तकावी का जो वितरण होता है उस ओर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। रबी अभियान को सक्सेसफुल बनाने के लिए तकावी का वितरण हुआ। अक्टूबर में काश्तकारों के

(श्री दलपतसिंह)

पास पैसे पहुँच जाय जिससे कि काश्तकार नये इम्प्लीमेन्ट्स ला सकें और फायदा उठा सकें। फसल खत्म होने के बाद तकावी पहुँचेगी तो उसका क्या उपयोग होगा ? सब्सिडी बिलकुल फेल्योर होगी और उससे प्रोडक्शन में मदद नहीं मिलेगी। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए टाइम सिर काम होना चाहिये और ये जो चीजें लिकिंग करती हैं उनको दूर करके प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिये।

हमारा इलाका जंगलों से भरा हुआ है। फोरेस्ट मन्त्री यहां पर नहीं हैं लेकिन सभापति महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ध्यान देकर सुनेंगे कि आदिवासियों को क्या-क्या तकलीफें हैं। यह एरिया जंगलों से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी आदिवासियों को लकड़ी लाने में काफी दिक्कत है। सिरोही चालीस मील में बसा हुआ है। डी० एस० ओ० पर्मिट देता है। चार आना पहले टैक्स था अब उसको पांच रुपया कर दिया गया हैं। शिवगंज या भण्डार तहसील के लोग पर्मिट लेने जावेंगे, उनको चार आने के बजाय छः रुपया गाड़ी किराया देना पड़ेगा और फिर सिरोही से पर्मिट मिलेगा उसको पांच रुपया टैक्स का अलग देना पड़ेगा, किसी नागरिक को गाड़ी किराये करनी पड़ेगी और जब जंगल में गाड़ी लेकर जाता है तो फोरेस्टर इस तरह से नज़र आता है जिस तरह से फोरेस्ट में छिपा हुआ कोई डाकू हो। वह कहेगा कि कुल्हाड़ी कहां लेकर जाता है। उसको तीन दिन तक जंगल में भटकते रहने पर भी सूखी लकड़ी से गाड़ी भरने में कितनी दिक्कत होती है, वह मन्त्री जी नहीं जान सकते।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : बहुत घना जंगल हो तो गाड़ी भरने में ज़्यादा देर नहीं लगती।

श्री दलपतसिंह : (जारी) सही अर्ज करता हूं कि उसको एक गाड़ी भरने में भी कितनी दिक्कत होती है, ये वही जानता है। मन्त्री जी नहीं जान सकते जो कि कार में फिरते हैं। वह तो आदिवासी ही या वहां रहने वाले जान सकते हैं। गाड़ी भरने के लिए आबू का काश्तकार आदिवासी जब जाता है, बड़ी दिक्कत होती है। दांतरड़ा होता है उसको लेता है। आप आदिवासियों की एफीशियेन्सी बढ़ाना चाहते हैं, जन कल्याण हो गया आदिवासियों का, उनकी पिक्चरें बताते हैं, ये चीजें इतनी बढ़ गई हैं जिससे यह पता लगता है कि आदिवासी कितने एडवान्स हो गये लेकिन वास्तव में क्या एडवान्स बने हैं और क्या एफीशियेन्सी बढ़ी है यह आप भी जानते हैं। वास्तव में वे एडवान्स हुये नहीं है। आदिवासियों के लिये आप कहते हैं सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है उनको एडवान्स करने की। लेकिन हम देखते हैं जो आदिवासियों का रोजी कमाने का ज़रिया है, जब दांतली लेकर के कोई आदिवाशी जंगल में जाता है तो जंगल के अधिकारी उसके किस प्रकार हेरेश करते हैं यह एक देखने की बात है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिये क्रिटिसिज़्म नहीं करता किन्तु आपको यह बतलाना चाहता हूं कि आदिवासियों के साथ, ये जंगल के अधिकारी कितना बर्बर बर्ताव करते हैं। जिस समय नेहरूजी हमारे यहां आये थे उस समय श्री सुखाड़ियाजी भी उस इलाके में पधारे थे। उस समय का ज़िक्र है कि एक आदिवासी जंगल से लकड़ी का भारा लेकर आ रहा था उस समय भीखाभाई वहां मौजूद थे। उस बेचारे

(श्री दलपतसिंह)

ने लकड़ी के भारे को बांधने के लिये एक जंगल में छाल होती है उससे बांधकर वह ला रहा था He had to pay Rs. 40- as a fine. उस बेचारे पर इसके लिये चालीस रुपये का फाइन किया गया। जो आदिवासी अपना जीवन निर्वाह जंगल पर करता है, उस पर यदि चालीस रुपया फाइन हो जाता है, तो यह कितनी खराब बात है। ये ऐसी बातें हैं जिनको रोका जाना चाहिये। इस बारे में हमारी सरकार की नीति, जंगलों के बारे में स्पष्ट होनी चाहिये। और जो जंगल के अधिकारी इस प्रकार आदिवासियों को हेरेश करते हैं वह बन्द होना चाहिये।

इसके बाद राज्यपाल महोदय ने पशुओं से आर्थिक समृद्धि बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारा पशुधन देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत मदद करता है। इसके लिये मैं एक निवेदन करना चाहता हूं हमारे इलाके में एक रेबारी कौम रहती है जिसकी संख्या करीब-करीब ७१ हज़ार के लगभग है। ये कौम पशुओं का पालन करती है लेकिन जिस इलाके में ये लोग रहते हैं यहाँ पशुओं के लिये चरागाह नहीं है। आज इस कौम का कोई मिनिस्टर होता तो वह इनकी तकलीफों को जान सकता था। ये लोग ऐसे हैं जिनको किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। रेबारी बेचारा सुबह उठता है, सूर्य भगवान को नमस्कार करके वह जंगल की ओर बढ़ जाता है, वह मित्रता केवल जंगल से रखता है। दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं रहता। उसको यह भी पता नहीं किस पार्टी का राज है, कौन किस गुट का है। अब उनके लिये होता क्या है थोड़ा सा उन्होंने जंगल में प्रवेश किया कि जिस प्रकार बकरी पर पेन्थर हमला करता है उसी प्रकार जंगल के अधिकारी उस पर हमला करते हैं। वैसी हालत में पशु पालकों की समस्या का हल किस प्रकार हो। खातेदारी हक टिनेन्ट को मिल हुए हैं यह उसकी मर्जी है अपने खेत में घुसने दे या न दे, इसे मैं स्वीकार करता हूं। यह मैं मानता हूँ काश्तकार अपने खेत में रेबारी को घुसने देने से अपने हक को डिप्राइव हुआ मानता है। वैसी हालत में सभापति महोदय, मैं अर्ज करूंगा आज बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और सिरोही वगैरह जो आदि-वासियों का एरिया है वहां के लिये एक कमेटी बनायी जाय जो यह देखे कि उन लोगों को क्या तकलीफें है, पशुओं को चराने के बारे में। मैं माननीय वन मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा वह आबू एरिया में पधारे केवल हिल स्टेशन के नाते नहीं बल्कि हमारे भण्डार के एरिया में पधारे वहां के पशु पालकों के पास में एक बीघा जमीन भी नहीं है, आप जहां एक ओर लैंन्डलेस टीनेन्ट को जमीन देने जा रहे हैं, सीलिंग लागू करने जा रहे हैं, आप सीलिंग जल्दी से जल्दी लाइये, आप समाजवाद का ढांचा खड़ा करना चाहते हैं, करिये लेकिन रेबारियों की स्थिति की ओर भी ध्यान दीजिये। आज उनके पास पशु तो बहुत है लेकिन पास चराई के लिये चारागाह नहीं। कम से कम उनके लिये किसी प्रकार की भी सुविधा आप दें यही मेरा आपसे निवेदन है।

पंचायत के बारे में मैं अर्ज़ करूं यहां पंचायत वाले भी रेबारी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। आर—जिया, बावड़िया एक बस्ती है बाबू तलहटी के नीचे। वहां धन मिल सकता है। कम से कम पंचायत मिनिस्टर महोदय से निवेदन है कि रेबारियों के बारे में वे पंचायतों को इन्स्ट्रक्शन्स दे दें

(श्री दलपतसिंह)

रैबारी लोग जहां रहते हैं वहां के जंगल को ट्रैक्ट बेसिस पर न दिये जाय। ग्राम पंचायत धन पैदा कर सकती है लेकिन उनको अपने कस्बे के रहने वाले गरीबों की हालत को भी देखना चाहिये। कम से कम मन्त्रीजी आकर देखेंगे वहां रैबारी लोगों की कितनी खराब पोजीशन है उनके पशुओं को चराने के लिये जंगल नहीं। वे ऊंटों को कहां ले जावें। या तो वे राजस्थान छोड़े या पशुओं को भूखा मरने दे। इसके सिवाय उनके पास कोई इलाज नहीं है।

रोड और ट्रान्सपोर्ट के बारे में भी मैं कुछ अर्ज करूंगा, तहसील माउन्ट आबू की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कई जगहों पर पानी के कटाव से सड़कों का हाल इतना बुरा हो चुका हैं कि बरसात के अन्दर इतने गड्डे हो जाते हैं कि हैवी विहिकल्स का चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी हालत के अन्दर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ मोटरों का नेशनेलाइज़ेशन जल्दी से जल्दी होना चाहिये। अहमदाबाद से आबू तक जैसे नेशनेलाइज्ड बस सर्विस है उसी प्रकार का नेशनेलाइजेशन हमारे यहां भी नितान्त जरूरी है। इससे ट्रान्सपोर्ट के साधन बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आबूरोड से नीचे का एरिया जब बंबई स्टेट के अधीन था उस समय वहां की सड़कों की हालत अच्छी थी लेकिन जब से राजस्थान में आया है, वहां सड़कों की हालत बहुत खराब हो गई है। माउन्ट आबूरोड को छोड़ दीजिये जो एक अच्छी डामर रोड़ है उसके अलावा दूसरी रोडों का जहां तक सम्बन्ध है सब की हालत बहुत खराब है उस ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाता हूं।

अब मैं सत्ता के विकेन्द्रीकरण के बारे में निवेदन करूगा। आज भी हमारे इलाके में म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, पंचायतें कायम नहीं हो रही हैं, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस ओर जल्दी से जल्दी कदम उठाया जाना चाहिये। और म्युनिसिपल इलेक्शन इलेक्टेड बोडी से होना चाहिये। जहां आप सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं, तो आप उस इलाके के लोगों को भी नागरिक हक का उपयोग करने दीजिये। क्या आप को तीन साल होने पर भी भरोसा नहीं आया कि वहां के नागरिक राजस्थान के साथ में है। जब आप सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं तो हमारे वहां पर भी पंचायत म्युनिसिपेलिटीज़ का चुनाव बराबर वैधानिक ढंग से होना चाहिये, और इलेक्टेड बोडी द्वारा होना चाहिये।

अब मैं आपका ध्यान हैल्थ की ओर दिलाना चाहता हूं। माउन्ट आबू पर आपने एन्टी मोसक्यूटो फोर्स भेजी है, वह ठीक है लेकिन मेरे इलाके में बहुत ऐसे हॉस्पिटल पड़े हुए हैं जहां डॉक्टरों की बहुत कमी है। अनादरा में डॉक्टर के लिये मन्त्री महोदय से प्रार्थना की। उन्होंने कहा भी कि जल्दी ही भेज दूंगा पर भेजा नहीं। वहां ७० हज़ार का इसके लिये भवन बना पड़ा है। चारों तरफ काफी गांव पड़ते हैं। अब रिक्वेस्ट करूंगा कि वे वहां जल्दी से डॉक्टर भिजवा दें।

दूसरा भंडार पड़ता है। वहां पर इतने पेशन्ट वार्ड नहीं हैं बीस-बीस मील से रोगी वहां आते हैं। बीमारी से थके थकाये कहां जावें अगर वहां वार्ड होते तो एक दो रोज़

(श्री दलपतसिंह)

वे रह सकते थे, और आराम उन को मिल सकता था।

आप ने कोऑपरेटिव फार्मिंग रक्खा और किसान की मर्जी से करने की बात कही है। आप करिये। इस में किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। मेरा निवेदन तो इतना ही है। आप इन्डिवीजुअल फार्मिंग पर जोर दें या कोऑपरेटिव फार्मिंग पर कम से कम बीज बगैर सब चीजें समय से दें ताकि डवेलपमेन्ट इस कृषि की उपज में हो सके। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : डॉक्टर चन्द्रकला।

श्री गिराधारीलाल (नोखा) : लिस्ट आपके पास है। बोलने वालों को उसके हिसाब से ही आज्ञा दे रहे हैं।

श्री सभापति : मैं समय के मुताबिक एडजस्ट कर रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल : मेरी अर्ज करने की मंशा यह है कि मुझे अपनी चिन्ता नहीं है, पर मेरी बगल में जो माननीय सदस्य बैठे हैं उनका कद बहुत छोटा है। बीस बार वे उठ चुके हैं पर आपकी आई कैच नहीं कर सकी हैं। उनको आप अवसर पहले दें।

श्री सभापति : आप उनकी वकालत कर रहे हैं। अच्छी बात है। पर अभी तो मैंने डॉ० चन्द्रकला के लिये निवेदन किया है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : फिक्र इस बात की नहीं है कि कद मेरा छोटा है पर जनसंघ और रामराज्य वाले और उधर के काफी लोग बोल चुके हैं, जब कि इधर के हम लोगों में से एक भी नहीं बोला है।

श्री सभापति : एडजस्ट करना पड़ता है। पार्टी बेसिस को भी देखा जाता है। सभी को देखा जाता है, समय भी देखा जाता है।

श्री गिरधारीलाल : हमारी पार्टी में से तो अब तक केवल एक आदमी ही बोला है।

श्री सभापति : Order please. A chance will be given to you as well. मैंने अभी डॉ० चन्द्रकला के लिये कहा है। वे बोलें।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने कृपा पूर्वक सदन में पधार कर जो अभिभाषण किया, उसके सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करती हूं। अपने अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने गत साल में हासिल की गई अपनी कामयाबियों, और आगे के साल में अपनाई जाने वाली रीति नीति और योजनाओं पर प्रकाश डाला है। अपने अभिभाषण के अन्त में उन्होंने राज्य सरकार के दो अत्यन्त महत्व पूर्ण और व्यापक निर्णयों, एक सहकारी कृषि प्रणाली, सहकारी संयुक्त कृषि प्रणाली, तथा दूसरी शासन सत्ता के विकेन्द्रीकरण की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। निस्सन्देह ये दोनों निर्णय अत्यन्त अभिनन्दनीय हैं और मेरी कामना है कि ये निर्णय ध्येय में कामयाब सर्व अर्थों में क्रियान्वित होकर जन जीवन को विकसित करने में और उसको ऊंचा उठाने में सहायक हों।

इस अभिभाषण के प्रारम्भ में ही लॉ

(डॉ० चन्द्रकला)

और ऑर्डर, कानून और व्यवस्था की बात कहीं गई है। जब सबसे पहले कानून और व्यवस्था की बात सामने आई तो स्वभावत: ही मैंने सोचा कि हमारी सरकार शायद सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे डाके और लुट की घटनाओं से चिन्तित मालूम होती है, इसलिये खाद्य समस्या जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को छोड़कर सबसे पहले कानून और व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहती है। पर वाक्य पूरा होते न होते कुछ और ही बात मुझे सुनने को मिली। इसमें कानून व व्यवस्था की स्थिति बताई गई। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार को या तो अपने कानून और व्यवस्था की स्थिति का सही अन्दाज़ नहीं है, या बड़ी नम्रता के साथ सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि वह शुतुमुर्ग की नीति अपना कर अपनी आंखें बन्द करके स्थिति को भुलाने का प्रयत्न करती है। यदि कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है तो न केवल हमारे प्रान्त के, बल्कि बाहर के अनेकों अखबारों में बड़े-बड़े अक्षरों में हमारे जैसलमेर, बीकानेर बाड़मेर आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं के बारे में जिस पर कि केन्द्रीय सरकार भी चौकन्नी हो रही है, सरकार प्रिकोशन्स लेती। वहां आये दिन लूट मार होती रहती हैं और वहां का जन जीवन सुरक्षित नहीं है। इसके विषय में काफी कहा जा चुका है। मैं सदन का समय उन सबको दौहरा कर नहीं लेना चाहती।

अभी कुछ ही दिन पहले अजमेर के निकट विजयनगर में यात्री बस को दिन दहाड़े लूट लिया गया और विकास विभाग की जीप पर भी हमला हुआ। अखबारों ने खबर दी कि लुटेरों की धर पकड़ कुछ नहीं हुई है और कुछ दिनों पहले सवाई माधोपुर ज़िले में भी किसी डाकू ने उत्पात मचाया था। कोटा और धौलपुर में क्या स्थिति है, यह मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है। पर फिर भी सरकार को स्थिति सन्तोषप्रद लगती है। इसके आगे कहा गया है, कि अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के कार्य में बहुत तरक्की हुई है। मुझे कहानी याद आई उस गंवार की जिसकी लड़की को उसी के बैल से जोती हुई उसी की बहली में दुष्ट भगाये लिये जा रहे थे, उसके पीछे किसान भागता जाता था यह कहता हुआ कि हम आ रहे हैं, भाग जाओ, तुम भाग जाओ। पूछा गया कि भाई ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो। कहा यदि कोई पकड़ में आ गया तो मेरे बाल की शान नहीं चली जावेगी क्या? यही हाल है हमारी सरकार का। पर हमारी सरकार एक और तलाश करने की कोशिश करती है, अपराधी ताकि धीरे-धीरे खतरे से बाहर होकर पकड़े न जावें, और दूसरी ओर जनता को बताना चाहती है कि हम उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नाथद्वारा की घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। वहाँ के खज़ाने की सील मोहर लगे ताले को तोड़कर उस में रखी हुई अपार सम्पत्ति को महन्त अपने घर ले जाता है। मैं कानून को अधिक नहीं जानती। मैं और कुछ भी अधिक नहीं जानती पर साधारण सा व्यवहार जानती हूं। इस तरह की कार्यवाही करने पर तुरन्त महन्त को हवालात में लेना चाहिये था। पुलिस कस्टडी में लेना चाहिये था। पर यह नहीं किया गया। उल्टे उनको पांच दिन का मौका दिया जाता है उन महन्तजी महाराज को कि जो चीज वे पसन्द करें वह उसमें से ले लें। पर पांच दिन के बाद सम्पत्ति वापिस आती है। मैं माननीय मुख्य

(डॉ० चन्द्रकला)

मन्त्री महोदय से, जो उदयपुर क्षेत्र के ही हैं, पूछना चाहती हूँ कि क्या यह सब वे अच्छी तरह से नहीं जानते ? उनको अच्छी तरह से मालूम है कि नाथद्वारा का झगड़ा आज नहीं पैदा हुआ है। यह झगड़ा पुराना है। तत्कालीन उदयपुर सरकार ने २१ दिसम्बर सन् १६३१ को अपने गजट में यह साफ लिखकर ज़ाहिर किया है, कि यह सारी सम्पति महन्त की नहीं सरकार की है, मन्दिर की है। महन्त की व्यक्तिगत नहीं है, और तब से सील और मोहर का इन्तज़ाम किया गया था। जो खज़ाना आज सरकार ऑर्डिनेन्स पास करके अपने पास ले रही है और जिसका प्रबन्ध सरकार आज अपने हाथों में ऑर्डिनेन्स पास करके लेने जा रही है वह सारा काम इससे बहुत पहले उदयपुर स्टेट ने किया था। पर उस सारे प्रबन्ध में, सरकार की अपनी देखरेख में, सरकारी आदमी की निगरानी में उस खज़ाने की सील मौहर टूट कर खज़ाना महन्त ले जाता है और हमारी सरकार चुप रह जाती है। पांच दिन के बाद जब वह सम्पत्ति वापिस आती है। तब सूची बनती है। पूछा गया : सामान वही है। उत्तर मिला, हां वही है। यहीं सदन में पूछा गया तो सरकार की ओर से जवाब मिलता है सामान वही था। इत्मीनान कैसे हुआ। बक्सों में भरवा करके (बक्सों को भरकर)। मैंने अपने बचपन में भूसे को तोलने के लिये टोकरी का नाप देखा है और सुना है लेकिन हीरे और जवाहरात के लिये भी बक्सों का नाप हमारी यह राजस्थान सरकार रखती है। यह तभी सुना। वह बक्सों में भरा गया इसलिये इत्मीनान हो गया। सूची गायब है।

वह तो हुआ सो हुआ। पर यहां जयपुर में नवम्बर १७ को वही महन्तजी धीरे-धीरे उसी सामान को खिसकाने लगे रेल और मोटर से। यहां वे पकड़े गये। शक हुआ। पकड़ने पर मैं तो यह जानती हूँ कि जब यात्री रेल से या बस से सफ़र करता है तथा चुंगी और कस्टम वाले पहले तलाशी लेते हैं तो बक्सों की तलाशी लेते हैं। इस शक से कि किसी में अफीम या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। मैं पहले पहल जयपुर स्टेट में जब आई तो मेरे भी बक्से की तलाशी ली गई थी। मेरी समझ में नहीं आया यह क्यों होती है। पूछने पर बताया गया कि शायद आप ऐसी कोई चीज़ लाये होंगे कि जिस पर चुंगी या कस्टम लगता हो। तो वे लोग तो बक्स देखेंगे। जब उन को जरा भी शक होता है तो वे सारा सामान रोक लेते हैं। हमारे महन्तजी की तीन मोटरों में सामान पकड़ा जाता है, और उनमें केवल पांच बक्स रखे गये जिसमें से तीन छोड़ दिये जाते हैं। पता नहीं वह ट्रान्सपेरेन्ट थे या कैसे थे, उसके बारे में माननीय गृह मन्त्रीजी ने बताया कि उनमें कपड़े थे, व्यक्तिगत चीजें थीं। लेकिन उनके छोड़ने का कौनसा नियम था। गाड़ियां चली गई, महन्तजी चले गये और हम यहां पर कहते हैं कि जांच कर रहे हैं, नाथद्वारा की जांच कर रहे हैं ......

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : On a point of order, Sir. यह केस कोर्ट में चल रहा है इसलिए यहां डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : Is it a fact ?

डॉ० चन्द्रकला : मैं नहीं जानती।

श्री किशनलाल शर्मा : जब हम बता

Page No.81

(श्री किशनलाल शर्मा)

रहे हैं तो अब सदन में इसको डिस्कस नहीं किया जाये।

श्री सभापति : But the case is subjudice and therefore there should be no debate on it.

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या माननीय सदस्य अधिकार पूर्वक कहते हैं कि यह केस कोर्ट में चल रहा है।

श्री सभापति : When he says in the House, we should believe it.

श्री किशनलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, आपने भी सुना होगा कि यह केस कोर्ट में चल रहा है।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : जो माल पकड़ा गया है उसके बारे में केस कोर्ट में चल रहा है और मजिस्ट्रेट के यहां पेन्डिंग है।

डॉ० चन्द्रकला : अच्छी बात है। लेकिन नाथद्वारा के मामले में हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने भी कहा था कि उसकी जांच की जायेगी। तो मैंने यही समझा था कि कोई जांच की जायेगी और उस जांच में वह मेरी सूचना कुछ काम आये, इसलिए मैं बोलने खड़ी हुई थी। खैर, मैं इस मामले को यहीं छोड़ती हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : हमें आपसे जानकारी प्राप्त करने में आनन्द होता है। आप कह दें तो अच्छा है।

डॉ० चन्द्रकला : मैं अब जयपुर के अन्दर भी अपराधियों के पकड़ने और उनको रोकने की बात बताती हूँ। हमने अभी कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा था कि एक साधु को जौहरी बाज़ार में जिन्दा जला दिया जयपुर जो राज्य की राजधानी है, जहां हमारे मुख्य मन्त्री रहते हैं, सारे मंत्रीगण रहते हैं और जहां हमारे माननीय गृह मन्त्री जी का घर भी है, कदम–कदम पर पुलिस रहती है। गांवों में तो फिर भी दूर–दूर थाने होते हैं मगर यहां तो हर चौपड़ पर भी थाना है वहां पर जौहरी बाज़ार के बीच एक साधू को जनता ने मिलकर बच्चों के उड़ाने के अपराध में जिन्दा जला दिया, और हमारी सरकार जो अपराधों को रोकने वाली थी उसकी जान बचाना तो दूर रहा, लेकिन अच्छा हो कि गृह मन्त्री जी बतायें कि उस केस में कितने अपराधी पकड़े गए। हां, कुछ अपराधी पकड़े गए हैं......

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : यह मामला भी अदालत में सब जुडिस है।

डॉ० चन्द्रकला : इसी तरह से जयपुर के बारे में और दूसरी बात बताऊँ...

श्री सभापति : आपके पास जो नोटिस हैं उनकी जानकारी तो आपने पहले प्राप्त कर ली होगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जानकारी यहीं से प्राप्त हो जाये तो फिर पहले से क्यों करें ?

डॉ० चन्द्रकला : चलो यह भी ठीक है। मुख्य मन्त्री महोदय ने यह भी अच्छा मार्ग दर्शा दिया। इसी तरह से कुछ विदेशियों के

(डॉ० चन्द्रकला)

साथ जयपुर में घटना घटी थी और इसकी चर्चा मैंने सदन में स्वयं ने की थी और मैंने ही माननीय गृह मन्त्री महोदय को इसकी सूचना दी थी लेकिन उसके विषय में अन्त में यही कहा गया कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। यह घटना हुई और यह कह कर टाल दिया गया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अगर कानून और व्यवस्था का सुन्दर उदाहरण देखना है तो जयपुर शहर में देख सकते हैं और यह आप जयपुर में होने वाली आये दिन की घटनाओं और दुर्घटनाओं से देख सकते हैं। जब हम बहुत ही शोरगुल मचाते हैं तो जहां से हम लोग देखें तो वहां सिपाही खड़े कर दिये जाते हैं। वह सिपाही दो चार दिन तो खड़े रहते हैं और फिर दो चार दिन के बाद वह भी हट जाते हैं। और तो और अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस का एक आदमी मालाराम नाम का चूरू में था उसकी हत्या कर दी गई। मुझे पता नहीं यह मामला भी कोर्ट में चल रहा है या नहीं

श्री रामकिशोर व्यास : मामला बहुत पुराना है।

डॉ० चन्द्रकला : उसका कोई पता नहीं और पता नहीं उसके अपराधियों का क्या हुआ?

श्री गिरधारीलाल : अपराधियों को दण्ड दिया गया है, मुझे पता है।

एक माननीय सदस्य : तीन वर्ष की सजा हुई है।

डॉ० चन्द्रकला : इसके साथ ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दूसरे पैरा में ही लिखा है कि कुख्यात डाकू दल का सफाया किया जा चुका है। यह हो सकता है कि कुख्यात डाकू जो थे और जिनका नाम सुना जाता था उनका सफाया किया जा चुका है। लेकिन वह भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रकट होते रहते हैं। डाकू कल्याणसिंह के लिये बताया गया और इसके लिए तो वास्तव में ही हमारी सरकार बधाई की पात्र हो सकती है और श्री ताराचन्द जिन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया उनके प्रति मैं भी जरूर सम्मान करती हूँ। जिनको मैडल मिले यह तो ठीक है लेकिन हमारे यहां नये नये प्रकार के डाकू पैदा हो गए हैं उनके लिए क्या है?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : वह कौन से हैं, ख्याति प्राप्त हैं क्या?

डॉ० चन्द्रकला : कौन हैं, कुख्यात हैं या ख्यातिप्राप्त हैं, क्या कहूँ कुछ पता नहीं लेकिन ऐसे डाकू हैं और उनका भी अपना-अपना क्षेत्र है···

श्री रामकिशोर व्यास : उनका इन्तजाम सोच रहे हैं।

डॉ० चन्द्रकला : यही तो मैं चाहती हूं। यह बताने का मेरा मतलब यही है कि उसके लिए इन्तज़ाम सोच लिया जाये और तब ही जनता सुख शान्ति अनुभव करेगी। यही मैं कहना चाहती हूँ···

श्री मुरलीधर व्यास : शायद वे नज़र के सामने हैं और पकड़े नहीं जाते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : हमारी सरकार ने एक शामलात पुलिस रिज़र्व फोर्स बनाने के लिए सोची है और अगले वर्ष में इसको असली

(डॉ० चन्द्रकला)

रूप देंगे। लेकिन पुलिस को जो अकर्मण्यता है और जो काम है इसके विषय में उदाहरण के साथ बहुत कुछ कहा जा चुका है और समय कम है इसलिए मैं अधिक नहीं कहूँगी। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि पुलिस वालों की वेतन तथा दूसरी सुविधाओं को देने और बढ़ाने के साथ–साथ पुलिस ऑफिसर को काम करने देने का अवसर देने की बात को भी हमको सोचना पड़ेगा। मुझे संयोग से एक पुलिस अधिकारी मिल गए तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रान्सफर कर दिया जाता है कि हम अच्छी तरह से काम भी नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे बताया कि वह काम करना चाहते हैं लेकिन ज्यों ही काम शुरू किया कि दूसरे को वहां पर रख दिया गया। तो इस तरह से एक साल में उनके ६ जगह ट्रान्सफर हुए। अन्त में उन्होंने खुद तीन महीने की छुट्टी जो उनके नाम ड्यू थी वह लेकर बैठ गए। तो ऐसी स्थिति में···

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : आप किसके बारे में कह रही हैं ?

डॉ० चन्द्रकला : यह अलग से पूछ लीजिए।

श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : आपकी सिफ़ारिश से वहीं पर फिर रख दें।

डॉ० चन्द्रकला : तो ऐसी स्थिति में कैसे एक आदमी काम कर सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ शिक्षा के विषय में कहना चाहती हूँ। शिक्षा के विषय में शिक्षकों की स्थिति के बारे में कहा गया। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार अपने लक्ष्य से बहुत दूर है और इस भाषण में जो कुछ कहा गया है, उसमें थोड़ा सा स्कूलों की संख्या के बढ़ने के विषय में कहा गया है और बहुत कुछ लड़कियों की शिक्षा के विषय में कहा गया है। जहां तक टैक्निकल शिक्षा का सवाल है उसकी ओर अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत है और लड़कियों की शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया है। यहां तक तो ठीक है कि अध्यापिकायें काफी होंगी और उनको कन्डेन्स्ड कोर्स कराया जायेगा और वह शिक्षिका बन कर के काम करेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के विषय में बहुत कुछ सोच विचार हम नहीं कर रहे हैं। और सिवाय स्कूलों में भर्ती होने या संख्या को प्रोत्साहन देने से ही कोई शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, शिक्षा के विषय में बहुत सारी बातें या शिक्षा के महत्व पर बहुत कुछ कह कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहती हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि हमारी सारी योजनायें और सारी बातों का आधार और इन सब बातों की सफलता हमारी शिक्षा पर निर्भर होगी। हमारे लड़के और लड़कियां पढ़कर आगे बढ़ते हैं और वही हमारी योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले होंगे और वही सफल बनाने वाले होंगे। इसलिए हमें अपनी आवश्यकताओं को देखकर ही अपनी शिक्षा की योजनाओं को बनाना चाहिए। आज तो क्या होता है कि हमारे यहां ये सारे स्कूल, सारे कॉलेजेज़ हमारे बेकारों के कारखाने बने हुए हैं। इनमें बच्चे पढ़ पढ़ाकर निकलते है, उनके सामने सवाल आता है, हमारे सामने सवाल आता हैं, हमारी सरकार

(डॉ० चन्द्रकला)

के सामने सवाल आता है, उनके मां बाप के सामने सवाल आता है कि बच्चे स्कूलों से निकलकर क्या करेंगे ? टैक्निकल ट्रेनिंग लेते या ऐसी ट्रेनिंग लेते कि कम से कम अपनी रोटी तो कमा सकते। होता यह हैं कि हाई स्कूल का रिज़ल्ट निकला कि बहुत सारे आते हैं और कहते हैं कि सिफ़ारिश कर दो ताकि नौकरी मिल जाय। उनको नौकरी कहां मिलती है ? और कहीं उनको जगह नहीं मिलती है, केवल शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी मिलती है तो वहां जाकर वे बच्चों का क्या जीवन बनायेंगे ? सभापति महोदय प्रारम्भिक शिक्षा, छोटे बच्चों की शिक्षा जो किसी के जीवन बनाने के लिए मूल चीज़ है जिसकी ओर अधिक से अधिक ध्यान हमें देना चाहिए, उसकी ओर कम ध्यान देते हैं। प्राइमरी शिक्षा की स्थिति का दिग्दर्शन पहले कराया जा चुका है। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के जो मकान है वे टूटे हुए हैं। कई जगह मकान नहीं हैं। उनकी बात कही जाती है तो उनके लिए ऋषियों का आदर्श रखा जाता है कि वे पेड़ों के नीचे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बड़े हो जाते है उनके लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं। उनकी बिल्डिंगों पर खर्च करते हैं, उनके लिए स्टाफ पर खर्च करते हैं उनकी लाइब्रेरी पर खर्च करते हैं, उनकी सब बातों पर खर्च करते हैं। तो अगर सरकार सचमुच में शिक्षा के सही अर्थ पर चले तो प्ररम्भिक शिक्षा की ओर उसको ध्यान देना पड़ेगा, और उसको इस ढंग से आयोजित करना पड़ेगा, इस ढंग से उसकी योजना बनानी पड़ेगी जो ऐसे नागरिक तैयार करें जो कि आगे चलकर सारी योजनाओं में, सब बातों में मदद करें।

हमारे बापू ने बेसिक शिक्षा दो उद्देश्यों को लेकर शुरू की थी और इसके लिए बेसिक शिक्षा में पढ़ाई लिखाई के साथ उद्योग धन्धे भी सम्मिलित किये थे, ताकि बच्चों को उद्योगों की शिक्षा मिले। वे स्वावलम्बी बनें। माँ बाप को कम से कम खर्चा पड़े। उसके लिए कुछ ऐसा कर सके। हमने वह नहीं किया है। यह मैं शिक्षा मंत्री महोदय से बड़ा जोर देकर कहना चाहती हूं, मुझे ज्ञान नहीं है कि यह मामला सबजुडिस है या नहीं, लेकिन बेसिक शिक्षा उसका नाम रख दिया पर उसमें कोई बेसिकपना नहीं है। यहां मैं एक जयपुर के स्कूल के बारे में कहती हूं जो कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के निवास से कुछ ही कदम आगे है। उसको आज से करीब १ साल और १ महीने पहले बेसिक कर दिया गया है। बेसिक किया है केवल इन्स्पेक्टर के रजिस्टर में, केवल शिक्षा विभाग के रजिस्टर में बेसिक लिखा गया है। स्कूल के जो पहले के अध्यापक थे, बालक उनसे परिचित थे, बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे, उनकी जगह अब बेसिक ट्रेन्ड अध्यापक आगये हैं, और कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। एक सवाल उसके बारे में मैंने पूछा था। उसके स्कूल में पीछे एक तार खींचा गया है। वह तार मैंने देखा और पूछा कि तार क्यों खीचा गया है, तो मालूम पड़ा कि यहां खेती होगी, क्योंकि बेसिक स्कूल है, उसमें दो चार क्यारियां होना ज़रूरी हैं। वहां पर खेती होगी। इस तरह की शिक्षा है। खास खर्चा तो बढ़ गया है परन्तु फायदा कुछ नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले छोटे बच्चों की शिक्षा की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और शुरू में जमीन अच्छी बना देगें तो आगे चलकर हमें चिन्ता नहीं होगी और उच्च शिक्षा का सवाल नहीं उठेगा और

(डॉ० चन्द्रकला)

इससे जितने भी बड़े बड़े कॉलेज जो एक दो बनाना चाहते हैं तो उससे कई छोटे छोटे बेसिक स्कूल हो सकेगें। फिर शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता लाना ही है यह नहीं है, किसी तरह से पढ़ाई शुरू हो, यह नहीं है। 'स्कूल चलो' आन्दोलन किया। जुलाई में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में भरती किये गये। प्रान्त भर में इस प्रकार की कोशिश की गई। एक ओर तो शिक्षा मंत्रालय की ओर से ऐसे आदेश निकलते हैं कि स्कूल चलो अन्दोलन चलाया जाय, लेकिन दूसरी ओर उसी समय जयपुर के स्कूलों के लिये डॉइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन केस्कूलों के नाम आदेश जाते हैं कि एडमिशन बन्द करो। तो समझ में नही आता है कि एडमिशन बन्द करो को सही माना जाय या 'स्कूल चलो' को सही माना जाय। इसकी वजह से कई लड़के एडमिशन के लिए इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। कभी कभी सरकार की ऐसी दोहरी नीति होती है, कन्ट्राडिक्टरी आदेश होते हैं कि कौन सा सही माना जाय, यह कुछ समझ में नहीं आता है।

लड़कियों की शिक्षा के बारे में, जिस तरह से लड़कों की शिक्षा हो उसी तरह से लड़कियों की शिक्षा के बारे में सोचना गलत है। सभापति महोदय, मैं कई बार सदन का ध्यान और वर्तमान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर चुकी हूं कि लड़कियों को केवल लड़कों जैसी शिक्षा देना ठीक नहीं है। यह ठीक है कि जहां तक कि वे एक नागरिक हैं उनको स्वावलम्बन के लिए शिक्षा बड़ी दे सकते हैं। हर एक लड़की को, कुछ अपवादों के साथ, अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन हमारे सामाजिक जीवन का मूलधार है। अगर हम अच्छे परिवार निर्माण करेगें तो हमारा समाज अच्छा निर्मित होगा, तो राज्य अच्छा निर्मित होगा। इसलिए लड़कियों की शिक्षा के विषय में सोचकर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैंने सरकार से निवेदन किया था कि कही न कहीं डोमेस्टिक साइन्स का गृह विज्ञान का कम से कम प्रान्त में एक महाविद्यालय हो तो ज्यादा अच्छा हो। लेकिन गृह विज्ञान महा-विद्यालय जैसी कल्पना सरकार ने नहीं की है।

खाद्य समस्या पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। मुझे इस पर ज़्यादा नहीं कहना है। खाद्य समस्या हमारे खुद के क्षेत्र में उतनी नहीं है। समस्या सरकार अपने सर पर उठा लेती है और नतीजा किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। प्रकृति का प्रकोप हमारी खाद्य समस्या का एक मात्र यही कारण नहीं है। बहुत ठीक हुआ कि सरकार ने प्रयत्न करके पश्चिम ज़ोन से अपने को अलग कर लिया। पहले हम एक बड़े ज़ोन के हिस्से थे, अब स्वयं एक छोटा सा ज़ोन हो गये हैं, जिससे कि हम अपने अन्न की अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकेगें।

इसके साथ ही साथ मुझे केवल एक बात कहनी है कि तस्कर व्यापार के कारण आज हमारी अनाज की समस्या दिन प्रति दिन वीक, तथा भंयकर होती चली जा रही है। तस्कर व्यापार को रोकने की ओर सरकार को अवश्य ध्यान देना पड़ेगा जितनी तत्परता से तस्कर व्यापार को रोक सके उतनी ही आसानी से हम खाद्य समस्या को हल करने में सहायक हो सकते हैं।

(डॉ० चन्द्रकला)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बड़े बड़े उद्योगों की बात कही गई है। ठीक है बड़े बड़े उद्योग जितने हों उतना ही अच्छा है। लेकिन इसके साथ ही साथ छोटे उद्योगों के लिए भी सरकार को सोचना पड़ेगा। राजस्थान में छोटे छोटे अनेकों उद्योग पहले से चले आ रहे हैं और आज भी वह बहुत मात्रा में चल रहे हैं। यहां जयपुर में ही देखें तो कई उद्योग ऐसे हैं जिनकी चीजें न केवल प्रान्त में ही, न केवल अपने देश में ही, बल्कि विदेशों से जिनकी मांग आ रही है। छोटे उद्योगों को विकसित करने के लिए सहकारिता के आधार पर सहायता देकर धीरे धीरे प्रोत्साहन करके बढ़ाने की ओर सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। इससे हमारा कुछ आर्थिक सवाल हल हो सकता है। मूर्तियों का काम है, हाथीदांत का काम है, मीनाकारी का काम है, लाख का काम है, लाख की चूड़ियां बनाने का काम है। इनको आप अच्छी तरह से देखें तो भी इन पर काफी खर्चा नहीं करना पड़ता है और उसका आर्थिक भार भी अधिक सरकार पर नहीं पड़ेगा। इन चीजों के विकास में से सरकार को बहुत कुछ सहायता मिल सकती है।

थोड़ा सा, खादी की ओर, केवल एक बात कहूंगी। उसकी प्रगति हुई है। प्रगति का चिन्ह साफ़ है, क्योंकि पहले तो जयपुर में एक दो खादी भंडार थे लेकिन अब तो खादी घर जैसी बड़ी जगमगाहट करने वाली खादी की दुकानें खुल गई हैं। अब हम गौरव के साथ दिल्ली और बम्बई के साथ होड़ कर सकते हैं। खादी का एक बड़ा उद्देश्य था। खादी केवल एक व्यापारी की चीज़ नहीं थी। यह कोई कपड़े की समस्या को हल करने वाली चीज़ नहीं थी, बल्कि खादी रोजी कमाने का एक ज़रिया था गांधीजी ने खादी को अपनाया था, तो इसलिए नहीं अपनाया था कि हम केवल नंगे थे, हम भूखे भी थे यह तन ढांकने का काम करती थी, पेट भरने का काम करती थी। जहां तक तन ढांकने का सवाल है, हमने उसको ग्रहण कर लिया है। लेकिन जहां तक पेट भरने का सवाल है हम खादी की उपयोगिता को भूल गये हैं और उस अर्थ में खादी को नहीं अपना रहे हैं, जो कि अपनाना चाहिए था। अब भी अपनाना है तो प्रयत्न करना होगा। एक ओर तो हम उदयपुर में मिल खोल रहे हैं, दूसरी ओर नाइलोन की मिल कोटा में खोलेगें। इनके मुकाबले में खादी वेस्ट रह जायगी। राजस्थान में वह पहले जैसी न रहकर उसमें कमी आ जायगी।

मैंने, उस में, एक अन्तिम निर्णय की ओर संकेत किया था सहकारी संयुक्त प्रणाली की ओर उसके संबंध में मैं विशेष नहीं कहूंगी। हां, जब भी कोई भी नया प्रयोग करते हैं। इसके बारे में बराबर दो रायें रही हैं। जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो तरह तरह की राय आती हैं। भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। निश्चित बात कोई नहीं कह सकता है। प्रयोग की अवस्था में किन्हीं बातों को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन केवल सुन्दर सुन्दर नारे लगाने से कोई फायदा नहीं।

राज्यपाल महोदय ने अपने पहले अभिभाषण में समाजवादी समाज व्यवस्था की बात कही थी, दूसरे में उसका समर्थन किया गया था, लेकिन समाजवादी समाज-व्यवस्था के लक्ष्य पर हम कहां तक पहुंच

(डॉ० चन्द्रकला)

चुके हैं। यह सोचने की बात है।

जयपुर शहर में यदि समाजवादी समाज की व्यवस्था को देखना है, तो आज हम जयपुर शहर की सुन्दर सुन्दर बस्तियों को देख सकते हैं। एक ओर बनी पार्क है दूसरी ओर सी स्कीम है और इनके अन्दर छोटी छोटी बस्तियां हैं जो स्लिम कहलाती हैं। कुछ दिन पहले एक कानून बना था और एक विधेयक विचारार्थ आया था। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बिल उसके अन्तर्गत नगर सुधार और नगरों को सुधारने की बातें सोचने लगे, मैं भी सौभाग्य से उक्त समिति की सदस्या थी, इसलिये मुझे भी अपनी राय प्रकट करने का अवसर मिला। मैंने कहा भी था कि जो स्लम्स हैं उनको भी शहरों की चमक दमक का फायदा मिलना चाहिये, इसलिये उन बस्तियों को वहीं पर बसा दिया जाय। लेकिन हुआ क्या? धीरे धीरे उनकी जमीन दूसरे लोगों को दे दी गई, और ये सिकुड़ते २ थोड़े रह गये। यह तो सरकार ही जाने या नगर विकास मंडल जाने कि उनको कहां ले जायेंगे, लेकिन आपकी समाजवादी व्यवस्था ऐसी है। जिस समय मौका आयेगा पुलिस वालों को साथ ले जाकर उनको भगा दिया जायगा और समाजवादी समाज में वे कहीं के नहीं रहेंगे। उनके यहां ऊंचे ऊंचे महल नहीं हैं लेकिन समाजवादी समाज बनाने का नारा लगाने वाली सरकार के राज्य में जहां चार चार सौ घरों की बस्तियें है, वहां उनकी बड़ी सी बस्ती में एक भी बल्व नहीं है, पूरी बस्ती में एक भी बल्व नहीं है लालटेन के दिये में उनको रहना पड़ता है। उनकी झोंपड़ियों की छतों पर फूस हैं जिसमें कभी कभी आग लग जाती है। कहीं पर टिन हैं कहीं नहीं हैं उससे शिकायत नहीं है फिर भी उसकी शिकायत नहीं है लेकिन वे भी चाहते है कि उनकी बस्ती में उनको भी उजाला मिले। उनको पंखे नहीं चाहिये लेकिन उजाला मात्र के लिये वे कोशिश करते हैं तो भी उनको एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं मिलती है। उनके खाने की फ़िक्र जाने दीजिये, मकानों की बात जाने दीजिये, लेकिन उनकी बस्ती में पीने के पानी के लिये एक भी सार्वजनिक नल नहीं है। उनको पानी लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। पहले उनकी बस्ती में जो कूए थे वे भी अब हट गये। पहले वे लोग कूओं से पानी भरते थे लेकिन वे कूऐ किसी के प्लॉट में चले गये। अब उनके पीने के लिए पानी की समस्या हो रही है। यह समाजवादी समाज का नमूना है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि जयपुर शहर में जहां एक ओर बड़ी बड़ी मोडल बस्तियां है जिनमें बंगले बने हुए हैं। वहां समझ में नहीं आता कि इन गरीबों का ऐसा हाल क्यों हो रहा है। अभी इस बात की कोशिश की गई थी कि और कुछ करो न करो लेकिन वहां पर सार्वजनिक टट्टियां तो बना दो। पहले तो मैदान पड़ा था जहां चले जाते थे लेकिन अब कहां जाकर हाथ मुंह धोवें। हाथ मुंह धोने से उनका मतलब टट्टी जाने से है। म्युनिसिपैलिटी कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। खजाने में जो पैसा जाता है वह भी जनता की ओर से ही आया है और उनकी सुविधा के लिए ही खर्च होना चाहिए। जहां सिविल लाइन्स में पौधों को जिलाने के लिए और घास के लिये मोटे पाइप से पानी दिया जाता है वहां लोगों को पीने के लिये भी पानी नहीं मिलता है। यह समाजवादी समाज का सुन्दर नमूना है। यह तो खाली शहर में रहने वालों की आपत्ति है।

(डॉ० चन्द्रकला)

सहकारिता के आधार पर कृषि प्रणाली अपनाने पर कहीं गांव वालों पर आपत्ति नहीं आ जावे। यदि नारे के रूप में ही आपको इसे लेना है तो सरकार सुन्दर ढंग से इसे फायल में रख सकती है। लेकिन यह तो वही हाल हुआ जो एक राजा को बेवकूफ बनाने के लिए कारीगर आये और उनसे कहा कि बढ़िया महल बनाया जायगा। कुछ दिन बाद लिया और उन्हें सिखाया "लाओ गारा" "लाओ चूना" यदि न ईंट न चूना व गारा केवल पत्नी चिल्लाते और वातावरण बनता कि महल बन रहा है। कुछ दिनों बाद कहा कि महल तैयार हो गया आपको नहीं दिखता तो हम क्या करें। इस तरह से न तो सहकारी सामुहिक कृषि प्रणाली अपनाई जायगी, और न सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा।

जो कुछ बातें राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण कहीं हैं वे बहुत अच्छी बातें हैं। विकास की बातें हैं और सब तरह की बातें है लेकिन आज कल मुश्किल यह है, मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कहूंगी क्योंकि भावली से आने वाले माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान लिया है। लेकिन आजकल एक दूसरा रोग लग गया है। कहते है रोग के कारण शरीर कमजोर हो जाता है। बाड़ टूट जाती है तो कई जानवर आ जाते हैं। आजकल एक रोग लगा हुआ है कृपा पात्रता का। मैं यह अनुभव के आधार पर यह कहना चाहती हूं कि आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जायें यह व्यापक रोग मिलेगा। किसी भी पोस्ट के लिये एप्लाई कीजिये, आपके अंदर सारी योग्यता है, सब कुछ है लेकिन यदि यह योग्या नहीं है तो कोई नहीं रखेगा, और दूसरी ओर यदि आप में कोई योग्यता नहीं है और कृपा पात्रता की है, तो सारे काम बन सकते हैं। इससे होता क्या है कि लोगों में एक प्रकार की भावना बनती है। अंत में राज्यपाल महोदय ने कहा है कि सबका सहयोग चाहिये। सबका सहयोग कैसे मिल सकता है? जहां कृपापात्रता का प्रश्न आता है वहां सहयोग की बात कृपा पात्र पर चलती है। इसके साथ ही मैं यह कहूंगी कि सरकार अन्य बातों के साथ ही साथ यदि कृपा पात्रता की नीति को त्याग दे तो अच्छा हो, नहीं तो जैसी गाड़ी चलती है वैसी चलती रहेगी। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जो कुछ कहा है उनके साथ हम भी सद्भावनाएं प्रकट करते हैं और हम भी चाहते है कि सरकार बड़े अच्छे और सही तरीके से और सच्चे इरादे से इन निर्णयों को कार्यान्वित करें और इससे किसी दिन हम सुन्दर भविष्य को प्राप्त कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री भवानीशंकर नंदवाना (कपासिन) : चेयरमैन महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण पर आज तीन दिन से वादविवाद चल रहा है। मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव आया है, उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज राजस्थान काफी प्रगति कर रहा है। हमारे माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये हैं उनमें से कइयों ने*

*नोट:—अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : सभापति महोदय, इन शब्दों पर मुझे आपत्ति है।

Page No.89

श्री मुरलीधर व्यास : ये शब्द कार्यवाही में से कटने चाहिये।

श्री सभापति : ये शब्द एक्सपन्ज किये जाते हैं।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : (जारी) हमारे माननीय सदस्य और आप और हम लोग यहां आये हैं वे इसलिये आये हैं कि राज्य सरकार...

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : चेयरमैन महोदय, इन्होंने वे शब्द वापिस लिये या नहीं ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : ये अच्छे शब्द नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय सदस्य को वे शब्द वापिस लेने चाहिये।

श्री सभापति : एक्सपेन्ज हो गये।

श्री मुरलीधर व्यास : उनको वापिस लेने चाहिये।

श्री सभापति : आपने बहुत देर से आपत्ति उठाई है, मैंने पहले ही एक्सन्ज करने को कह दिया है।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : On a point of order, Sir, जब वे शब्द आपत्तिजनक हैं तो माननीय सदस्य को वापिस लेने चाहिये। सदन की जो परम्परा है उसको सदस्य तोड़े, यह अच्छा नहीं है।

श्री सभापति : I Can't follow it, जब कि एक्सपन्ज कर लिये हैं।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सबसे पहले पुलिस व्यवस्था पर संतोष प्रकट किया है। आप जानते हैं कि राजस्थान में पिछले चार पांच साल से बहुत ही डाकुओं का आतंक रहा है और लोगों में यह भावना पैदा हो गई थी कि आया हम देहात में रह सकते हैं या नहीं इसलिए बहुत से सदस्यों ने यही कहा है। राज्यपाल महोदय ने सबसे पहले पुलिस को धन्यवाद दिया है और पुलिस व्यवस्था पर संतोष प्रकट किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि राजस्थान में लॉ एण्ड आॅर्डर संतोषजनक नहीं हो और लोगों में यह भावना नहीं हो कि हमें ज़िंदा रहने का हक है, कि नहीं तो कैसे यहां विकास पनप सकते हैं। तो राज्यपाल महोदय ने पुलिस के कार्यों के प्रति संतोष प्रकट किया है उसको मैं अच्छा मानता हूं।

४ म० प०

इसके बाद औद्योगिकरण के बारे में एक सुन्दर चित्र राज्यपाल महोदय ने रखा, कपड़े की मिल, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री, वेगन फैक्ट्री के बारे में उन्होंने स्पष्ट चित्र पेश किया है। राजस्थान की बहुत सम्पदा भूमि में पड़ी हुई है, उसकी खोज की जा रही है। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि उसका सर्वेक्षण हो रहा है और इस सम्बन्ध में उन्होंने नीम के थाने का, चित्तौड़ का और दूसरी जगहों का ज़िक्र किया। आज राजस्थान के लिए एक आशा की चित्र खींचा गया है, तो माननीय सदस्यों को उस आशा चित्र में, कहां और सुन्दर बना सकते हैं, कहां ज्यादा ध्यान देना चाहिये और किस तरह राजस्थान को आगे ले जा सकते हैं, इन बातों को सोचना चाहिये।

(श्री भवानीशंकर नंदवाना)

राज्यपाल महोदय ने सिंचाई और पॉवर के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। यह सही है कि पॉवर के सम्बन्ध में राजस्थान बहुत पीछे रहा है पर जैसा कि राज्यपाल महोदय ने बताया है कि मुद्रा की कमी के कारण ऐसा हुआ, जो हमारा दोष नहीं वह भारत सरकार की व्यवस्था थी। राज्यपाल महोदय ने चित्र खींचा है कि पिछले ५ वर्षों में जो पावर की कमी रही है वह इन दो वर्षों में यह भी धन्यवाद की बात है कि पांचसाल की कमी दो साल में पूरी कर दी जायेगी।

बीकानेर के सदस्य ने प्रतापगढ़ के बारे में अपनी पार्टी की बात को लेकर कुछ बातें इस हाउस में कहीं है। बलदेव नाम का तेली है, उसकी होटल थी, न वहां समाजवादी झण्डा था और न बोर्ड, बल्कि वह वहां दुकान में अनैतिक व्यापार करता था, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि वहां व्यभिचार का अड्डा था। ऐसे व्यक्ति की समाजवादी पार्टी के झण्डे और बोर्ड के नाम पर वकालत की जाती है, धन्य है ऐसी पार्टी को जिसने ऐसे आदमी की वकालत इस सदन में की। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि प्रतापगढ़ में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि वस्तुस्थिति क्या है। बलदेव तेली गुण्डों और डाकुओं को पनाह देता था, अनैतिक व्यापार करता था अफीम का व्यापार करता था, ऐसे की इस सदन में वकालत की जाती है। जो उन्होंने चेलेंज दिया है उसे मैं स्वीकार करता हूं, वे स्वयं जांच करके देखें।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : On a point of information, Sir, माननीय सदस्य फ़रमा रहे हैं कि प्रतापगढ़ के किसी व्यक्ति के बारे में, कि वह डाकुओं को, गुण्डों को पनाह देता था, तो वे उसके साथ मार पीट किये जाने का समर्थन करते हैं क्या ?

श्री सभापति : आप उनको सुनिये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उनके साथ न मार पीट की गई है और न ज़्यादती की गई है। वह लोगों से पैसे वसूल करता था, उसको बन्द किया गया, उसके लिये हाउस में आज बात उठाई गई है...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : हाउस में सिर्फ यह सवाल उठाया गया है कि उसके साथ जो मारपीट की गई है, वह ठीक नहीं है।

श्री सभापति : I request the Hon,ble member not to interfere the debate.

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दूसरे एक महिला के साथ बलात्कार करने की बात कही गई, वह असत्य है। दूसरे ने कहा कि मुसलमानों के साथ अत्याचार किया गया। बात यह है कि प्रतापगढ़ से तीन मील पर बसोड़ गांव है वहां एक गर्भवति महिला के साथ बलात्कार किया गया, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन लोगों के साथ कार्यवाही की गई तो इस सदन में कहा गया कि सैकड़ों आदमियों को मारा गया, पीटा गया, कतार में खड़े करके पीटा गया। क्या कोई भी समझदार नागरिक यह सहन करेगा कि उसकी बहन-बेटी की इज़्ज़त पर हाथ डालने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाय ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : "जूते मारा जाना" यह ठीक है क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जूते मारने का आप कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा।

श्री सभापति : आपस में मत बोलिये, आरम्भ रखिये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मेरे कहने का मतलब यह है कि सारी की सारी घटना इस बात पर आधारित है। डूंगला की बात है, डूंगला पंचायत का चुनाव हो चुका था। चीफ पंचायत ऑफिसर का आदेश नहीं पहुँचा था, सरपंच ४७ आदमियों को लेकर वहां पहुँचता है और तहसील सरपंच वहीं बैठे थे, उनको धक्के दिये और मारपीट की। ऐसी घटना हुई। वे कहते हैं कि आज प्रजातन्त्र को दबाया जाता है, पर वे खुद देखें कि वे कहां खड़े हुए हैं। क्या यही प्रजातन्त्र है कि किसी के साथ मारपीट की जाय, धक्के दिये जायं? असली प्रजातंत्र तो यह है कि चीफ पंचायत ऑफिसर का आदेश उनके पास पहुँच जाता कि आपका चुनाव हो चुका है, आप चार्ज ले सकते हैं। पर उन्होंने यहां तक किया कि पंचायत के कर्मचारी से मिल कर, उप सरपंच का चुनाव नहीं हुआ था तो भी उप सरपंच भी दर्ज करा दिया कि उप सरपंच का चुनाव हो गया है, यह एक फोरज़री की। इसके अलावा एक फोरज़री और की कि ३१ तारीख को यह सरकारी हुक्म निकलता है कि आपकी पंचायत वेलिड हो चुकी है, आप काम कर सकते हैं उससे पहले ही २६ तारीख को ही वे जाली हुक्म निकाल देते हैं और बाज़ार में चिपका देते हैं कि पंचायत का चार्ज लेने का हुक्म आ गया है।

फिर प्रजातन्त्र की दुहाइयां देते हुए माननीय सदस्य ने बेकारी और अन्यान्य बातों का ज़िक्र किया। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारा राजस्थान क्या था, राजस्थान कई स्टेटों का बना हुआ राज्य था जिसमें सैकड़ों रजवाड़े थे और जागीरदारी आतंक था, जहां विकास के नाम पर न सड़कें थीं, न स्कूल थे, न अस्पताल थे, और न कल कारखाने थे, और न ही पॉवर के आने वाली बात थी। तो आज राजस्थान में विकास हो रहा है, इस विकास की वजह से हमारे विरोधी दल के सदस्य घबरा रहे हैं, उनको यह भय लग रहा है कि अगर राजस्थान का विकास इसी तरह होता गया तो इस सदन में पहले जितनी संख्या में हम लोग आये थे, उससे भी बहुत कम इन चुनावों में आये हैं और अब फिर यदि इसी तरह विकास होता रहा तो आयन्दा तो इस सदन में हमारा नामोनिशान भी नहीं रहेगा।

तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है, बहुत अच्छा भाषण दिया है और हमारे राजस्थान के भविष्य की उन्होंने एक सुन्दर कल्पना की है, अगर वह सफल हो जाती है तो हमारा राजस्थान राज्य हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों से आगे बढ़ सकता है।

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बैठता हूं।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय सभापति महोदय, श्रीमान् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो तीन दिन से वाद-विवाद चल रहा है, उस अभिभाषण को

(श्री गिरधारीलाल)
मैंने ध्यान से पढ़ा है और जो उस पर वाद विवाद हुआ है, उसे भी मैंने ध्यान से सुना है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से हमें दो प्रकार की जानकारी मिलती हैं। पहली तो यह कि यहां पर आज तक क्या किया और दूसरी इस बारे में कि आगे हम क्या करना चाहते हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पहले मेरी यह प्रबल इच्छा थी कि हम यह जाने कि राजस्थान सरकार यहां की जनता की जो अहम समस्याएं हैं, उनके बारे में आगे क्या कदम उठायेगी, राजस्थान सरकार की भविष्य में रीति नीति क्या रहेगी, इस बारे में मैं जानना चाहता था पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनका ज़िक्र तक नहीं किया गया है, यह एक अफसोस की बात है। मैं उन समस्याओं के बारे में सभापति महोदय आपके द्वारा जानकारी दिलाना चाहता हूँ। पहली समस्या है हमारे इस स्टेट में बेकारी की जिसकी ओर किसी भी माननीय सदस्य का ध्यान अभी तक नहीं गया यह बड़े दुःख की बात है कि राजस्थान सरकार उन लोगों को अभी तक काम बताने में नाकामयाब रही है। मैं निवेदन करूंगा कि वह सदन को बताती कि हमारे यहां कितने व्यक्ति बेकार हैं और जो बेकार हैं उनमें से कितने ग्रेजुएट है और कितने नोन ग्रेजुएट हैं व कितने मैट्रिक हैं। हमारी सरकार ने शहरों में एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज खोल रखे हैं। यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो मैं यह समझता हूँ कि ये एक्सचेंज केवल २६ हैं। ५७ के एन्ड तक मैंने बेकारी के आकड़े देखे हैं।

सन् ५६ में कुल व्यक्तियों के नाम जो बेकार थे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज में उनकी संख्या ५६,३४४ है, जिनमें से ५,४८२ व्यक्तियों को हम काम दिला पाये हैं, बाकी ५० हज़ार से अधिक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अभी तक काम नहीं दिलाया जा सका है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपने आंकड़े कहां से प्राप्त किये हैं ?

श्री सभापति : इन्होंने पहले ही बता दिया कि एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज से, आपने सुना नहीं।

श्री गिरधारीलाल : (जारी) सन् ५७ में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज में ६१,७१६ व्यक्तियों के नाम दर्ज किये गये मगर उनमें से ८,१८५ को ही काम दिलाया गया। इस तरह से दो सालों में १ लाख ४ हजार ४२३ आदमी डिपार्टमेंट में ऐसे हैं जिनको काम नहीं दिला सकें। यह आंकड़े सन् ५७ तक के हैं, और सन् ५८ में भी कुछ आदमी ऐसे होगें जिन्होंने एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज में अपना नाम लिखवाया है। मगर सन् ५८ के फ़िगर्स हमारे पास नहीं है। मगर दोनों सालों के हिसाब का अन्दाजा लगाने से ऐसा मालूम होता है कि ६० हजार आदमी तो कम से कम सन् ५८ में बेकार रहे ही होंगे। इस तरह से १ लाख ६३ हजार व्यक्ति ऐसे हैं, जिनको सरकार काम दिलाने में असमर्थ रही है। यह तो शहर के आंकड़े हैं। गांवों में शहरों से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां गांवों में आपका कोई काम दिलाओ महकमा नहीं है और न कोई अधिकारी ही है इसलिये गांव वालों के आकड़े नहीं बता सकते। अगर सब आंकड़े माननीय सभापति महोदय, लगावें तो ७ लाख आदमी ऐसे है जिनको सरकार

(श्री गिरधारीलाल)

काम दिलाने मे नाकामयाब रही है। सभापति महोदय, इतनी बड़ी समस्या है, इसको उपेक्षा की नजर से देखा गया है। इसमें दो बातें होनी चाहिये।

(१) यह कि हमारे यहां बेकारी की समस्या है या नहीं। समस्या हमारी स्टेट में है या नहीं, आया इस समस्या को मानते हैं या नहीं।

(२) दूसरी बात यह है कि यह समस्या सरकार के विचार में है और इसको जान बूझ कर उसकी उपेक्षा की गई है। दो वर्ष हो चुके है। सभापति महोदय, सबसे पहले तो यह होना चाहिये कि सदन को कुछ महीने बाद यह आंकड़े बतावें कि हमारे यहां कुल इतने बेकार है। दूसरी बात आप यह बतावें कि आपके यहां जो १,६३ हज़ार आदमी बेकार है उनके लिये आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। आपके पास इसके लिये कौन सी स्कीम है। अगर आपके पास इस प्रकार की कोई स्कीम नहीं है जिससे कि उन लोगों को काम दिलाया जा सके तो आप इस 'काम दिलाओ महकमें' पर बेकार में क्यों खर्च करते हैं। इस पर लाखों रुपये खर्च करने की क्या जरूरत है। आपके पास इस संबन्ध में क्या प्लान है। इतनी बड़ी समस्या को राज्यपाल महोदय ने छूआ तक नहीं इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। सभापति महोदय, यह एक समस्या है जिसको मैंने आपके द्वारा सदन में बताई है।

दूसरी बात है, भ्रष्टाचार के बारे में। इसके बारे में माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है। इधर और उधर बैठनेवाले माननीय सदस्यों ने माना है कि हमारे यहां पर भ्रष्टाचार है और उधर वालों ने भी यह माना है। सभापति महोदय, जहां तक मैंने इसके आंकड़े अखबारो में देखे उससे मालूम हुआ है कि पिछले साल ४४ सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में दंडित किया गया है। उनमें से १३ व्यक्तिवों को दो माह से ले कर ३ वर्ष की सज़ा दी गई है। लेकिन जब मैंने आंकड़े देखे और उनके नाम पढ़े तो १३ आदमियों में से बहुत से ऐसे हैं जो फोर्थ क्लास सरवेंन्ट हैं। उनमें कोई भी गज़ेटेड ऑफिसर या सेक्रेट्री नहीं है जिसका नाम उसमें हो। बड़े-बड़े आदमियों में से किसी को चेतावनी दी गई है तो किसी को पदोन्नति जो सालोंसाल दी जाती है उसको रोक दी गई है। इसमें छोटे कर्मचारियों को ही सज़ा दी है। लेकिन सभापति महोदय, मेरी यह मान्यता है कि जितना करप्शन गजेटेड ऑफिसरों और मंत्रियों में है उतना नीचे वालों में नहीं है। अगर नीचे वाले व्यक्ति करते हैं तो अपनी भूख को मिटाने के लिये करते है न कि अपने लिये कारें और बंगले खरीदने के लिये।

श्री सभापति : आप इसको जस्टीफाइ करते हैं।

श्री गिरधारीलाल : छोटे छोटे कर्मचारी अपने पेट भरने के लिये और अपने बच्चों का पेट भरने के लिये ऐसा करते हैं। जबकि पुलिस का कर्मचारी कॉन्सटेबल, या पटवारी या मास्टर जिनको आप बहुत कम वेतन देते है, वह अपने बच्चों का पेट भरने के लिये करता है। अगर आपको भ्रष्टाचार को मिटाना है और अगर आप भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, तो आपको यह कहना होगा कि छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ावें। जो लोग हजार-हजार रुपये लेते है और दो

(श्री गिरधारीलाल)

मिनिट भी पूरा काम नहीं करते, अगर आप वास्तव में समाजवादी सरकार की रचना करना चाहते हैं तो ऊपर के अधिकारियों की तनख्वाह कम करें। आपको बड़े-बड़े अधिकारियों से डरना नहीं चाहिये। यह बात सही है कि हमारे यहां संविधान में गजेटेड ऑफिसरों को कुछ फेसिलिटीज़ दी गई है। उनको आखिर किस प्रकार से कम की जावे। अगर सरकार इसको करे तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार बहुत कम हो सकता है। भ्रष्टाचार किस प्रकार फेल रहा है, इसके लिये मैं आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि यहां पर एक स्टोर पर्चेजेज कमेटी बनी हुई है। वह हर साल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में स्टेशनरी का सामान खरीदती है। सन् ५६-५७ में इस कमेटी के मि० आउजा, जो फूड कमिश्नर है और चैअरमैन है उन्होंने टेन्डर काल किये चाक के लिये। इसके लिये जयपुर स्टेशनरी ने २६ नये पैसे का टेन्डर दिया और दूसरा एक अग्रवाल ब्रदर्स ने २८ नये पैसे का टेन्डर दिया प्रति ग्रोस के हिसाब से। जयपुर स्टेशनर्स हैं उनका २६ नये पैसे का टेन्डर मंजूर किया गया। जबकि उसका माल घटिया क्वालिटी का था और इससे आपको हजारों रुपयों का चाक खरीदने में नुक्सान हुआ। इसी प्रकार हर साल प्लास्टिक का २५ हज़ार का सामान खरीदा जाता है। इसमें पिछली साल क्या हुआ कि ५६ में टोमशन कम्पनी है, उसने १८॥ प्रति ग्रोस के हिसाब से प्लास्टिक का सामान का टेन्डर दिया जबकि उसने ५७-५८ में उसी माल का ११) का टेन्डर भरा और राजस्थान क्लोथ स्टोर्स का १७॥) का मंजूर किया गया। कहने का मतलब यह कि जो फर्म इसी का धन्धा करती है उसको देना चाहिये था और उसने ७ रुपये का भाव से नीचे का भाव था। तो आखिर इसका कारण क्या। इस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। इससे आपको १० हजार का नुकसान लगा है।

इसी प्रकार पिन कुशन्स होते हैं उसके लिये भी थोमशन कम्पनी ने २८) का भाव दिया था। राजस्थान स्टोर्स जो कपड़े का व्यापारी है उसने ५२) का टेन्डर दिया और सरकार ने उसको मंजूर किया। इसके अलावा पिछले साल क्या हुआ कि कार्बन पेपर्स के लिये टेन्डर्स पर्चेजिंग कमेटी ने काल किये तो। यह सालाना ३ लाख या २॥ लाख का कार्बन सालाना खरीदा जाता है, एक तो जयपुर स्टेशनरी ने और दूसरा बम्बई की कोर्स कम्पनी है उसने टेन्डर दिये। बंबई वालों का टेन्डर मंजूर नहीं किया और दूसरे को टेन्डर दिया गया। माल सारा का सारा बाम्बे से मंगाया गया, उस बाम्बे की कम्पनी से। वाउचर सीधे उसको दिये। उसको पेमेन्ट हुआ। इससे २६ हजार का राजस्थान सरकार को सेल्स टैक्स का नुक्सान हुवा। मंत्री महोदय इस ओर जरा ध्यान रखें।

चेयरमेन महोदय, इसी तरह से डिपार्टमेन्ट्स की कमेटियां बनाई लेकिन वे भ्रष्टाचार को किस तरह से प्रोत्साहन देती हैं। दो तीन भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं, लेकिन उनका ज़िक्र नहीं करूंगा क्योंकि टाइम कम है।

तस्कर व्यापार के बारे में माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है। तीन करोड़ रुपयों का सोना, चांदी भारतवर्ष में आता है और उतने ही मूल्य की मुद्रा विदेशों को चली जाती है। जोधपुर में श्री गोपाला रेड्डी

(श्री गिरधारीलाल)

जो सेन्टर में मिनिस्टर हैं, वे आये थे, तब कुछ वरकर्स ने कहा कि राजा महाराजा, जागीरदार और अन्य आदमी बड़े भद्र पुरुष हैं जिनको कहते हैं, उसमें लगे हुए हैं। वे मजदूरी करना अच्छा नहीं समझते और यही अच्छा धन्धा है जिससे कि काफी आमदनी हो जाती है। इसलिए सरकार को अपनी नीति में किसी भी प्रकार से ढिलाई नहीं रखनी चाहिये। आज जो मुद्रा स्थिति का संकट आया हुआ है उसमें तस्कर व्यापार काफी हिस्सा रखता है, हमारी काफी मुद्रा बाहर चली जाती है। पुलिस के और कस्टम्स विभाग के कई अधिकारी इस तस्कर व्यापार में शामिल हैं। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया कि इसमें बड़े—बड़े कांग्रेसी हैं, बीकानेर के बड़े कांग्रेसी हैं, उनकी इन्क्वायरी नहीं कराते क्योंकि सत्ताधारी गुट्ट उनके साथ है। यह कोई अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे और कोई दल हो। यदि इसी तरह के आदमी रहेंगे तो न तो वे पार्टी के लिए और न देश के लिए ही उपयुक्त है।

राज्यपाल महोदय ने जो राजस्थान में श्रमिकों जो का हाल है, लेबर्स की जो हालत है उस के बारे में दो शब्द भी नहीं कहे। जो लेबर डिपार्टमेन्ट है, चेयरमेन महोदय, आज तक का अनुभव यह बताता है कि उसकी मजदूर विरोधी हरकतें रही हैं। मजदूरों के हित की दृष्टि से काम नहीं करता। पहले तो मजदूरों को हड़ताल करने के लिए मजबूर करता है और फिर पैसे वालों से पैसा खाकर हड़ताल बन्द करवा देता है, और मजदूरों को जेल में डलवा देता है। जोधपुर की फैक्टरी है उसको ही देख लीजिये। न्यूनतम वेतन ३५) मिलता है जो कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से भी कम है लेकिन जब मजदूर सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के बराबर वेतन की मांग करते हैं तो जेल में ठूंस दिया जाता है। आखिर क्या बात है? एक तरफ तो समाजवादी व्यवस्था लाना चहाते हैं, समाज के हित की बातें करते हैं, और दूसरी ओर पैसे वालों से मिलकर ऐसा काम करते हैं। मजदूरों के लिए क्वार्टर्स बनाये, बन चुके उनमें तो बसाते नहीं और बन गये उनका किराया भी इतना रखा है कि जयपुर में जो क्वार्टर्स है उनका किराया ४०) रु. है। न लेट्रिन है और बाथ रूम। इस तरह से मजदूरों के साथ में जो सरकार की नीति है वह ठीक नहीं है। और खास कर इस हालत में जब कि समाजवादी समाज व्यवस्था का नारा लगाते हैं। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके लिए····

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I think there is no quorwn, Sir:

४. २५ म० प०

(गण पूरक घंटी के पश्चात्)

श्री सभापति : हो गया कोरम।

श्री गिरधारीलाल : तो जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनको राज्यपाल महोदय के भाषण से काफी असंतोष हुआ है। राजस्थान के कर्मचारियों ने सामुहिक तौर से मांग की कि स्टेट पे कमेटी नियुक्त करदी जाय। मद्रास में इस प्रकार की कमेटी के निर्माण के लिए मद्रास के राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है। जब कि सामुहिक तौर से राजस्थान कर्मचारी संघ ने मांग की है कि स्टेट पे कमेटी का निर्माण किया जाय लेकिन इस सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं

(श्री गिरधारीलाल)

है। यह कोई सुन्दर चीज़ नहीं है। आपने पहले पांच रुपये बढ़ाये। केन्द्रीय लेवल पर मंहगाई भत्ता देना चाहिए। तो पांच रुपये ज़ल्दी से जल्दी बढ़ाये। ये दो शब्द ही फोर्थ क्लॉस के कर्मचारियों के लिए कहूं जो मंत्री महोदय ध्यान में रखेंगे।

इन दिनों में माननीय पं० जवाहरलाल जी ने जागीरदारों को ६ करोड़ रुपयों का मुआवजा दिलाया है उसके विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि ३.६० लाख रुपयों की सारी ही जागीरें थीं, जो कि विलीनीकरण के बाद में, हमारे हाथ में आने के बाद में १॥ करोड़ रुपयों का सालाना खर्चा हमारा बैठता है और जागीरदारों के ६ करोड़ मिला कर ३५ करोड़ रुपया १५ साल के हमको देने पड़ेंगे। मुझे उन जागीरदारों से हमदर्दी है जो छोटे से छोटे हैं, गरीब हैं लेकिन सभापति महोदय आपके द्वारा सदन को बताना चाहूंगा इस वक्त हमारी यह हालत नहीं है कि जागीरदार खास तौर पर बड़े—बड़े जागीरदार हैं, खेतड़ी है, सीकर है और भी बड़े—बड़े ठिकाने हैं, लाखों रुपयों की जिनको आमदनी है उनको लाखों के रूप में मुआवजा दे सकें क्योंकि निर्माण के कार्य कराना है। मैं यह नहीं कहता कि उनको नहीं देना चाहिये लेकिन यह जरूर कहूंगा कि उनका मुआवजा रोक दिया जाय और वह सारा का सारा पैसा निर्माण कार्य में लगाया जाय। यह मेरा सुझाव है, शायद मन्त्री महोदय न माने।

अब सभापति महोदय, मैं उद्योगों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में पलाना की कोयले की खान का जिक्र किया है और कहा है कि वहां काफी कोयला मिला है। पिछली साल भी हमने सुना था कि काफी कोयला मिला है। मेरी कॉन्स्टिटयुएन्सी है वहां काफी कोयला है जैसा कि विशेषज्ञों ने बताया है लेकिन एक साल से देख रहा हूं वहां मज़दूरों को छटनी की जा रही है, और अखबारों में यह प्रोपेगेन्डा किया जा रहा है, कि दो हज़ार से चार हजार टन प्रतिदिन कोयले का उत्पादन बढ़ गया है। और उधर मजदूरों को निकाला जा रहा है। मैं वहां देख आया हूं केवल एक कुंआ चल रहा है। वहां ब्रेकिंग प्लान्ट लगाने की योजना थी लेकिन अभी तक वह लग नहीं पाया है। इस खान की ओर जो सरकार उदासीनता बरत रही है वह सुन्दर चीज़ नहीं है। यहां फर्स्ट क्लॉस इन्जीनियर की नियुक्ति होनी चाहिये थी वह नहीं की गई उससे भी हमें कोयले के उत्पादन में काफी घाटा पड़ रहा है। हमें वहां के बिजली घर के लिये बंगाल का कोयला मंगाना पड़ता है जो काफी महंगा पड़ता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि केवल अखबारी प्रोपेगेन्डा की तरफ ध्यान न देकर इस खान की ओर सही रूप में ध्यान देना चाहिये।

दूसरा खनिज विभाग है, उसके बारे में भी मुझे एक बात कहनी है। वह यह है कि हमें साल भर में इसकी रॉयल्टी करीब चालीस पचास लाख रुपया मिलती है। जब कि बड़े बड़े सेठ जो दूसरे प्रान्तों से बुलाये जाते हैं और वे इन खनिज पदार्थों से इतना मुनाफा कमाते हैं और करोड़ों रुपया इकट्ठा करके ले जाते हैं। सरकार को चाहिये कि जल्दी से जल्दी जब कि आप समाजवाद का नारा लगा रहे हैं तो इन खानों का भी आपको राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। इसमें

(श्री गिरधारीलाल)

ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है और लाखों और करोड़ों रुपयों की आमदनी जो चन्द व्यक्तियों के जेबों में जाती है वह सरकार के पास आ सकती है।

इसी प्रकार खेतड़ी में जो ताम्बे की खान है राज्यपाल महोदय ने उसका भी अपने अभिभाषण में ज़िक्र किया है वहां पर इसके लिये जल्दी से जल्दी कारखाना बनायेंगे। जहां तक मुझे याद है सन ५२ में राजपूताना मिनरल सिन्डीकेट नाम की एक कम्पनी कायम हुई थी जो शायद बिड़ला की थी उसको यह खान दी गई थी उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ है। मैंने सुना है उस समय जो एग्रीमेंट उनके साथ हुआ था उसमें यह लिखा था कि दो साल तक अगर वह पार्टी खान नहीं चलायगी, तो उनके साथ जो कोन्ट्रेक्ट हुआ है वह रद्द समझा जायगा। लेकिन इस चीज़ को छः साल होगये उस पर काम शुरू नहीं किया गया। जब राजस्थान सरकार ने इस बारे में फ़र्म से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारा चार लाख रुपया इसमें लगा है वह हमें दिला दिया जाय। रशियन विशेषज्ञों ने वहां जाकर जांच की थी और उन्होंने कहा था कि यहां ताम्बे का बहुत बड़ा भण्डार है। इस बेसिस को लेकर फर्म ने सरकार से बातचीत की कि आप हमारा चार लाख रुपया जो इसमें लगा हुआ है वह हमें दे दो और हम यह खान आपको सौंप सकते हैं। इसके लिये राजस्थान सरकार को सोचना चाहिये कि जब कि एग्रीमेंट में साफ़ था कि अगर दो साल तक काम शुरू नहीं किया जायगा तो जो कुछ कोन्ट्रेक्ट हुआ है वह रद्द समझा जायगा। उसके आधार पर उनके साथ जो कुछ भी कोन्ट्रेक्ट था वह एक प्रकार से खत्म हुआ समझा जाना चाहिये। उसमें चार लाख रुपये देने का सवाल ही नहीं है। इसके बारे में मुझे जहां तक जानकारी है आपने आखिर एक पंच मुकर्र किया है जो शायद कलकत्ता हाईकोर्ट को कोई रिटायर्ड जज़ है जिनका नाम बनर्जी है उनको पंच नियुक्त किया गया है। उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है लेकिन जहां तक हमारा खयाल है उसमें सरकार के चार लाख रुपये लगेंगे। माननीय सभापति महोदय, बनियों के साथ मिल करके अगर चार लाख रुपये राजस्थान सरकार उनको दे देती है तो मैं समझता हूं यह राजस्थान सरकार की एक अयोग्यता का ही सूचक है जब कि एग्रीमेंट में साफ़ लिखा हुआ है यह तो मैं जनता के साथ चार सौ बीस के सिवाय कुछ नहीं मान सकता।

सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री के बारे में भी कुछ ज़िक्र करूंगा। मेरा जहां तक अनुमान है राजस्थान सरकार की नीति पूंजीपतियों के पक्ष में है। इस कारण १४ लाख रुपये का भुगतान हमें भुगतना पड़ा है इसका कोई कारण नहीं, इसका कोई बेसिस नहीं है। इसका ज़िक्र मैं फिर किसी समय करूंगा।

अखबारों में हमने पढ़ा था और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी हमने देखा है कि उदयपुर में एक टैक्सटाइल मिल खुलने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि जिस उद्योगपति को लाखों रुपया दिया था वह उद्योगपति वापिस दे रहा है जब कि एक ओर राज्यपाल महोदय अपने भाषण में

(श्री गिरधारीलाल)

फरमाते हैं कि जल्दी कारखाना लगने वाला है ।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु०) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बार-बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं ।

श्री गिरधारीलाल : आपकी समझ में कोई बात आती नहीं तो इसका इलाज मेरे पास नहीं है । जहां तक मैं समझता हूं, इस कारखाने को जल्दी से जल्दी खोला जाना चाहिये ।

डाकू समस्या के बारे में भी काफी विचार प्रगट किये गये हैं । उसके लिए राज्यपाल महोदय ने कहा है कि डाकू समस्या का हमने काफी अन्त कर दिया है । मैं आपको इस सम्बन्ध में थोड़े आंकड़े दूंगा । जिन डाकुओं के बारे में यह कहा जाता है कि खत्म कर दिया गया है वह डाकू खत्म नहीं हुए हैं । इन दो महिनों में देखिये गांव सियाना, थाना बिसलपुर में सेठों का अपहरण किया गया है ।

दूसरा गांव गढ़ियाड़ी को डाकू विजय-सिंह के दल ने पचास रुपये के लिये धमकी भरा पत्र लिखा है, १० फरवरी को ।

तीसरे, एक ओढ़णियां गांव है जैसलमेर के इलाके में वहां इसी डाकू दल ने डाका डाला और पच्चीस हज़ार रुपये का सामान लूटकर ले गये ।

फालना में दो नाबालिग लड़कियों को उड़ाया । गया डाकू का नाम है गोविन्ददास । इसी तरह के और भी कई किस्से हैं । इन सही बातों को इन्कार कर देते हैं, यह अच्छी चीज़ नहीं है ।

इसके अलावा राजाखेड़ा का ज़िक्र अभी अभी मेरे माननीय मित्र ने किया, वहां डाकू रूपा का राज्य है । उसके बारे में राजाखेड़ा के तहसील के सरपंच की एक चिट्ठी मेरे पास आयी है उनकी चिट्ठी के कुछ अंश मैं सदन की जानकारी के लिये प्रस्तुत करना चाहता हूं । उन्होंने लिखा है कि वह डाकू गांव समदा में प्रतिदिन रहता है, रूपा डाकू का कार्य डकैती लूटमार करना ही नहीं बल्कि भूमि के झगड़ों को निपटाना कर्ज़ों को तय करना, पंचायतों के चुनाव करवाना यह, कार्य है उनका मुख्य । स्वायत्त शासन मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, वे पंचायतों के चुनाव भी करवाते हैं । आगे वे अपने पत्र में लिखते हैं, उनका २५ गांवों में राज है उसका जहां राज्य है वहां राजस्थान सरकार का कोई वास्ता नहीं है । सरपंच का नाम है शिवदानसिंह तहसील पंचायत राजाखेड़ा । यह चिट्ठी २-१२-५८ की है । अगर तहसील के सरपंच इस प्रकार की चिट्ठी लिखते हैं तो उसे हमें तथ्यपूर्ण मानना चाहिये । उन पच्चीस गांव के लोगों का क्या हाल है और इधर कहा जाता है कि डाकुओं का खात्मा कर दियागया है । इधर ऐसा लगता है कि यहां, राजस्थान में दो राजाओं का राज्य है। जयपुर में सुखाड़िया जी का राज्य हो सकता है लेकिन राजाखेड़ा के पच्चीस गांवों में डाकू रूपा का राज है । यह गृह मंत्री महोदय के देखने की बात है केवल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका उल्लेख आजाने से सन्तोष नहीं होना चाहिये । जब कि पुलिस अधिकारी सरकार को सूचना देते

(श्री गिरधारीलाल)

हैं कि डाकुओं का सफाया किया जा चुका है। होता क्या है कि पुलिस वाले डाकुओं का पीछा करते हैं उसमें जिस आदमी को डाकू दल पकड़ कर लेजाते हैं उसको गोली लग जाती है तो पुलिस वाले कह देते हैं कि हमने डाकू का खात्मा कर दिया इस प्रकार पुलिस और डाकुओं का गठजोड़ सराहनीय नहीं कहा जा सकता इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिये। अगर इस स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो हो सकता है सन् ५१ में जो डाकुओं का हाल था वही स्थिति आज भी हो सकती है। राजाखेड़ा में जहां पुलिस जवानों की संख्या, जैसा कि मुझे मालूम है, केवल चालिस पचास है वहां ज़्यादा संख्या में पुलिस के जवानों को भेजा जाना चाहिये ताकि वहां की जनता को फायदा मिल सके। तो सभापति महोदय, डाकुओं के बारे में यह थोड़ी सी जानकारी मैंने मन्त्री महोदय को दी। अब जो भ्रष्टाचार म्यूनिसिपलिटियों में फैला है उसकी मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं।

श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा-सु) : माननीय सभापति महोदय, तीन-चार बार तो कह चुके है, "भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार, पुलिस-पुलिस-पुलिस....

श्री गिरधारीलाल : आपको कोई आपत्ति हैं क्या इसमें ?

श्री सभापति : मैं तो समझा, आप कोई बात कहने वाले हैं। ऑर्डर प्लीज़। आप जारी रखिये।

श्री गिरधारीलाल : शायद माननीय सदस्य को कुछ घबराहट है, वे भ्रष्टाचार शब्द से चिढ़ते क्यों हैं ? तो माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि म्यूनिसिपेलिटियों में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच होनी चाहिये। राजस्थान सरकार, ऐसा लगता है, इसको प्रोत्साहन देती है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था। बीकानेर म्युनिसिपेलिटी के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। उसमें ३८ हजार रुपया खर्च हुआ। यह मन्त्री महोदय ने बताया। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां के चैयरमेन ने अजमेर म्युनिसिपेलिटी के चैयरमेन के साथ मिलकर इस रुपये को खर्च किया और किसी प्रकार की गवर्नमेन्ट से सेक्शन नहीं ली और न ही बोर्ड से ली और जो हरिजन कर्मचारी अजमेर के थे उनको बीकानेर लाया गया और उनके साथ वहां के चैयरमैन थे। कहा यह गया कि उनको अजमेर से तनख्वाह दी जावेगी और खर्चा माना गया है बीकानेर के हिसाब में।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ये फैक्ट्स गलत हैं। On a point of information, sir, जिसकी माननीय सदस्य को जानकारी नहीं उसको कहना ग़लत है। अगर उनको मालूम नहीं थी तो मुझसे पहले बात कर लेते तो ज़्यादा ठीक रहता।

श्री सभापति : आपको टाइम मिले, तो स्पष्टीकरण कर दें बाद में।

श्री गिरधारीलाल : आपको मेरी बातों का नॉलेज नहीं है। आपको अपनी बात की नॉलेज हो सकती है। तो इतना खर्चा लगा। फिर वे वॉलंटियर अजमेर म्यूनिसिपल बोर्ड के हरिजन कर्मचारी थे, थोड़े थे, शहर में १५ दिन बुरी तरह गन्दगी रही। कूड़ा-कचरा

(श्री गिरधारीलाल)

उठाया नहीं गया। जनता को शहर में रहना मुश्किल हो गया। पर फिर भी ३८ हज़ार खर्च हो गया। वह किस तरह, किस-किस चीज़ में कैसे-कैसे, लगा इसकी जांच होनी चाहिये। और भी लाखों रुपये का गबन हो सकता है जिसकी सूचना माननीय मन्त्री महोदय के पास पहले से है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मन्त्री) : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं कि लाखों रुपये का गबन है।

श्री गिधारीलाल : और कोई मौका होता तो आप स्वीकार नहीं करते। मैंने कल आपसे कहा था। सैंक्शन नहीं थी फिर भी कहा गया कि सैंक्शन ली।

श्री सभापति : आपस में बात न करें।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : On a point of information sir, whether in the course of debate, Ministers concerned can stand up and reply. They have got a chance to reply and they may say what they like.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : That was a point for clarification.

श्री गिरधारीलाल : खैर, कोई बात नहीं आप जांच करवा लें कि ३८ हजार की सैंक्शन नहीं ली और खर्चा भी इतना नहीं हुआ है।

दूसरी म्युनिसिपेलिटी है नापासर की, हमारे इलाके में। इस म्युनिसिपेलिटी के चैयरमैन के खिलाफ ऑडिट कमेटी ने दो बार भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और माननीय मन्त्री महोदय के पास में कई आदमी भी गये कि इसको भंग करो। लेकिन कुछ नहीं हुआ, लाखों रुपयों की ज़मीन उन्होंने अपने रिश्तेदारों को या कुछ अन्य व्यक्तियों को अपने सम्बन्धियों को दे दी जिसका कि ज़िक्र माननीय मन्त्री महोदय के सामने कई बार हो चुका है और ऑडिट कमेटी ने भी साफ़ तौर से लिखा है कि चैयरमैन ने भ्रष्ट कार्यवाहियां की हैं इसलिये इसको भंग कर देनी चाहिये। पर भंग नहीं करते। इससे यह अन्दाज़ लगा सकते हैं कि सरकार को ध्यान दिलाने के बाद में भी कोई ध्यान सरकार नहीं देती, उल्टा उनको प्रोत्साहन देती हैं। यह कोई सुन्दर चीज़ नहीं है।

अभी-अभी मेरे एक माननीय मित्र ने सब रजिस्ट्रार बीकानेर के बारे में जिक्र किया। ये ऐसे हैं सब रजिस्ट्रार। तंग करते हैं जनता को। पर ट्रेजरी बैंचों से उठकर मन्त्री कहते हैं उनका सम्बन्ध कुछ भी हो, कैसा भी हो पर उनका क्या किया जा सकता है। इससे ऐसा लगता है कि मन्त्री महोदय ऐसों को हर तरह से उकसाते, सपोर्ट करते हैं। यह प्रजातन्त्र के युग में सराहनीय नहीं है। जो भी कुछ है, चाहे इल्लीगल किया हो या न किया हो, करप्शन किया या नहीं, अगर नहीं किया तो क्यों औरत का बाप बनने की उनको जरूरत पड़ गई

(हंसी)

औरत के बाप क्यों बने ? क्यों अपने पुत्र के पिता को स्वर्गवासी घोषित कर देती हैं।

(हंसी)

यह नाम चेन्ज करने की उसको क्यों आवश्य-

(श्री गिरधारीलाल)

कता पड़ी। अगर किसी प्रकार की बेईमानी नहीं की थी तो नाम चेन्ज क्यों किया। अपनी औरत का बाप नहीं बन सकते थे।

(हंसी)

पर सब रजिस्ट्रार ने कहा कि इस औरत का बाप ? इससे साफ ज़ाहिर है कि भ्रष्ट कार्य-वाहियां की जाती है और जो भ्रष्ट कार्यवाहियां होती हैं उनको सपोर्ट करना कोई सुन्दर चीज़ नहीं है।

जहां तक उसके बारे में पता है, वे अदालत में हर किसी व्यक्ति से झगड़ा करते हैं। एक लट्ठ रखते हैं हाथ में। लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं और बीमा की एजेन्सी उन्हों-ने अपनी बीबी के नाम से ले रक्खी है, सब को पहले कहते हैं बीमा कराओ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदो। फिर रजिस्ट्री दी जावेगी। तो इस तरह से अपनी औरत और लड़के के नाम से यानी खुद के नाम से एजेन्सियां लेकर जनता को तंग करना और बाद में बेईमानी करें तो उससे रिश्वत मांगना यह कहां की शराफत है और फिर आप उसको लिफ्ट देते हैं हर तरह से। तो माननीय सभापति महोदय, सब रजिस्ट्रार के बारे में दो शब्द कहे।

दो एक चीज़ों का जिक्र और कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो आज दिन हम समाजवाद का नारा लगाते हैं उस पर विचार करें तो अवाडी कांग्रेस, जब से कि आपने नारा इस तरह का बुलन्द किया तब से आज इस दिशा में कितनी प्रगति की, कितना प्रयत्न किया और क्या किया, यह देखें आप पहले। जो कुछ आपने किया उससे तो यही साबित होता है कि कांग्रेस समाजवाद नहीं ला सकेगी। क्योंकि अवाड़ी कांग्रेस के दिन से आज तक हम देख रहे हैं कि किसान और मज़दूर का और समाज के गरीब तबके का जीवन स्तर लिविंग स्टेन्डर्ड कुछ भी नहीं बढ़ा है, बल्कि गिरता ही जा रहा है। आप समाजवाद का नारा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ़ अमीर, अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। वस्तुस्थिति तो यह है। महंगाई बढ़ती जा रही है। यह आपके समाजवाद का आज का नमूना है। जो २४ घंटे काम करते हैं उन विचारे कर्मचारियों का आप ३५ और ४५ रुपया तनख्वाह के देते हैं और दूसरी तरफ आप उन ऊंचे-ऊंचे नौकरशाही के पुरज़ों को हज़ार हज़ार दो दो हज़ार और तीन-तीन हज़ार की तनख्वाह है जो पांच दस मिनिट से अधिक काम करने में थक जाते हैं। आपका यह समाजवाद का नमूना है। इसको अगर आप समाजवाद कहते हैं तो कृपया यह समाजवाद आप अपने पास रखिये। अपनी इस नौकरशाही को अपने पास रखिये।

सभापति महोदय, उसके बाद राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सहकारी खेती के बारे में, राजकीय अनाज के व्यापार के बारे में और ज़िला परिषदों की स्थापना के बारे में जो ज़िक्र किया गया है और इन तीनों बातों का ज़िक्र करने में जो कदम उठाया गया है उसके लिये राज्यपाल महोदय की और सरकार की मैं सराहना करता हूँ। यह बात नहीं है कि कांग्रेसी शासन कल या आज या परसों, कभी भी समाज में समाजवाद लाने में सफल होगी इसमें मुझे शक है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

(श्री गिरधारीलाल)

लेकिन फिर भी सरकार ने अपनी जो नीति बताई है उससे यह साफ ज़ाहिर है कि हम समाजवाद की तरफ एक कदम नज़दीक पहुँचे हैं। सहकारी खेती के विरोध में कहने वाले इधर बहुत थोड़े हैं, उधर बैठने वालों में ज़्यादा होंगे यह मैं अनुभव से बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी यह समाज की और आज के समय की मांग है। इससे हम गरीब जनता को न्याय दे सकेंगे यह मेरी मान्यता है। गरीब और खेतीहीन किसान मज़दूर को हम जमीन दे सकेंगे। वे भी हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, उनको भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिये यही हमारा उद्देश्य है सीलिंग से। इसके बारे में मैं इस बात से आगाह कर देना जरुरी समझता हूं कि इस सहकारी खेती के बारे में अगर सरकार ने जनता को पूरी तरह से तैयार नहीं किया और इस नौकरशाही पर सब छोड़ दिया, इस अफसरशाही पर भरोसा किया और इस अफसरशाही को इस पर कब्ज़ा करने दिया और जनता को इस ढंग से तैयार नहीं किया तो यह सहकारी खेती सफल नहीं होने वाली है, इससे समाजवाद लाने का हमारा सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। आज इस समाजवाद के दुश्मन सबसे अधिक दुश्मन दो तरह के ये लोग हैं। पहले जो जागीरदार थे वे समाप्त हुए, पर आज एक नया जागीरदारी तब का पैदा हो रहा है, और पनप रहा है वह है यह नौकर, ये सरकार के नौकर और अफ़सर और यह तबका जनता का दुश्मन नम्बर एक है, दूसरा दुश्मन है यह पूंजीवादी वर्ग, ये पूंजीवादी लोग ये पैसे वाले। तो यह नौकर और पूंजीपति दो दुश्मन हैं।

दो तरह के लोग हैं जो कि समाजवाद में रोड़े अटकाये हुए हैं और यह कानूनी अड़चनें डालकर यह कोशिश करते हैं कि समाजवाद की ओर यह सरकार कदम नहीं बढ़ा सके। इसलिए सरकार को इस ओर प्रयत्नशील रहना चाहिए और जनता में इस प्रकार की भावना पैदा कर देनी चाहिए जिससे आगे जाकर अपनी जो सत्ता है जिसको लोकतन्त्र कहते हैं, उसको हम मजबूत कर सकें तथा जिससे जनता ही इसमें अधिक सहयोगी सिद्ध होगी। अगर हम ऐसी कोशिश नहीं करेंगे तो समाजवाद कभी नहीं आयेगा। एक बात माननीय सभापति महोदय, मैं और बताना चाहता हूं...

श्री सभापति : मैं आपसे आज्ञा करूंगा कि आप जल्दी ही अपने भाषण को समाप्त कर देंगे।

श्री गिरधारीलाल : अभी तो मेरे पास बहुत से पोइन्ट्स हैं।

श्री सभापति : और भी तो बोलना चाहेंगे।

श्री गिरधारीलाल : फिर भी मुझे बोलने का मौका मिलना चासिए।

श्री सभापति : मैं तो जानना चाहता हूँ कि आप कितना समय और लेंगे ? कितने ही लोगों के बोलने की इच्छा है और सबको मौका मिलना चाहिए।

श्री गिरधारीलारी : थोड़े से ही पोइन्ट्स और हैं, थोड़ा ही बोलूंगा। मैं समझता हूं, अभी तक सदन में काफी सदस्यों ने किसानों के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि आज किसानों की ऐसी हालत है कि वह कर्जे से

(श्री गिरधारीलाल)

लदा जा रहा है। इसकी ओर किसी भी माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान नहीं दिलाया। राजस्थान राज्य के अन्दर एक करोड़ ३० लाख आदमी जो गांवों में बसते हैं और जो खेती करते हैं उन लोगों में कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर काफी कर्ज़ा है और कितने ही लाख रुपया उनके ऊपर कर्जा है। सरकारी और गैर सरकारी कर्जे के आंकड़े हमारी सरकार के पास होना लाज़मी है। अगर ये आंकड़े हमारे पास नहीं होंगे तो हम अन्दाजा नहीं लगा सकते कि किसानों के ऊपर कितना खर्चा है। मैं गांवों में फिरता हूं और बीकानेर जिले के गांवों में भी मैं घूमा हूं। एक-एक गांव के अन्दर किसानों पर एक एक लाख रुपये कर्जे का है और वह भी उनके ऊपर पन्द्रह-बीस साल का कर्जा है। क्योंकि वहां पर बरसात तो होती कम है इस लिए वहां का किसान गरीब है और यही कारण है वह उसके ऊपर का कर्जा ज्यों का त्यों चला आता हैं। किसान अपने गांव में ही किसी बनिये या साहूकार के पास से कर्जा लेता है तो वह उसको एक रुपया, दो रुपया और तीन–तीन रुपया सैकड़ें तक ब्याज देता है और इतना ज्यादा ब्याज देने के कारण वह अपना कर्जा कभी नहीं मिटा पाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो कुछ खेती होती है वह ब्याज के अन्दर बनिया ही ले जाता है। कभी–कभी तो ऐसा देखा गया है कि किसान अपनी असल रकम के ऊपर इतना ब्याज दे देते हैं कि वह ब्याज की रकम ही असल रकम के बराबर हो जाती है। जैसे किसी ने सौ रुपये लिए और उस सौ रुपये की रकम पर ब्याज वह करीब सौ रुपये ही दे चुकता है और असल रकम फिर भी ज्यों की त्यों रहती है। तो इस तरह से कितना करोड़ों रुपया और लाखों रुपया आज राजस्थान के किसान के ऊपर है और इससे वह दबा हुआ है और इसके आंकड़े सरकार के पास होना लाजिमी है। बीकानेर जिले का जहां तक सवाल है मैं कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सरकार को ऐसा कानून पास करना चाहिये जिससे वहां के किसानों को कुछ राहत मिले और उसका समय सरकार चाहे जो समय निश्चित कर सकती है कि दस साल या पन्द्रह साल तक के पुराने कर्जे सब माफ़ कर दिये जायेंगे या फिर जिसने असल रकम के बराबर ब्याज दे दिया तो उसका कर्जा माफ़ कर दिया जायेगा······

श्री सभापति : आपको और कितना बोलना है ?

श्री गिरधारीलाल : अभी तो बोलना है।

श्री सभापति : और बजट के मौके पर बोल लेना।

श्री गिरधारीलाल : जैसी आपकी इच्छा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय सभापति महोदय, जो राज्यपाल महोदय का भाषण है मैं उसका समर्थन करता हूँ···

श्री सभापति : No. Please resume your seat first.

श्री पी० के० चौधरी : I have started as no other member had begun.

श्री सभापति : No. You can resume your seat. ऐसा है कि मेरी आइज़ कैच

(श्री सभापति)

करें, उनको बोलना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास लिस्ट भी है। उसको देखकर निर्णय देता हूँ।

श्री पी० के० चौधरी : The point is, Sir, that I was in possession of the floor. I have started my speech.

श्री सभापति : The Hon'ble member who catches the eye of the Chair, he will speak.

श्री पी० के० चौधरी : I have stated.......

श्री सभापति : Please resume.

श्री पी० के० चौधरी : When one member take up and he is in possession of the house, after that to say that he has not caught the eye of the chair......

श्री सभापति : He cannot take possession of the floor without the permission of the Chair.

श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : सभापति महोदय, आज के चार रोज़ पहले इस सदन में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था। उस पर तीन दिन से बराबर वाद-विवाद हो रहा है और उस वाद-विवाद के सिलसिले में यह प्रस्ताव रखा गया है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने कृपा करके सदन में पधार करके जो अभिभाषण दिया है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। सभापति महोदय, राज्यपाल ने जो भाषण दिया है उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ और राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में एक शुभ संदेश दिया है और जो घोषणायें की हैं उसका मैं स्वागत करता हूँ। सभापति महोदय अगर राज्यपाल महोदय के भाषण को पढ़ा जाय जाये तो स्पष्ट रूप से उसको दो भागों में बांट सकते हैं। उसके प्रथम भाग में उन्होंने राजस्थान में पिछले साल में जो विकास हुए हैं, राजस्थान में जो प्रगति हुई है उसका लेखा जोखा है। यह बात तो प्रायः प्रतिवर्ष राज्यपाल महोदय के भाषण में हमें मिल ही जाती हैं लेकिन इस वर्ष राज्यपाल ने अपने भाषण में जो घोषणायें की हैं उनके लिए मैं यह कह सकता हूँ कि राज्यपाल महोदय का भाषण एक ऐतिहासिक भाषण है, यह हमें एक सही रास्ते पर ले जाने का शुभ संदेश देने का भाषण हैं। सभापति महोदय, इस भाषण के द्वारा राज्यपाल महोदय ने राज्य की जो वर्तमान नीति की घोषणा की है, उससे हमें यह पता लगता है कि यह राजस्थान की वर्तमान नीति जिसकी कि राज्यपाल ने घोषणा की है वह हमें एक ग्रामराज्य की तरफ ले जाने के लिए एक प्रयत्न है। दूसरे प्रजातांत्रिक राज्य, कल्याणकारी राज्य और एक वेलफेयर स्टेट जिस प्रकार की होनी चाहिए उसके लिए जिन बातों की आवश्यकतायें हैं, उन्हीं बातों को अपनाने के लिए यह घोषणा की गई है।

५ म० प०

सभापति महोदय, अब तक शासन की, यानी राजस्थान बनने से पेश्तर शासन की जो व्यवस्था थी वह आज के शासन से बिल्कुल भिन्न थी। पहले शासन ऊपर से नीचे की तरफ आता था। इस वक्त शासन जो है वह नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। पहले

(श्री रामचन्द्र)

ऑटोक्रेसी थी। एक राजा ऊपर बैठा रहता था और ऊपर से नीचे के स्तर के लोगों को आदेश दिया करता था, लेकिन राज्यपाल महोदय की इस घोषणा से राजस्थान सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं वे मालूम पड़ती हैं और राज्य करने की जो अब तक प्रणाली थी वह बिल्कुल टूट चुकी है। रानी राज्य नीचे से ऊपर का हो गया है। इसलिए इस वास्ते हम कह सकते हैं कि राज्यपाल ने···

श्री सभापति : कितना और लम्बा करेंगे ? अभी खत्म कर देंगे क्या ?

श्री रामचन्द्र : जी नहीं, मेरा बहुत लम्बा है। मैंने तो अभी इन्ट्रोडक्शन ही दिया है।

(हंसी)

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही सोमवार दिन के ११ बजे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बजकर १ मिनट पर सोमवार दिनांक २३ फरवरी, १६५६, के ११ बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, २० फरवरी, ५६)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ४५७

नागौर में सरकारी केरल फार्म की स्थापना

डिस्ट्रिक्ट टौंक के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या

पुलिस विभाग में अनुसूचि जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति

उनियारा हाई स्कूल के शिक्षक इनामुल्ला

ग्राम भवरथलां (देवली) में स्कूल भवन का निर्माण

तहसील नोखा (बीकानेर) में चोरियों के मामले

डिस्ट्रिक्ट टौंक में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण का कार्य

मिडिल स्कूलों का बुनियादी स्कूलों में परिवर्तन

निन्दाद जंगल (आमेर तहसील) के पेड़

कम आय वाले व्यक्तियों को गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत सहायता

कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को अपने जिले में ही रखा जाना

स्कम्भ

राजस्थान नहर को नेवीगेबल बनाने विषयक

टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेज़ में प्राइवेट विद्यार्थियों के प्रवेश

भाखरा नहर क्षेत्र

इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद के लिए योग्यताएं

बीकानेर जिला जेल के शिक्षित कैदियों को सुविधाएं

बहुद्देशीय पाठशाला, ब्यावर में फर्नीचर की खरीद हेतु धन की कमी

बीकानेर जिले की सहकारी समितियां

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यय

जयपुर—नदवई सड़क

कमिश्नरी कार्यालयों की समाप्ति

भरतपुर जिले में बांधों की मरम्मत

कोटगेट बीकानेर के पास रेल के फाटक

अलवर-तिजारा रोड पर चिकानी-बहादुरपुर एपरोच रोड

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन ५०४

श्री सोहनलाल भटनागर, सदस्य विशेषाधिकार समिति, ने श्री

श्रीभानसिंह, सदस्य, विधान सभा, द्वारा दिनांक २१ नवम्बर, १९५८ एवं १७ दिसम्बर, १९५८ को दैनिक पत्र 'नवयुग' जयपुर के सम्बन्ध में उठाये गये विशेषाधिकार–प्रश्नों पर समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया।

विधायी कार्य—पुरःस्थापित किये गये विधेयक ५०५

निम्नांकित विधेयक पुरःस्थापित किये गये :—

१. राजस्थान फॉरेस्ट (संशोधन) विधेयक, १९५९
२. राजस्थान अनुशासिक कार्यवाही (साक्षी बुलाया जाना तथा दस्तावेज प्रस्तुत कराया जाना) विधेयक, १९५९
३. राजस्थाय सेकेन्ड्री एज्युकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९
४. नाथद्वारा मन्दिर विधेयक, १९५९

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद–विवाद ५०६

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री हरिदेव जोशी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर आज भी वाद–विवाद जारी रहा। वाद–विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री मुरलीधर व्यास
२. श्री सम्पतराज जैन
३. डॉ० बहादुरसिंह
४. श्री श्रीभानसिंह
५. श्री दलपतसिंह
६. डॉ० चन्द्रकला
७. श्री भवानी शंकर नंदवाना
८. श्री गिरधारीलाल

श्री रामचन्द्र अपना भाषण दे रहे थे कि सदन की बैठक ५ बजे सोमवार दिनांक २३ फरवरी, १९५९ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

सोमवार, दिनांक २३ फरवरी, १९५९ की कार्य सूची

१ राजस्थान लैंड एक्वीज़ीशन (संशोधन) विधेयक, १९५९.

(पुरःस्थापन)

२ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद–विवाद

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११७ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

(General Administration Department 'A')

ORDER

No. D. 3097/F. 5 (4) GA/A/55. Dated Jaipur, the 5th March 55.

It has come to the notice of the Government that officers are generally transferred outside their home districts and sometimes even outside their divisions thereby causing great hardships to the low paid employees. Government have, therefore, been pleased to order that all officers drawing less than Rs. 250/- p. m. may not ordinarily be transferred outside their home districts and if the transfer is unavoidable it should, as far as possible be confined to the Division,

Sd/-Kishan Puri
Chief Secretary to Government

No. D. 3097 F. 5 (4) GA/A/55. Dated Jaipur, the 16th March, 1955.
Copy forwarded to :-

1) All Secretaries to Government.
2) Secretary to His Highness the Rajpramukh.
3) Secretary to Chief Minister
4) Private Secys. to Ministers and Dy. Ministers.
5) All Heads of Departments.
6) All Sections of the Secretariate.

Copy also forwarded to :-

1) Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
2) Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Jaipur.
3) Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur.

Sd/-Sukhdeo Prasad.
Assistant Secretary to Government.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२८ का उत्तर देखिए)

'ए'

List of existing works before formation of Rajasthan

No.	Name of Bund	Tehsil
1.	Munwara Meghayan Canal	Kumher
2.	Baretha Bund and Canal	Bayana
3.	Kumher Tank	Kumher
4.	Baripura Bund	Bari
5.	Chicksana Canal	Bharatpur
6.	Baretha Bund & Canal	Bayana
7.	M. M. Canal from Abhor Village	Kumber
8.	Ram Sagar Bund & Canal	Bari
9.	Urmila Sagar Bund & Canal	Dholpur
10.	Dharsoni Canal	Weir
11.	Pathena Canal Part I & II	Weir & Nadbai
12.	Lalta Mundia Canal	Weir
13.	Bansroli Tank	-do-
14.	Bhagori Bund	Bayana
15.	Lal Pur Bund	Weir
16.	Huntra Bundli	Nadbai
17.	Atal Bund	Bharatpur
18.	Ajan Bund	-do-
19.	Ajoo Bund	-do-
20	Anah Bund	-do-
21.	Addi Bund	-do-
22.	Afflux Bund	Bayana
23.	Bandore Bund	Bharatpur
24.	Bachamadi Bund	Rupbas
25.	Baseri Bund	-do-
26.	Bhont Bund	Bharatpur
27.	Bhawa Bund	-do-

1	2	3
28.	Behnera Bund	Bhartpur
29.	Bunda Bund	Rupbas
30.	Chiksana Bund	Bharatpur
31.	Daulatgarh Bund	Rupbas
32.	Fateh Pur Bund	Bharatpur
33.	Golbagh Bund	-do-
34.	Gahllow Bund	Rupbas
35.	Helak Bund	Bharatpur
36.	Hindola Bund	-do-
37.	Khanka Bund	Rupbas
38.	Kharela Bund	Bharatpur
39.	Khemra Bund	-do-
40.	Moti Jheel	-do-
41.	Murwara Bund	-do-
42.	Noh Bund	-do-
43.	Nek Pur Bund	Rupbas
44.	Par Bund	Bharatpur
45.	Seh Bund	-do-
46.	Sewar Bund	-do-
47.	Sukhawali Bund	-do-
48.	Shahpur Bund	Nadbai
49.	Sena Bund	Rupbas
50.	Sheorana Bund	Bharatpur
51.	Richoli Bund	Bayana
52.	Sinpini Bund	Bharatpur
53.	Malhai Bund	-do-
54.	Chiksana Canal	-do-
55.	Ekta Canal	-do-
56.	Girraj Canal	-do-
57.	Homes Canal	-do-

1	2	3
58.	Jatoli Ganal	Kumher
59.	Jaghina Canal	Bharatpur
60.	Mto Jheel Canal	Bharatpur
61.	M. M. Canal	Kumher
62.	Jatwansi Bund	Rupbas
63.	Nagla Pachalwar	-do-
64.	Jatooli Upper	-do-
65.	Jatroli Lower	-do-
66.	Kanawar Bund	Bayana
67.	Kundanwara	Rupbas
68.	Pichuna Canal	Bharatpur & Rupbas
69.	Uchhain Canal	-do-
70.	Bhatwali Bund	Bharatpur
71.	Bansroli Bund	-do-
72.	Dehra Bund	Nedbai
73.	Bijwai Bund	Weir
74.	Sarsena Bund	-do-
75.	Alipur Bund	-do-
76.	Halena Upper Bund	-do-
77.	Halena Lower Bund	-do-
78.	Khandraya Bund	-do-
79.	Nawalura Bund	-do-
80.	Lapur Bund & its Channel	-do-
81.	Jeewad Bund	-do-
82.	Bansi Bund	-do-
83.	Jatpura Bund	-do-
84.	Ajronda Bund	-do-
85.	Ataripura Bund	-do-
86.	Luhasa Bund	-do-
87.	Khori Bund	-do-

1	3	3
88.	Maurda Bund	Weir
89.	Raniwala and Ots Cannel	-do-
90.	Kota Patt Bund	-do-
91.	Raipur Bund	-do-
92.	Brua Gaon Bund	-do-
93.	Jagjivanpur Bund	-do-
94.	Muhari Bund	-do-
95.	Mokhroli.	-do-
96.	Naya Gaon Bund	-do-
97.	Bhusawar Bund	-do-
98.	Ballabhgarh Bund	-do-
99.	Garhi Bund	-do-
100.	Malpura Bund	-do-
101.	Khini Bund	-do-
102.	Boraj Bund	-do-
103.	Rajhera Bund	-do-
104.	Pathana Canal & Minors	-do-
105.	Halena Canal -do-	-do-
106.	Lalta Mundi Canal	-do-
107.	Lalpura Canal	-do-
108.	Dharsoni Canal	-do-
109.	Gahlow Bund	Rupbas
110.	Baretha Bund	Bayana
111.	Baseri Bund	-do-
112.	Bansi Kaccha	-do-
113.	Bansi Paccha	Rupbas
114.	Banren Bund	Bayana
115.	Bagren Bund	-do-
116.	Bokoli Bund	Rupbas
117.	Bai Sona Bund	Bayana

1	2.	3
118.	Bhim Nagar	Bayana
119.	Binnua Bund	--do--
120.	Bangarra Bund	--do--
121.	Barber Bund	Rupbas
122.	Basai Bund	--do-
123.	Bidyari	Bayana
124.	Churari Deng	Bayana
125.	Chenkora Bund	Rupbas
126.	Dadama Bund	Bayana
127.	Dahgaon Bund	--do--
128.	Dadharda Bund	Rupbas
129.	Dundi Bund	Bayana
130.	Dumerya Bund	-do-
131.	Guthakara Bund	--do--
132.	Jaisora Bund	--do--
133.	Jarkhora Bund	--do-
134.	Kanjor Baroli Bund	Rupbas
135.	Kamalhouze Bund	Bayana
136.	Kaninu Bund	-do--
137.	Old Kani Bund	-do--
138.	Khatnwali Bund	--do-
139.	Kheria Jat Lower	Rupbas
140.	Kheria Jat Upper	--do--
141.	Khera Rudwal	--do--
142.	Kheri Bund	--do--
143.	Kandohli Bund	--do--
144.	Khan Surja Lower	--do--
145.	Khan Surja Upper	--do--
146.	Lakhanpur Bund	-do--
147.	Maloni Lower	-do-

1	2	3
148.	Maloni Upper	Rupbas
149.	Maloni Bund	-do-
150.	Mahalpura Kacchi Bund	-do-
151.	Mahalpur Baghwala Bund	-do-
152.	Mahalpura Chura	-do-
153.	Mortha Bund	-do-
154.	Murki Bund No. 1	Bayana
155.	Murki Bund No. 2	-do-
156.	Murki Bund No. 3	-do-
157.	Nuherda Bund	Rupbas
158.	Karauwa Bund	Bayana
159.	Pura Maloni	Rupbas
160.	Pura Baikhera	Bayana
161.	Kasba Rupbas	Rupbas
162.	Rajpur	-do-
163.	Samari Bund	-do-
164.	Samadh Upper	-do-
165.	Samadh Lower	-do-
166.	Sirond Bund	Bayana
167.	Shergarh Bund	-do-
168.	Shakarpura Bund	Rupbas
169.	Samantgarh Bund	Bayana
170.	Singhrawali Bund	-do-
171.	Shamsher Bund	Rupbas
172.	Undal Jat	-do-
173.	Nagla Shersingh	Bayana
174.	Chata Canal	Rupbas
175.	Shakarpura Canal	-do-
176.	Bokoli Canal	-do-
177.	Jareia Canal	-do-

Page No.115

1	2	3
178.	Baretha Canal Na. 1	Bayana
179.	Baretha Canal No. 2	--do--
180.	Baretha Canal No. 3	--do--
181.	Dahana Canal	Rupbas
182.	Ramsagar Tank and Channel	Bari
183.	Umreh Tank and Channel	--do--
184.	Nadroli Tank aad Channel	--do--
185.	Dahampur Tank and Channel	--do--
186.	Dholpur Ry. Tank and Channel	--do--
187.	Talshsai Tank and Channel	--do-
188.	R. T. Bund	--do--
189.	Dhor Tank and Channel	Baseri
190.	Urmila Sagarand Channel	Gird
191.	Megh Sagar Tank and Channel	--do--
192.	Undela tank and Channel	--do.-
193.	Narpura tank and Channel	--do--
194.	Baripura Bund	--do--
195.	Ramph	Pahari
196.	Pathrali	--do--
197.	Papra	--do--
198.	Satwari	--do--
199.	Alampur	--do--
200.	Kuchamati	Deeg
201.	Karmuka	--do--
202.	Panchori	--do--
203.	Nighori	--do--
204.	Dbhara	--do--
205.	Kakra	--do -
206.	Pasopa	--do--
207.	Ghulera	--do--

1	2	3
208.	Januthar	Deeg
209.	Beling	Kamn
210.	Dhau Baroli	-do-
211.	Bolkhera	-do-
212.	Angrawali	-do-
213,	Indrawali	-do-
214-	Kalaoti	-do-
215.	Sahlana	-do-
216.	Sabalgarh	-do-
217.	Dehri	Nagar
218.	Dabak	-do-
219.	Darawana	-do-
220.	Urki	-do-

परिशिष्ट

'बी'

List of Entirely new works constructed after the formation of Rajasthan.

S. No.	Name of Bund	Name of Tehsil
1.	Saidpura	Rupbas
2.	Khanwa Scheme	-do-
3.	New Canal Ajanbund	Bharatpur
4.	Dehgaon Nagla Chiteria Bund	Bayana
5.	Baripura Bund	Dholpur

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २० फरवरी, १९५४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४७०	४	questios	quston was
४७१	३	जिनके पास	जिनके पास
४८७	१५	श्री मोहनलल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
४९१	६	उनका संबंध	उनका सम्बन्ध
४९५	१३	भील भंति	भली भांति
४९७	१४	बात में	बात मैं
४९९	१५	चाही उसकी	चाही उतनी
५००	४	जाननी चाहतो	जाननी चाहती
५१०	६	क्विश्चन जासतारी	क्विश्चन जानकारी
५१३	अन्तिम से	अध्यक्ष महोदद	अध्यक्ष महोदय
,,	अन्तिम से ५	इसलिये में	इसलिये मैं
५२०	१५	सम्बन्ध	सम्बन्ध
५२३	६	कौनिट्टे विल	कॉन्स्टेबिल
५३८	२	अब में	अब मैं
५५२	१	संबंध	सम्बन्ध
५६०	८	समथन	समर्थन
५६३	१७	सकने	सकते
५६७	१	डिस्ट्रिक	डिस्ट्रिक्ट
५८७	अन्तिम लाइन	मैं	में
६००	अतिन्म से ४	ताका	तरीका
६०६	अन्तिम से ११	हेरेग	हेरेस
६०८	५	मिल हुए	मिले हुए

१	२	३	४
६२१	अन्तिम से ६	ओर मेरी	और मेरी
६२८	२१	संबंध	सम्बन्ध
६५३	११	हल था	हाल था
६६१	१०	ये अकड़े	ये आंकड़े
६७३	१	Bheatpur	Bharatpur.